वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

विषय-सूची

1. एक विहंगावलोकन
2. कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा
3. कार्यक्रम संबंधी कार्यकलाप
4. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)
5. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)
6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)
7. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
8. राजभाषा का कार्यान्वयन
9. नागरिक उन्मुख अभिशासन
10. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
11. अनुलग्नक

विषय सूची

1. एक विहंगावलोकन 1

1.1 औषधीय उद्योग
1.2 चिकित्सा उपकरण उद्योग
1.3 इंडिया फार्मा 2022 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2022
1.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
1.5 विभाग द्वारा की गई कोविड-19 संबंधित कार्रवाई
1.6 लम्बित मामलों के निस्तारण (एससीडीपीएम) एवं स्वच्छता हेतु विशेष अभियान
1.7 आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)
1.8 औषध विभाग में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता पहल
1.9 लैंगिक संवेदनशीलता और महिला सशक्तिकरण

2. कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा 21

2.1 औषध विभाग का अधिदेश
2.2 विजन
2.3 मिशन
2.4 संगठनात्मक ढांचा
2.5 संबद्ध कार्यालय
2.6 पंजीकृत सोसायटी
2.7 स्वायत्त संस्थान
2.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3. कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां 29

3.1 उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं
3.2 औषध उद्योग के विकास के लिए एकछत्र योजना
3.3 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध कार्यकलाप
3.4 फार्मा ब्यूरो

4. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) 53

4.1 योजना की पृष्ठभूमि
4.2 पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान की गई प्रगति
4.3 पिछले एक वर्ष के दौरान उपलब्धियां
4.4 जन औषधि दिवस समारोह
4.5 आजादी का अमृत महोत्सव
4.6 विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का आयोजन

5. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) 61

5.1 पृष्ठभूमि
5.2 नाईपर एस.ए.एस. नगर (मोहाली)
5.3 नाईपर कोलकाता
5.4 नाईपर रायबरेली
5.5 नाईपर हैदराबाद
5.6 नाईपर हाजीपुर
5.7 नाईपर गुवाहाटी
5.8 नाईपर अहमदाबाद

6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) 109

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
6.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूफटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)
6.3 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
6.4 कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)
6.5 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)
6.6 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)

7. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) 131

7.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
7.2 मूल्य निर्धारण
7.3 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को युक्तिसंगत बनाना

7.4 पुनरीक्षण आदेश

7.5 डीपीसीओ, 2013 के पैरा 32 के अंतर्गत दी गई छूट

7.6 व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के आधार पर कैंसर रोधी दवाओं का मूल्य संशोधन

7.7 उपभोक्ताओं को बचत

7.8 कोविड-19 की आपात स्थितियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम

7.9 पांच वर्षों में उपचारात्मक क्षेत्रों में वृद्धि

7.10 मूल्य निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियां

7.11 अधिप्रभारित राशि की वसूली

7.12 ई-पहलें

7.13 उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) का कार्यान्वयन

7.14 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत की गई गतिविधियां

7.15 राजभाषा कार्यान्वयन

7.16 राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा 2022

7.17 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

7.18 राष्ट्रीय एकता दिवस

7.19 स्वच्छता अभियान 2.0

7.20 एनपीपीए का ई-न्यूज़लेटर: औषध संदेश

7.21 "दवाओं की ट्रैकिंग: अंतिम छोर तक उपलब्धता सुनिश्चित करना" पर वेबिनार

8. राजभाषा का कार्यान्वयन 151

8.1 सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग

8.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

8.3 हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2022

8.4 विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा

8.5 हिंदी सलाहकार समिति

9. नागरिक उन्मुख अभिशासन 155

9.1 हमारा विजन

9.2 हमारा मिशन

9.3 हमारे ग्राहक

9.4 हमारी प्रतिबद्धताएं

9.5 हमारी सेवाएं

9.6 हमारे कार्यकलाप

9.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

9.8 सीपीजीआरएएमएस

10. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 159

10.1 लोकल एरिया नेटवर्क (लैन)

10.2 वेबसाइट और सोशल मीडिया

10.3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

10.4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा

10.5 कार्यप्रवाह स्वचालन

10.6 ई-गवर्नेंस

11. अनुलग्नक 165

अनुलग्नक - I सी एंड एजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अनुलग्नक - II [क] (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची)

अनुलग्नक - II [ख] (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष का पता और नाम)

अनुलग्नक - II [ग] (दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची)

अनुलग्नक - III (एन पी पी ए का संगठनात्मक चार्ट)

अध्याय-1

एक विहंगावलोकन

1.1 औषधीय उद्योग

1.2 चिकित्सा उपकरण उद्योग

1.3 इंडिया फार्मा 2022 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2022

1.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1.5 विभाग द्वारा की गई कोविड-19 संबंधित कार्रवाई

1.6 लम्बित मामलों के निस्तारण (एससीडीपीएम) एवं स्वच्छता हेतु विशेष अभियान

1.7 आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)

1.8 औषध विभाग में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता पहल

1.9 लैंगिक संवेदनशीलता और महिला सशक्तिकरण

अध्याय-1

एक विहंगावलोकन

1.1 औषधीय उद्योग

भारतीय औषधीय उद्योग मात्रा के हिसाब से औषध उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और अपनी जेनेरिक दवाओं और कम लागत वाले टीकों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र ने वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धित (वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर) का लगभग 1.32% योगदान दिया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में फार्मास्युटिकल्स का कुल वार्षिक कारोबार 3,44,125 करोड़ रुपये (42.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था। भारतीय औषधीय उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में जेनेरिक दवाएं, ओटीसी दवाएं, थोक दवाएं, टीके, अनुबंध अनुसंधान और निर्माण, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स शामिल हैं। भारत डीपीटी, बीसीजी और खसरे के टीकों की आपूर्ति में विश्व में अग्रणी है। भारत दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारत का हिस्सा 60 प्रतिशत है, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (डीपीटी) और बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) टीकों की डब्ल्यूएचओ की मांग में 40 से 70 प्रतिशत का योगदान है, और खसरे के टीके के लिए डब्ल्यूएचओ की 90 प्रतिशत मांग है। वैश्विक एपीआई उद्योग में 500 एपीआई विनिर्माताओं का योगदान लगभग 8% है। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। यह 60 चिकित्सीय श्रेणियों में लगभग 60,000 विभिन्न जेनेरिक ब्रांड बनाता है और जेनेरिक की वैश्विक आपूर्ति का 20% हिस्सा है। भारत से वहनीय एचआईवी उपचार तक पहुंच चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है। वहनीय कीमत और उच्च गुणवत्ता के कारण, भारतीय दवाएं दुनिया भर में पसंद की जाती हैं, जिससे यह "दुनिया की फार्मेसी" बन गया है। यह क्षेत्र उत्तम दर से बढ़ रहा है। पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र के वार्षिक कारोबार के रुझान को तालिका-1क से देखा जा सकता है

तालिका -1क
(मौजूदा कीमतों पर फार्मा क्षेत्र की वृद्धि)

वित्तीय वर्ष	(करोड़ रुपये में)	वृद्धि दर
2017-2018	2,26,423	3.03
2018-2019	2,58,534	14.18
2019-2020	2,89,998	12.17
2020-2021	3,28,054	13.12
2021-2022	3,44,125	4.89

स्रोतः फार्माट्रैक/एनपीपीए/डीजीसीआईएस, कोलकाता

भारतीय औषधीय उद्योग दुनिया भर में लाखों लोगों को वहनीय और कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करते हुए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र गुणवत्ता से समझौता किए बिना कम लागत की पेशकश करता है जैसा कि इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि अमेरिका के बाहर भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) द्वारा अनुमोदित फार्मास्युटिकल संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के उत्तम विनिर्माण पद्धति (जीएमपी)-अनुपालन संयंत्रों के साथ-साथ अन्य देशों के नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संयंत्र की एक महत्वपूर्ण संख्या भी है। भारत का औषधीय क्षेत्र देश के विदेशी व्यापार का एक प्रमुख भाग है और यह लगातार व्यापार अधिशेष बना रहा है जैसा कि ग्राफ 1क से देखा जा सकता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, फार्मास्यूटिकल्स का कुल निर्यात 1,74,955 करोड़ रुपये (यूएसडी 23.5 बिलियन) रहा, जबकि कुल आयात 60,060 करोड़ रुपये (यूएसडी 8.06 बिलियन) था, जिसके परिणामस्वरूप 1,14,895 करोड़ रुपये (यूएसडी 15.44 बिलियन) का व्यापार अधिशेष हुआ।

ग्राफ 1क
(औषध का आयात-निर्यात)

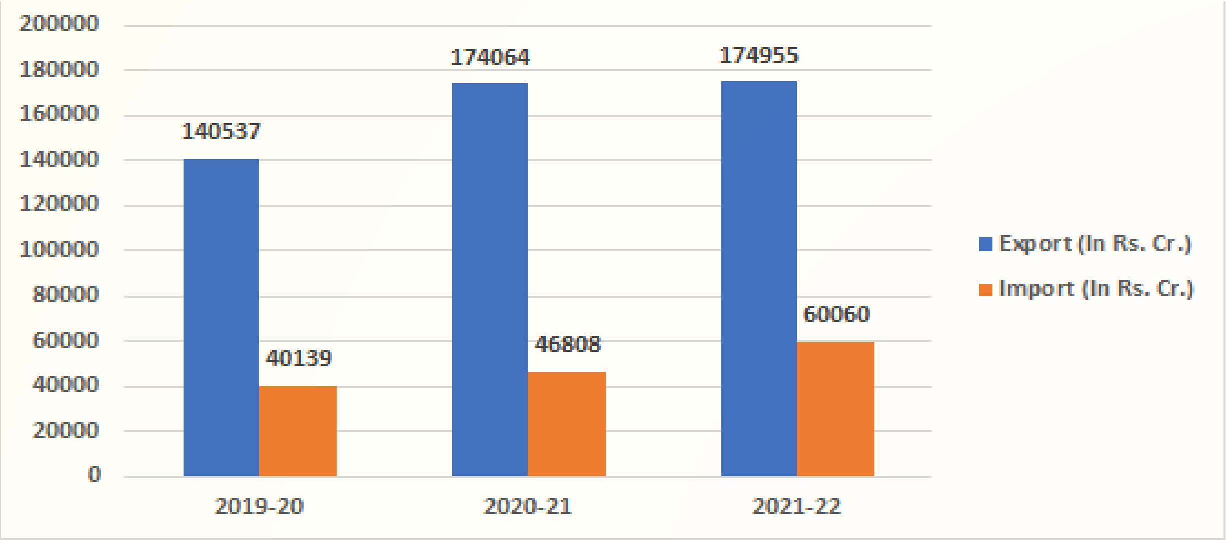

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

डेटा में बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स, ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल्स शामिल हैं

1.1.1 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

औषधीय क्षेत्र विदेशी निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और भारत में विदेशी निवेश के लिए शीर्ष दस आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशक अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति लागू की है। चिकित्सा उपकरणों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। फार्मास्यूटिकल्स में, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में 100% तक एफडीआई और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 74% तक एफडीआई को स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी गई है। ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 74% से अधिक विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। मई 2017 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के समाप्त होने के बाद, औषध विभाग को सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत विदेशी निवेश प्रस्तावों पर विचार करने की भूमिका सौंपी गई है। इसके अलावा, विभाग प्रेस नोट 3 दिनांक 17.04.2020 से उत्पन्न औषध क्षेत्र और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के सभी एफडीआई प्रस्तावों पर विचार करता है, जिसमें निवेश प्रस्तावों में निवेशक/अंतिम लाभार्थी भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से हैं।

यह क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में देश में कुल एफडीआई अन्तर्वाह का लगभग 3.71% योगदान देता है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक फार्मा और मेडटेक क्षेत्रों में कुल एफडीआई अन्तर्वाह 1,32,568 करोड़ रुपये रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान, औषध विभाग ने 13 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप औषध क्षेत्र की ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 2,814 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश अन्तर्वाह होगा। औषध क्षेत्र (फार्मास्यूटिकल्स और मेडटेक गतिविधियों) में पिछले चार वर्षों में सरकार और स्वचालित दोनों मार्गों के तहत एफडीआई अन्तर्वाह नीचे ग्राफ 1बी में दर्शाया गया है:

ग्राफ 1ख
(औषधीय क्षेत्र में एफडीआई अन्तर्वाह)

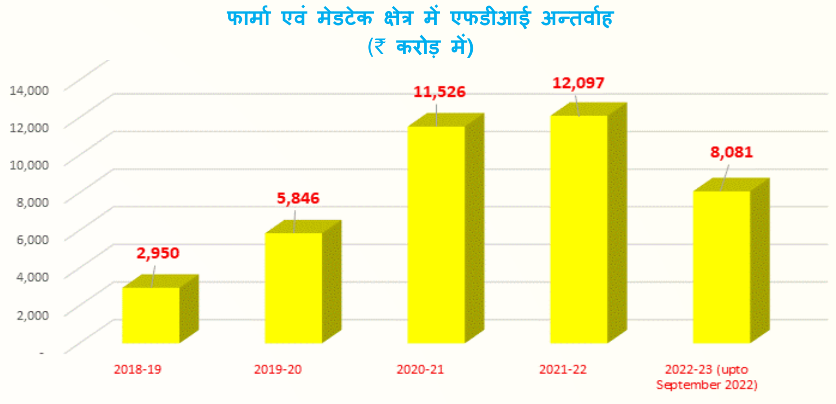

स्रोतः डीपीआईआईटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित।

विभाग इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों द्वारा प्राप्त एफडीआई अन्तर्वाह की प्रगति के साथ-साथ एक ऑनलाइन पोर्टल, अर्थात् "एफडीआई से संबंधित अनुपालन प्रबोधन पोर्टल" के माध्यम से मौजूदा एफडीआई नीति के अंतर्गत आवश्यक एफडीआई से जुड़ी कार्यनिष्पादन शर्तों के अनुपालन की निगरानी करता है। पोर्टल का वेब-लिंक:- http://fdi.pharmaceuticals.gov.in है। एफडीआई अन्तर्वाह का गतिविधि-वार ब्रेक-अप अर्थात औषधीय और मेडटेक गतिविधियों में, नीचे दी गई तालिका 1ख में अलग से देखा जा सकता है:

तालिका 1ख
(दवा और औषधीय गतिविधियों में एफडीआई अन्तर्वाह)

वित्तीय वर्ष	दवा और औषधीय गतिविधियों में एफडीआई अन्तर्वाह	औषधीय और मेडटेक गतिविधियाँ
2018-19	1,842	1,108
2019-20	3,650	2,196
2020-21	11,015	511
2021-22	10,552	1,545
2022-23 (सितम्बर 2022)	5,453	2,628

1.2 चिकित्सा उपकरण उद्योग

भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का विशेष रूप से सभी चिकित्सा स्थितियों और अक्षमताओं की रोकथाम, निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए एक आवश्यक और अभिन्न घटक है। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य बीमा उद्योग के साथ स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। चिकित्सा उपकरण एक बहु-अनुशासनात्मक क्षेत्र है, जिसमें निम्नलिखित व्यापक वर्गीकरण: (क) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ख) प्रत्यारोपण; (ग) उपभोग्य और डिस्पोजेबल (घ) सर्जिकल उपकरण और (ङ) इन-विट्रो डायग्नोस्टिक अभिकर्मक।

चिकित्सा उपकरण उद्योग में कई खंड अत्यधिक पूंजी गहन हैं, लंबी अवधि की अवधि के साथ, नई तकनीकों को निरंतर शामिल करने, नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों के निरंतर प्रशिक्षण और तेजी से नवाचार को शामिल करने की आवश्यकता होती है। बिक्री के लिए बाजार में रखे जाने से पहले चिकित्सा उपकरणों को नियामक द्वारा परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता का प्रदर्शन करना होता है।

1.2.1 भारतीय चिकित्सा उपकरण बाजार

चिकित्सा उपकरण भारतीय अर्थव्यवस्था का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2022[1] में भारतीय चिकित्सा उपकरणों के बाजार का आकार 11 अरब अमेरिकी डॉलर (90,000 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है, 16.4% सीएजीआर के साथ वर्ष 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का निर्यात पिछले 5 वर्षों[2] में 9.37% की सीएजीआर से बढ़ रहा है। वैश्विक बाजार में भारतीय चिकित्सा उपकरण बाजार की हिस्सेदारी 1.65%[3] होने का अनुमान है। भारत जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद एशियाई चिकित्सा उपकरणों का चौथा सबसे बड़ा बाजार है और दुनिया के शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरणों के बाजारों में शामिल है। वर्तमान में, भारत वेंटिलेटर, पीपीई, डायग्नोस्टिक किट, सैनिटाइज़र और सर्जिकल दस्ताने (2/3 प्लाई) आदि का निर्यात कर रहा है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में चिकित्सा उपकरणों का निर्यात और आयात निम्नानुसार है:

तालिका -1ग

(पिछले दो वित्तीय वर्षों में चिकित्सा उपकरणों का निर्यात और आयात)

(मिलियन अमरीकी डालर)

आयात		निर्यात	
2020-21	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**
6240.55	8539.50	2531.62	2923.16

स्रोत: ईईपीसी

1. श्रेणी-वार निर्यात और आयात डेटा

तालिका -1घ

(श्रेणी चार निर्यात डेटा)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रमांक	खंड	निर्यात वित्त वर्ष 2020-21	% शेयर वित्त वर्ष 2020-21	निर्यात वित्त वर्ष 2021-22	% शेयर वित्त वर्ष 2021-22
1	उपभोग्य और डिस्पोजेबल	1290	51%	1378	47%
2	सर्जिकल उपकरण	54	2%	71	2%
3	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	985	39%	1163	40%
4	प्रत्यारोपण	99	4%	135	5%
5	आईवीडी रीअजेंट	104	4%	176	6%
	कुल	**2532**		**2923**	

स्रोत: ईईपीसी भारत, वाणिज्य मंत्रालय

तालिका -1ङ

(निर्यात डेटा-शीर्ष निर्यात गंतव्य)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रमांक	देश	निर्यात वित्त वर्ष 2021-22	% शेयर वित्त वर्ष 2021-22
	दुनिया	2923.16	100.0
1	अमेरीका	631.48	21.60
2	चीन	146.94	5.03

1 नीति आयोग द्वारा वर्ष 2021 में "भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर" पर प्रकाशित रिपोर्ट

2 स्रोत - ईईपीसी, वाणिज्य मंत्रालय

3 ग्लोबेक्सिम -2021" पर केआईएचटी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट

3	जर्मनी	127.29	4.35
4	फ्रांस	89.36	3.06
5	सिंगापुर	82.73	2.83
6	संयुक्त अरब अमीरात	79.01	2.70
	योग	**1156.81**	**40.15**

स्रोत: ईईपीसी इंडिया, वाणिज्य मंत्रालय

तालिका -1च
(श्रेणी-वार आयात डेटा)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रमांक	**खंड**	**आयात वित्त वर्ष 2020-21**	**% शेयर वित्त वर्ष 2020-21**	**आयात वित्त वर्ष 2021-22**	**% शेयर वित्त वर्ष 2021-22**
1	उपभोग्य और डिस्पोजेबल	1471	24%	1624	19%
2	सर्जिकल उपकरण	104	2%	169	2%
3	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	3569	57%	5441	64%
4	प्रत्यारोपण	226	4%	423	5%
5	आईवीडी रीअजेंट	872	14%	883	10%
	कुल	**6242**		**8540**	

स्रोत: ईईपीसी इंडिया, वाणिज्य मंत्रालय

तालिका -1छ
(आयात डेटा-शीर्ष आयात गंतव्य)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रमांक	**देश**	**निर्यात वित्त वर्ष 2021-22**	**% शेयर वित्त वर्ष 2021-22**
	दुनिया	8539.50	100.0
1	संयुक्त अरब अमीरात	1657.67	19.41
2	अमेरिका	1464.73	17.15
3	चीन	782.35	9.16
4	जर्मनी	729.21	8.54
5	फ्रांस	343.08	4.02
6	सिंगापुर	341.99	4.00
	उप योग	**5319.03**	**62.29**

स्रोत: ईईपीसी इंडिया, वाणिज्य मंत्रालय

1.3 इंडिया फार्मा 2022 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2022

औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के साथ मिलकर औषध एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 7वें संस्करण अर्थात - इंडिया फार्मा 2022 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2022 का दिनांक 25 से 27 अप्रैल, 2022 तक डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजन किया।

इंडिया फार्मा 2022 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2022 में सेक्टर-विशिष्ट राउंडटेबल्स, ड्रग रेगुलेटर मीट और फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए थीम सत्रों के साथ एक अच्छी तरह से तैयार किया गया विषयगत सम्मेलन शामिल है। उद्घाटन सत्र दिनांक 25 अप्रैल 2022 को डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉ. भगवंत खुबा, केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के साथ-साथ अन्य सरकारी अधिकारियों और उद्योग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसके बाद फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय और राज्य ड्रग नियामकों की बैठक करने के लिए सीईओ गोलमेज बैठक हुई। फिक्की ने औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स फोरम का आयोजन करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ सहयोग किया।

7वां इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड्स

फार्मा और मेड टेक क्षेत्रों में नवाचार और उत्कृष्टता के सम्मान में माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा दिनांक 27.04.2022 को 7वें इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस पुरस्कार प्रदान किए गए। 7वें इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स के विजेताओं की सूची इस प्रकार है:

तालिका 1ज

(7वें इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स के विजेताओं की सूची)

पुरस्कार की श्रेणी	स्थान	कंपनी का नाम
इंडिया फार्मा लीडर ऑफ द ईयर	विजेता	सिप्ला लिमिटेड
इंडिया मेडिकल डिवाइसेज लीडर ऑफ द ईयर	विजेता	पॉली मेडिक्योर लिमिटेड
	उपविजेता	हेल्थियम मेडटेक लिमिटेड
	द्वितीय-उपविजेता	ट्रांसएशिया बायो-मेडिकल्स लिमिटेड
इंडिया फार्मा (फॉर्मुलेशन) कंपनी ऑफ द ईयर	विजेता	माइक्रो लैब्स लिमिटेड
इंडिया मेडिकल डिवाइस कंपनी ऑफ द ईयर	विजेता	ट्रिविट्रॉन हेल्थकेयर
	उपविजेता	नाइस नियोटेक मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
	द्वितीय उपविजेता	कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
इंडिया मेडिकल डिवाइसेज एमएसएमई ऑफ द ईयर	विजेता	नाइस नियोटेक मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
	उपविजेता	प्रीमियम हेल्थकेयर डिस्पोजल प्राइवेट लिमिटेड
	द्वितीय उपविजेता	एवीआई हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
इंडिया मेडिकल डिवाइसेस स्टार्ट-अप ऑफ द ईयर	विजेता	वनगार्ड डायग्नोस्टिक्स (पी) लिमिटेड
इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर	विजेता	ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
इंडिया मेडिकल डिवाइसेज इनोवेशन ऑफ द ईयर	विजेता	मेरिल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
इंडिया फार्मा सीएसआर ऑफ द ईयर	विजेता	ज़ाइडस लाइफसाइंसेस लिमिटेड
	उपविजेता	ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
	द्वितीय उपविजेता	ल्यूपिन लिमिटेड

उद्घाटन सत्र: इंडिया फार्मा 2022 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2022

1.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1.4.1 संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें

(i) ड्रग्स और औषध भारत-ट्यूनीशिया संयुक्त कार्य समूह: औषध पर भारत-ट्यूनीशिया संयुक्त कार्य समूह की 7वीं बैठक दिनांक 14.01.2022 को नई दिल्ली द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में, दोनों पक्षों ने ट्यूनीशिया में फार्मा उत्पादों के भारतीय निर्यात की बाजार पहुंच बढ़ाने, अधिक सहयोग/संयुक्त उद्यम, औषधीय शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और अनुसंधान और आयुष में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

(ii) औषध पर भारत-मिस्र संयुक्त कार्य समूह: ड्रग्स और औषध पर जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक दिनांक 14.03.2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने दोनों पक्षों के फोकल बिंदुओं की पहचान करके औषधीय व्यापार, नियामक सहयोग, आयुष और औषधीय शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

(iii) दिनांक 15.03.2022 को कजाकिस्तान के साथ औषध पर एक नया संयुक्त कार्य समूह का गठन: वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भारत-कजाकिस्तान संयुक्त कार्य समूह के 7वें सत्र में हुई चर्चाओं के अनुसार किया गया था।

(iv) औषध पर भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह: औषध पर भारत-रूस जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक दिनांक 21.12.2022 को आयोजित की गई थी। दवाओं और आयुर्वेद की बाजार पहुंच में सुधार के लिए विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच क्षमता विनिर्माण में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी।

1.4.2 औषध विभाग के प्रतिनिधिमंडल द्वारा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों/बैठकों में भागीदारी:

(i) 5 से 7 जून 2022 तक अफ्रीका हेल्थ एक्सकॉन : विभाग ने अफ्रीका हेल्थ एक्सकॉन (प्रदर्शनी और सम्मेलन) के पहले संस्करण में भाग लिया जो मिस्र अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र (ईआईईसी) काहिरा मिस्र में चिकित्सा आपूर्ति और मिस्र की चिकित्सा प्रौद्योगिकी के प्रबंधन के लिए एकीकृत खरीद प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया। मिस्र सरकार ने नए चिकित्सीय क्षेत्रों में एपीआई, बायोसिमिलर और दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया और भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने में गहरी रुचि दिखाई। यह महसूस किया गया कि समन्वय का लाभ उठाने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने और अफ्रीका महाद्वीप में भारतीय स्वास्थ्य प्रयासों को और मजबूत करने के लिए भारत में औषधीय उद्योग को मिस्र के समकक्षों के साथ जोड़ने का यह सही समय है।

डॉ. विनोद कोतवाल, सदस्य सचिव, एनपीपीए और श्री वेंकट हरिहरन आशा, उप निदेशक, औषध विभाग, भारतीय दूतावास, काहिरा के अधिकारियों के साथ मिस्र के अधिकारियों के साथ बैठक में।

(ii) कार्टाजेना, कोलंबिया में 8 से 10 जून, 2022 तक स्वास्थ्य मंच: यात्रा के दौरान, यह पता चला कि कोलंबिया सरकार कोलंबिया में दवाओं और टीकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। कोलम्बियाई सरकार की अपेक्षा अपने स्वयं के उद्योग को विकसित करने के लिए सीखने और उद्योग की विशेषज्ञता लेने की है क्योंकि कोलंबिया दवाओं और टीकों के लिए भारी आयात-निर्भर है। इसके अतिरिक्त, कोलंबिया में पशु चिकित्सा टीकों की मांग भी बहुत अधिक है।

श्री. रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव और डॉ. सुमित गर्ग, उप सचिव, औषध विभाग हेल्थ फोरम, कार्टाजेना में एक प्रस्तुति देते हुए।

(iii) **पोलैंड में दिनांक 22 से 26 जून, 2022 तक पोलिश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ साझेदारी में मेक इन इंडिया से संबंधित व्यापार और निवेश कार्यक्रम/सेमिनार** : यात्रा के उद्देश्यों में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए पोलैंड से निवेश आमंत्रित करना शामिल था; फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो घटकों और रसायनों में अवसरों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत में समग्र निवेश अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना; और पोलैंड और भारतीय उद्यमियों के बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना भी शामिल था।

(iv) **22-24 अगस्त, 2022 के दौरान इंडोनेशियाई जी20 प्रेसीडेंसी के अंतर्गत बाली में तीसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक:** इंडोनेशिया की अध्यक्षता में तीसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का एजेंडा महामारी रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (पीपीआर) के लिए विनिर्माण और अनुसंधान केंद्रों का विस्तार करना था। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से संबंधित शोधकर्ताओं और निर्माताओं के जी20 नेटवर्क की स्थापना; सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से संबंधित शोधकर्ताओं और विनिर्माताओं के नेटवर्क को मजबूत करना; अनुसंधान और विनिर्माण केन्द्रों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी की भूमिका; और समान वीटीडी पहुंच और विकास क्षमता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जी20 पहल भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त, एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) पर एक साइड इवेंट भी आयोजित किया गया था जिसमें जी20 ने एएमआर की गंभीरता को स्वीकार किया और एएमआर निगरानी को मजबूत करने और डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने और नई दवाओं के विकास को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। जी20 ने मौजूदा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता और एएमआर पर चतुष्कोणीय सहयोग और एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के साथ एकीकरण के महत्व को भी स्वीकार किया।

डॉ. ऋचा पाण्डेय, उप सचिव, औषध विभाग ने इंडोनेशियाई जी20 प्रेसीडेंसी के अंतर्गत बाली में तीसरी एचडब्ल्यूजी बैठक में भाग लिया।

(v) माननीय केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री की सऊदी अरब यात्रा: डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने दिनांक 25 अगस्त, 2022 को सऊदी अरब का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान माननीय मंत्री ने सऊदी उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री श्री बनदर बिन इब्राहिम अलखोरायफ के साथ औषधीय क्षेत्र के संबंध में द्विपक्षीय चर्चा की। दोनों पक्ष वैक्सीन विनिर्माण में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए।

डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय मंत्री, रसायन और उर्वरक अपनी यात्रा के दौरान सऊदी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते हुए।

(vi) भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग-व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) 8 नवंबर 2022 को मास्को में: भारत की ओर से माननीय विदेश मंत्री (ईएएम) सह-अध्यक्ष थे और रूस के उप प्रधान मंत्री और उद्योग और व्यापार मंत्री श्री डेनिस मंटुरोव रूसी पक्ष से सह-अध्यक्ष थे। आईआरआईजीसी-टीईसी ने अन्य बातों के साथ-साथ औषध में सहयोग के क्षेत्रों पर भी चर्चा की।

डॉ. एन. युवराज, संयुक्त सचिव, औषध विभाग, आईआरआईजीसी-टीईसी के लिए ईएएम प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा

(vii) डुसेलडोर्फ, जर्मनी में दिनांक 14-17 नवंबर, 2022 को मेडिका व्यापार मेला: विभाग ने विदेशी कंपनियों के प्रमुख आधार सहित चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पर; उनके उत्पाद और बाजार; उनके अपने देशों के बाहर उनकी उत्पादन सुविधाएं; समय के साथ भारतीय विनिर्माण कंपनियों की दृश्यता में विनिर्माण और प्रवृत्ति के लिए भारत में निवेश करने की उनकी उत्सुकता पर समझ हासिल की।

श्री अभिषेक कुमार सिंह, उप सचिव, औषध विभाग, मेडिका 2022 में भाग लेते हुए।

(viii) दिनांक 28.11.2022 से 02.12.2022 तक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में विश्व व्यापार संगठन द्वारा व्यापार और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यशाला: डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूआईपीओ के साथ निकट सहयोग से संपन्न यह एक विभिन्न प्रकार की कार्यशाला है जो बड़े स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामाजिक तत्वों को व्यापार और बौद्धिक संपदा के व्यावसायिक तत्वों के साथ मिश्रित करता है।

औषध विभाग के उप सचिव डॉ. सुमित गर्ग ने औषध विभाग की ओर से विश्व व्यापार संगठन की कार्यशाला में भाग लिया

1.4.3 विभाग द्वारा आयोजित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारत दौरा:

(i) दिनांक 30 मार्च 2022 को मैक्सिकन प्रतिनिधिमंडल: द्विपक्षीय व्यापार में संयुक्त अनुसंधान, संयुक्त उत्पादन और विस्तार के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विचार-विमर्श किया गया।

(ii) उज्बेकिस्तान प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा: भारत की ओर से वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में भारत-उज़्बेकिस्तान अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) के तत्वावधान में उज़्बेकिस्तान के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 26-28 जुलाई, 2022 के दौरान भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उज्बेकिस्तान के उप प्रधान मंत्री ने माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री के साथ-साथ विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 28.07.2022 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में बैठक की। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए औषध सहयोग में दो समझौता ज्ञापनों की स्थिति सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की गई।

1.4.4 वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में व्यापार समझौतों की वार्ताओं में भागीदारी:

(i) वर्ष में संपन्न हुए समझौते:

क) भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए): औषध पर अनुबंध 7क अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि, 'प्रत्येक पार्टी का चिकित्सीय माल नियामक उस पार्टी के चिकित्सीय माल नियामक द्वारा मान्यता प्राप्त नियामक प्राधिकरणों से उपयुक्त, अच्छी विनिर्माण पद्धति (जीएमपी) निरीक्षण रिपोर्ट, समय-समय पर संशोधित कानूनों और विनियमों के अधीन, दूसरे पक्ष के क्षेत्र में विनिर्माण सुविधाओं के गुणवत्ता मूल्यांकन के संबंध में एक तुलनीय नियामक के रूप में चिकित्सीय माल नियामक का उपयोग कर सकता है। यह दूसरे पक्ष के क्षेत्र में देश के भीतर निरीक्षण की आवश्यकता, या उसकी अवधि को कम कर सकता है'।

ख) भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए): अनुलग्नक 5क औषधीय उत्पादों पर द्विपक्षीय सहयोग प्रदान करता है और इसमें कम से कम नियामक प्राधिकरणों/संदर्भ देशों अर्थात ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईयू,

जापान, यूएसए या यूके में से एक से औषधीय उत्पादों के लिए 'फास्ट-ट्रैक' प्रक्रियाएं स्थापित करने पर विचार शामिल है।

(ii) मौजूदा समझौतों के दायरे का विस्तार करने के लिए चल रही बातचीत: भारत-कोरिया सीईपीए

(iii) नए समझौतों पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई शामिल हैं) और एफटीए वार्ता; यूके, कनाडा, इज़राइल और ईयू के साथ चल रही है।

1.4.5 औषध सहयोग के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में संयुक्त कार्यकारी समूह/व्यापार समितियों की बैठकों में विभाग की भागीदारी:

- भारत और ताइवान के बीच 15वां उप मंत्री/सचिव-स्तर का आर्थिक परामर्श 4 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था।
- 15 अप्रैल, 2022 को आयोजित भारत-ग्रीस संयुक्त आर्थिक समिति का 8वां सत्र
- भारत-क्रोएशिया संयुक्त आर्थिक आयोग का दूसरा सत्र 13 अक्टूबर, 2022 को आयोजित किया गया।
- 11 मई, 2022 को भारत-ओमान संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) का 10वां सत्र।
- 1-3 अगस्त, 2022 से भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति (एचपीजेटीसी) का पहला सत्र।
- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारतीय-बेलारूसी अंतर सरकारी आयोग का 11वां सत्र 10 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ
- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर 10वें भारत-किर्गिस्तान आईजीसी का आयोजन 3 नवंबर 2022 को हुआ।
- 2 दिसंबर, 2022 को आयोजित स्वास्थ्य बैठक पर 12वीं भारत-स्वीडन संयुक्त कार्य समूह।

12वें भारत-स्वीडन संयुक्त कार्य समूह के बाद भारत में स्वीडन के राजदूत के साथ औषध विभाग के अधिकारी

- 7 दिसंबर 2022 को भारत-स्वीडिश संयुक्त आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक सहयोग आयोग (जेसीईआईएससी)

तकनीकी/विशेषज्ञ समूह की बैठक का 20वां सत्र।

1.4.6 औषधि सहयोग के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए विदेश मंत्रालय/वाणिज्य विभाग/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में बहुपक्षीय कार्यक्रमों/मंचों में विभाग की भागीदारी:

- जी20 इंडोनेशियाई प्रेसीडेंसी
- ट्रिप्स छूट पर डब्ल्यूटीओ वार्ता
- ब्रिक्स और आईबीएसए की बैठकें
- विश्व आर्थिक मंच
- दुबई वर्ल्ड एक्सपो
- यूएस: ग्लोबल एक्शन प्लान
- इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क
- विदेश मंत्रालय/दुनिया भर में भारत के विभिन्न दूतावासों के नेतृत्व में विदेश कार्यालय परामर्श।

1.5 विभाग द्वारा कोविड-19 संबंधी की गई कार्रवाई

महामारी के दौरान कोविड-19 प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली दवाओं की सुचारू आपूर्ति के प्रबंधन की निगरानी के लिए अप्रैल 2021 के महीने में औषध विभाग (डीओपी) में एक कोविड औषधि प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीडीएमसी) की स्थापना की गई थी। सीडीएमसी में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के प्रतिनिधि भी हैं। दवा उत्पादन और उपलब्धता के आसपास के मुद्दों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की समीक्षा करने और प्राथमिकता देने के लिए समूह ने शुरू में दैनिक आधार पर बैठक की। महामारी की स्थिति में सुधार के साथ, सीडीएमसी की बैठकें अब समय-समय पर सचिव, औषध विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं।

समिति कोविड-19 दवाओं के बफर स्टॉक प्रबंधन के अंतर्गत चिन्हित दवाओं के उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करती है और विभिन्न प्रोटोकॉल दवाओं और उनके एपीआई की उपलब्धता और उत्पादन का भी जायजा लेती है। विनिर्माता-वार उत्पादन और सभी दवाओं के स्टॉक की स्थिति की निगरानी की जाती है और सीडीएससीओ द्वारा उनके एपीआई को एक नए डिजाइन किए गए सीडीएमएस पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है और सीडीएमसी द्वारा समीक्षा की जा रही है। दवा अनुमोदन, उत्पादन की अपेक्षित तिथि और संबंधित पहलुओं के संबंध में पैक्सलोविड के एपीआई और फार्मूलेशन विनिर्माताओं की तैयारी की स्थिति की भी समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। एनपीपीए द्वारा अपने पीएमआरयू और सीडीएससीओ के माध्यम से विभिन्न दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से विभिन्न दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

1.6 लंबित मामलों के निपटान (एससीडीपीएम) और स्वच्छता पर विशेष अभियान

1.6.1 लंबित मामलों के निपटान पर विशेष अभियान (एससीडीपीएम)

भारत सरकार ने दिनांक 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक विशेष अभियान 2.0 की घोषणा की, जिसमें सरकार में स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशेष अभियान 2.0 मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अतिरिक्त क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर अधिक केंद्रित था। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों में लंबित मामलों को कम करना और निर्णय लेने की दक्षता में वृद्धि करना है। वर्तमान वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया गया है:

क. पहचाने गए लंबित संदर्भों का निपटान

1. सांसदों से संदर्भ
2. संसदीय आश्वासन
3. आईएमसी संदर्भ (कैबिनेट प्रस्ताव)
4. राज्य सरकार संदर्भ
5. लोक शिकायत
6. पीएमओ संदर्भ

ख रिकॉर्ड प्रबंधन

ग सफाई और कार्यालय स्क्रैप निपटान

घ नियमों/प्रक्रियाओं को आसान बनाना

ङ लोक शिकायत अपील।

एससीडीपीएस 2.0 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक आयोजित किया गया था और अभियान के फोकस को ध्यान में रखते हुए, विभाग के सभी फील्ड/बाहरी कार्यालयों से जुड़े/अधीनस्थ कार्यालयों स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अभियान में भाग लिया। तदनुसार, शास्त्री भवन, जनपथ भवन और उद्योग भवन में विभाग के कार्यालयों के अतिरिक्त; अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, मोहाली और रायबरेली में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान(नाईपर), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने लंबित मामलों 2.0 के निपटान पर विशेष अभियान में भाग लिया।

विभाग में अभियान की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां सफाई अभियान (7021 साइटों) के लिए रिकॉर्ड संख्या में अभियान स्थलों पर सफाई अभियान चलाना, 6453 भौतिक फाइलों में से छंटाई करना, जो प्रारंभिक लक्ष्य का 158% था, दो सर्वोत्तम प्रथाओं की स्थापना करना अर्थात (i) समाप्त हो चुकी दवाओं का निपटान, (ii) देश भर में 7000 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की सफाई, कबाड़ का निपटान और राजस्व की कमाई और लोक शिकायत समाधान के खिलाफ शून्य अपील बनाए रखना। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में देश में अधिकतम स्वच्छता स्थलों की पहचान के मामले में औषध विभाग चौथे स्थान पर था।

अभियान स्थलों का विवरण और औषध विभाग में आयोजित सफाई अभियान की तस्वीरें नीचे दी गई हैं:

तालिका 1झ
(औषध विभाग के स्वच्छता अभियान स्थलों की सूची)

क्र.सं.	संगठन/संस्था का नाम	स्वच्छता अभियान स्थलों की संख्या
1.	औषध विभाग	3
2.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान(नाईपर)	5
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	4
4.	राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) और उनकी मूल्य निगरानी और अनुसंधान इकाइयाँ	8
5.	फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) और उनके 7000 पीएमबीजेपी केंद्र	7001
	कुल:	**7021**

औषध विभाग में सफाई अभियान - शास्त्री भवन, जनपथ भवन और उद्योग भवन

पहले	**बाद में**

कमरा नंबर 347, शास्त्री भवन

कमरा नंबर 348, शास्त्री भवन

कक्ष संख्या 25, शास्त्री भवन (प्रशासनिक प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण)

पीएसयू डिवीजन, उद्योग भवन में पुरानी फाइलों/रिकॉर्ड्स की छंटाई

जनपथ भवन में सफाई अभियान

ii. स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 सितंबर 2022 तक :

औषध विभाग ने 1-15 सितंबर, 2022 तक विभाग के सभी अनुभागों, इसके संबद्ध कार्यालय (एनपीपीए), सोसाइटी (पीएमबीआई), स्वायत्त निकायों - सभी नाईपर और पीएसयू में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। अभियान के दौरान उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान(नाईपर), हैदराबाद, फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), पुणे को पुरस्कार प्रदान किए गए।

1.7 आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)

i. हर घर तिरंगा कार्यक्रम :

आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के स्मरणोत्सव के एक भाग के रूप में, विभाग ने दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2022 तक “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम मनाया। विभाग में सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को कार्यक्रम

में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ध्वज संहिता की मुख्य विशेषताओं के साथ खादी में राष्ट्रीय ध्वज का प्रावधान किया गया था।

ii. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह:

जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 21 जून, 2022 को औषध विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई 2022) मनाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव को चिह्नित करने के लिए संबद्ध कार्यालय (एनपीपीए), स्वायत्त निकाय (नाईपर), पीएसयू (एचएएल, केएपीएल, बीसीपीएल) और पीएमबीआई ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

iii. कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव:

औषध विभाग ने दिनांक 24 अगस्त, 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कोविड टीकाकरण अभियान का आयोजन किया। टीकाकरण अभियान कर्मचारियों और उनके आश्रितों की भागीदारी के परिपेक्ष्य से एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि दिन के दौरान कुल 120 लोगों ने बूस्टर डोज टीकाकरण लिया।

1.8 औषध विभाग में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता पहल

पिछले एक वर्ष के दौरान, विभाग सहित संबद्ध कार्यालय, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को भी संवेदनशील बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। इस संबंध में, दिनांक 4 मई, 2022 को साइबर जागरुकता दिवस पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया और निम्नलिखित चार विषयों को शामिल किया गया:

1. साइबर अपराध और सुरक्षा
2. दैनिक जीवन में साइबर हाइजीन की अवधारणा और उपयोग
3. सामाजिक नेटवर्क का परिचय
4. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और उसमें सुरक्षा।

विभाग ने एनआईसी की आंतरिक टीम के माध्यम से एक सर्वेक्षण किया था और सभी कंप्यूटरों में एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर की स्थापना का कार्य पूरा किया था। साथ ही साइबर हाइजीन (हिंदी और अंग्रेजी में) क्या करें और क्या न करें और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अग्रेषित सरकार कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश को सभी नाईपर को वितरित किया गया था और इन्हें जागरूकता विनिर्माण के लिए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

1.9 लैंगिक संवेदनशीलता और महिला सशक्तिकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर वेबिनार का आयोजन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस मुद्दे पर संवेदनशील बनाने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से विभाग द्वारा दिनांक 2 अगस्त से 5 अगस्त, 2022 तक महिला कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह का आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभाग की सभी महिला कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को अपने दैनिक जीवन में बहुत उत्साहजनक और उपयोगी पाया।

अध्याय-2

कार्यकलाप एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1. औषध विभाग का अधिदेश
2.2. विजन
2.3. मिशन
2.4. संगठनात्मक ढांचा
2.5. संबद्ध कार्यालय
2.6. पंजीकृत सोसायटी
2.7. स्वायत्त संस्थान
2.8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय-2

कार्यकलाप एवं संगठनात्मक ढांचा

प्रस्तावना

2.1 औषध विभाग का अधिदेश

औषध विभाग को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 1 जुलाई, 2008 में सृजित किया गया था, जिसका उद्देशय देश में औषध क्षेत्र के विकास पर और अधिक ध्यान और जोर देना तथा दवाओं के मूल्य निर्धारण और वहनीय मूल्यों पर इसकी उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और औषध क्षेत्र से संबंधित अंतराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े विभिन्न जटिल मुद्दों को विनियमित करना था जिसके लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करना अपेक्षित था।

औषध विभाग को निम्नलिखित कार्य आबंटित किए गए हैं:

(i) औषध और भेषज, अन्य विभागों को विशेष रूप से आबंटित मदों के अतिरिक्त।
(ii) चिकित्सा उपकरण - संवर्धन, उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित उद्योग मुद्दे, अन्य विभागों को विशिष्ट रूप से आबंटित मुद्दों के अलावा
(iii) औषध क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और अन्य अनुसंधानों का संवर्धन और समन्वय।
(iv) औषध क्षेत्र के लिए अवसंरचना, जन शक्ति और कौशल विकास तथा संबंधित सूचना का प्रबंधन।
(v) औषध क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों में शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसमें भारत तथा विदेश में उच्च अनुसंधान और अध्येतावृतियां प्रदान करना और सूचना तथा तकनीकी मार्गदर्शन का आदान-प्रदान शामिल है।
(vi) औषध से संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
(vii) औषध अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें भारत और विदेश से संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य शामिल हैं।
(viii) विभाग को सौंपे गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में अंतर्क्षेत्रीय समन्वय जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय शामिल है।
(ix) औषध क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा से निपटने हेतु तकनीकी सहायता।
(x) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले, जिनमें मूल्य नियंत्रण/ मॉनीटरिंग से संबंधित कार्य शामिल हैं।
(xi) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (नाईपरों) से संबंधित सभी मामले।
(xii) विभाग से संबंधित सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा उनकी सहायता।
(xiii) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।
(xiv) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड।
(xv) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।
(xvi) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।
(xvii) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

विभाग का काम मुख्यतः मूल्य-निर्धारण, नीति, स्कीम, नाईपर, पीएसयू, एफडीआई, आईसी और चिकित्सा उपकरण प्रभागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है।

(सुश्री एस अपर्णा दिनांक 01.10.2020 से विभाग के सचिव का प्रभार संभाल रही है।)

2.2. विजन:

गुणवत्तायुक्त दवाइयों के लिए वैश्विक लीडर के रूप में भारतीय फार्मा का संवर्धन करना तथा देश में दवाइयों तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुगमता तथा वहनीयता सुनिश्चित करना।

2.3. मिशन:

- औषध क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए निवेश
- महत्वपूर्ण एपीआई एवं चिकित्सा उपकरणों में मेक इन इंडिया बनाना
- उद्योग का विस्तार, कुशलता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार
- स्थिर एवं प्रभावी मूल्य विनियमन और
- जन औषधि योजना का विस्तार करते हुए जेनेरिक दवाइयां

2.4. संगठनात्मक ढांचा:

विभाग की मुख्य गतिविधियाँ नीति-विनिर्माण, क्षेत्रीय योजना, औषधीय उद्योगों का संवर्धन और विकास हैं। विभिन्न औषधीय वस्तुओं के विनिर्माण में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कुछ अन्य संगठनों का प्रशासनिक और प्रबंधकीय नियंत्रण विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

2.4.1. विभाग की अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव, द्वारा की जाती है जिसे एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार एवं दो संयुक्त सचिवों द्वारा सहायता दी जाती है।

विभाग के पास विभिन्न अधिदेशित कार्यकलापों एवं उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए 14 प्रभाग हैं। 14 प्रभागों का सारांश एवं मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं:

(i) एकीकृत वित्तीय प्रभाग (आईएफडी)

व्यय नियंत्रण और प्रबंधन करना, व्यय का युक्तिकरण सुनिश्चित करना और मासिक/तिमाही समीक्षाओं के माध्यम से व्यय की नियमित निगरानी सहित व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार आर्थिक उपायों का अनुपालन तथा संबंधितों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। एफडीआई भी विभिन्न प्रभागों और व्यय विभाग के परामर्श में विभाग का बजट तैयार करता है।

(ii) मूल्य निर्धारण प्रभाग

प्रशासनिक/स्थापना बजटीय मामले/निधि जारी करने आदि सहित राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) से संबंधित सभी मामले; एनपीपीए आदेशों के विरूद्ध समीक्षा मामले; डीपीईए निधियों का प्रशासन; डीपीसीओ का प्रशासन और औषध मूल्य निर्धारण नीति एवं औषध मूल्य निर्धारण से संबंधित सभी मुद्दे।

(iii) नीति प्रभाग

औषध उद्योग के संवर्धन से संबंधित सभी नीतिगत मामले; अन्य विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त औषध उद्योग के सभी मामले; औषध उद्योग से प्राप्त सभी संदर्भ; वार्षिक बजट के लिए औषध के सभी कर संबंधित प्रस्ताव; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार; डब्ल्यूटीओ/एफटीए/डब्ल्यूएचओ/डब्ल्यूआईपीओ आदि से संबंधित सभी नीतिगत मामले; परियोजना विकास प्रकोष्ठ; फार्मा ब्यूरो से संबंधित मामले; बल्ड ड्रग पार्कों के संवर्धन के लिए योजना का कार्यान्वयन; यूसीपीएमपी से संबंधित सभी मामले।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पांच केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) से संबंधित सभी मामले।

(v) नाईपर प्रभाग

औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) से संबंधित सभी मामले, नाईपर अधिनियम का प्रशासन, अनुसंधान एवं विकास संबंधी मामले-बुनियादी संवर्धन एवं समन्वय, औषध एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र से संबंधित प्रयुक्त और अन्य अनुसंधान।

(vi) योजना प्रभाग

एपीआई/केएसएम और डीआई के लिए पीएलआई योजना का कार्यान्वयन; चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना का कार्यान्वयन; औषध के लिए पीएलआई योजना का कार्यान्वयन; औषध उद्योग योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्यान्वयन; औषध एवं चिकिस्ता उपकरण संवर्धन और विकास (पीएमपीडीएस) योजना का कार्यान्वयन, पीएमबीजेपी योजना का कार्यान्वयन।

(vii) चिकित्सा उपकरण प्रभाग

चिकित्सा उपकरण एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग से संबंधित सभी नीतिगत मामले; अन्य विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त चिकित्सा उपकरण उद्योग के सभी मामले; चिकित्सा उपकरण उद्योग से प्राप्त सभी संदर्भ; वार्षिक बजट के लिए चिकित्सा उपकरण के सभी कर से संबंधित प्रस्ताव; सार्वजनिक खरीद आदेश (मेक इन इंडिया), 2017 का कार्यान्वयन; चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन के लिए योजना का कार्यान्वयन; यूसीएमडीएमपी से संबंधित सभी मामले;

(viii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

फार्मा और चिकित्सा उपकरणों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सभी संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी) एवं समझौता ज्ञापनों से संबंधित सभी मामले।

(ix) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों का प्रसंस्करण और निगरानी।

(x) राजभाषा

भारत सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन जिसमें राजभाषा अधिनियम, 1963 के साथ-साथ राजभाषा (संघ के कार्यालयी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेश।

(xi) स्थापना एवं प्रशासनिक प्रभाग

स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), रोकड़ और प्रशासन संबंधी सभी मामले, कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक दैनिक वस्तुओं की खरीद वितरण, हाउसकीपिंग सेवाओं, एयर कंडिश्नर, फोटोकापियर सहित कार्यालय उपकरणों के रखरखाव से संबंधित सभी मामले, आदि वार्षिक रिपोर्ट की छपाई और अन्य कार्यक्रम-विशिष्ट बैनर, पोस्टर, स्टेंडी, आतिथ्य सेवाएं आदि। स्थापना औषध विभाग के अधिकारियों/पदाधिकारियों के सेवा संबंधी मामलों का कार्य करती है।

(xii) संसद और समन्वय

संसद से संबंधित सभी मामले और सभी आंतरिक और अंतर-मंत्रालयी कार्यों का समन्वय।

(xiii) सतर्कता प्रभाग

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ विचार-विमर्श सहित सतर्कता से संबंधित सभी मामले।

2.4.2 विभाग का संगठन ढांचा

समूह क के अधिकारियों में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और अन्य विभागों/उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं। समूह ख और ग में पदों पर प्रतिनियुक्ति ज्यादातर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर की जाती है।

औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगों के रोजगार की स्थिति

दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से है:-

तालिका-2क
(औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगों के रोजगार की स्थिति)

समूह	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	कार्यरत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांग
क	26	23	3	3	1	-
ख	48	24	4	0	7	-
ग	18	15	5	0	4	-
कुल	92	62	12	3	12	-

2.4.3 विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों को भरने की प्रगति की निगरानी भी करता है। (विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक 2क में दिया गया है)

2.5 संबद्ध कार्यालय:-

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

विभाग के संबद्ध कार्यालय एवं कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत अनुसूचित फार्म्युलेशनों के मूल्यों के निर्धारण एवं पुनरीक्षण के साथ-साथ डीपीसीओ के विभिन्न प्रावधानों की निगरानी एवं प्रवर्तन भी शामिल हैं। एनपीपीए औषध नीति में सरकार को दवाइयों की वहनीयता, उपलब्धता और सुगमता के मुद्दों पर इनपुट भी प्रदान करता है।

2.6 पंजीकृत सोसायटी:-

फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई)

इसे पहले ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) के रूप में जाना जाता था - दिनांक 1 दिसंबर 2008 को औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य औषध विभाग द्वारा आरंभ की गई जन औषधि योजना को लागू करने हेतु केंद्रित और सशक्त संरचना प्रदान करना है।

2.7. स्वायत्त संस्था

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

एसएएस नगर (मोहाली) में नाईपर की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई थी; तदनंतर संसद के अधिनियम, नाईपर अधिनियम, 1998 द्वारा संस्थान को सांविधिक मान्यता प्रदान की गई थी और राष्ट्रीय संस्थान के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में संवर्धक संस्थानों की मदद से छ: और नए नाईपर आरंभ किए गए।

2.8 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विभाग के पास अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। जो इस प्रकार हैं

(क) इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), गुड़गांव, हरियाणा

(ख) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड(एचएएल), पुणे, महाराष्ट्र

(ग) कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड(केएपीएल) बंगलौर, कर्नाटक

(घ) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड(बीपीसीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल

(ङ) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड(आरडीपीएल), जयपुर, राजस्थान

अनुलग्नक-2क

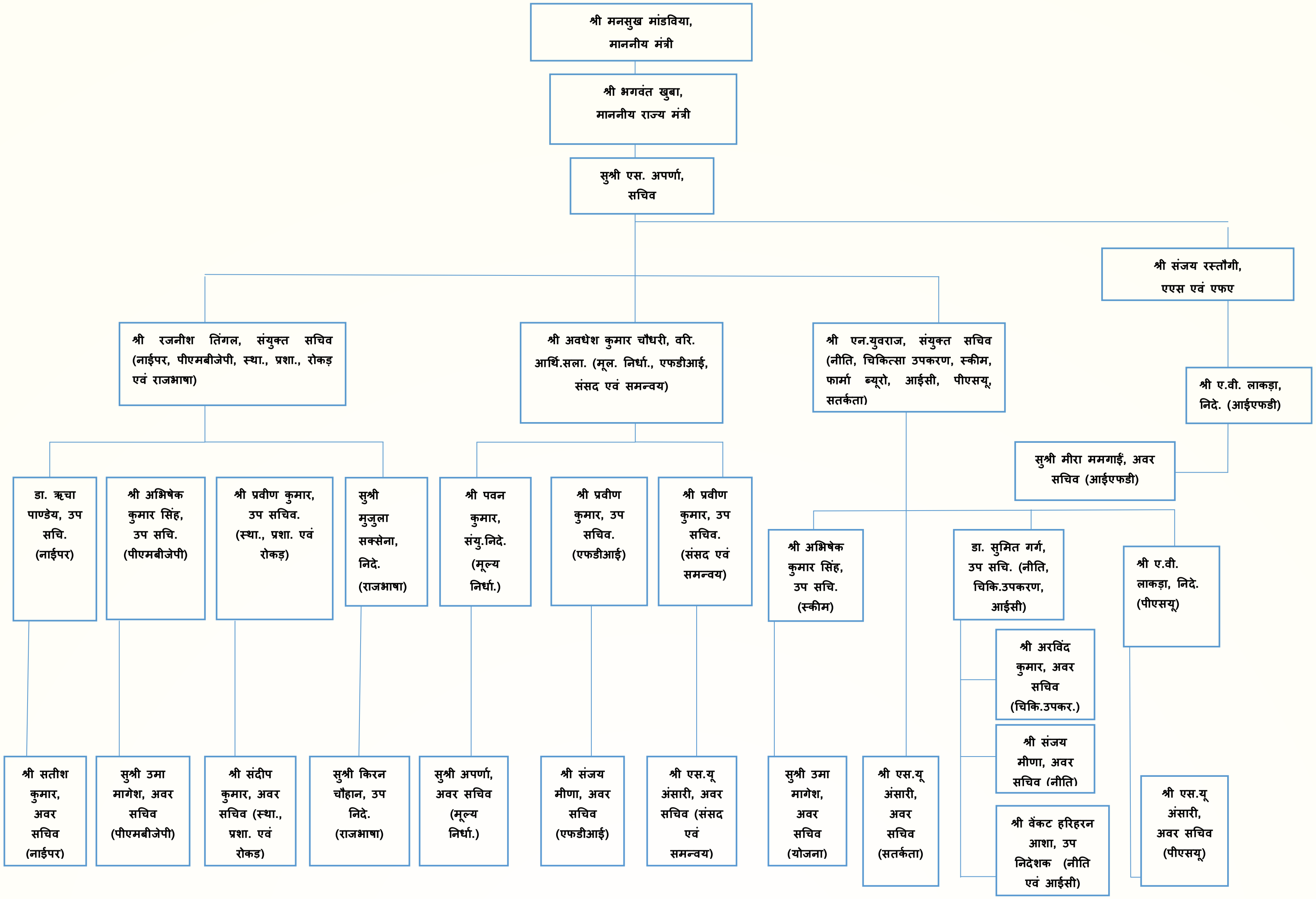
श्री मनसुख मांडविया, माननीय मंत्री
श्री भगवंत खुबा, माननीय राज्य मंत्री
सुश्री एस. अपर्णा, सचिव
श्री संजय रस्तौगी, एएस एवं एफए
श्री ए.वी. लाकड़ा, निदे. (आईएफडी)
सुश्री मीरा ममगाईं, अवर सचिव (आईएफडी)
श्री रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव (नाईपर, पीएमबीजेपी, स्था., प्रशा., रोकड़ एवं राजभाषा)
श्री अवधेश कुमार चौधरी, वरि. आर्थि.सला. (मूल. निर्धा., एफडीआई, संसद एवं समन्वय)
श्री एन.युवराज, संयुक्त सचिव (नीति, चिकित्सा उपकरण, स्कीम, फार्मा ब्यूरो, आईसी, पीएसयू, सतर्कता)
डा. ऋचा पाण्डेय, उप सचि. (नाईपर)
श्री अभिषेक कुमार सिंह, उप सचि. (पीएमबीजेपी)
श्री प्रवीण कुमार, उप सचिव. (स्था., प्रशा. एवं रोकड़)
सुश्री मुजुला सक्सेना, निदे. (राजभाषा)
श्री पवन कुमार, संयु.निदे. (मूल्य निर्धा.)
श्री प्रवीण कुमार, उप सचिव. (एफडीआई)
श्री प्रवीण कुमार, उप सचिव. (संसद एवं समन्वय)
श्री अभिषेक कुमार सिंह, उप सचि. (स्कीम)
डा. सुमित गर्ग, उप सचि. (नीति, चिकि.उपकरण, आईसी)
श्री ए.वी. लाकड़ा, निदे. (पीएसयू)
श्री अरविंद कुमार, अवर सचिव (चिकि.उपकर.)
श्री संजय मीणा, अवर सचिव (नीति)
श्री वेंकट हरिहरन आशा, उप निदेशक (नीति एवं आईसी)
श्री सतीश कुमार, अवर सचिव (नाईपर)
सुश्री उमा मागेश, अवर सचिव (पीएमबीजेपी)
श्री संदीप कुमार, अवर सचिव (स्था., प्रशा. एवं रोकड)
सुश्री किरन चौहान, उप निदे. (राजभाषा)
सुश्री अपर्णा, अवर सचिव (मूल्य निर्धा.)
श्री संजय मीणा, अवर सचिव (एफडीआई)
श्री एस.यू अंसारी, अवर सचिव (संसद एवं समन्वय)
सुश्री उमा मागेश, अवर सचिव (योजना)
श्री एस.यू अंसारी, अवर सचिव (सतर्कता)
श्री एस.यू अंसारी, अवर सचिव (पीएसयू)

अध्याय-3

कार्यक्रम संबंधी कार्यकलाप

3.1 उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं

3.2 औषध उद्योग के विकास के लिए एकछत्र योजना

3.3 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध कार्यकलाप

3.4 फार्मा ब्यूरो

अध्याय-3

कार्यक्रम संबंधी कार्यकलाप

- **केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं**

विभाग के पास पाँच केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं, नामतः (क) प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी), (ख) उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम), (ग) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) और (घ) एकछत्र योजना, औषध उद्योग का विकास (ङ) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त सोसाइटी, भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) के माध्यम से पीएमबीजेपी योजना कार्यान्वित की जा रही है। विभाग के एक संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के माध्यम से सीएपीपीएम को कार्यान्वित किया जाता है। शेष योजनाएं नामत: नाईपर योजना, पीएलआई योजनाएं और औषध उद्योग का विकास को सीधे विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। प्रत्येक योजना का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

3.1 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं

विभाग भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुल 14 पीएलआई योजनाओं में से तीन पीएलआई योजनाओं को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में लागू करता है और यह निम्नानुसार हैं:

- भारत में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआईएस)/सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए पीएलआई योजना
- चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए पीएलआई योजना
- औषध के लिए पीएलआई योजना

उप-योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश विभाग की वेबसाइट https://pharmaceuticals.gov.in/schemes पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त सभी तीन पीएलआई योजनाओं को समय-सीमा के अनुसार वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने और थोक दवाओं, औषध और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है।

3.1.1. भारत में महत्वपूर्ण केएसएम/डीआईएस/एपीआई के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए पीएलआई योजना

भारत सरकार ने 20 मार्च, 2020 को आत्मनिर्भरता बढ़ाने और महत्वपूर्ण एपीआई में आयात निर्भरता को कम करने के लिए "महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना" को अनुमोदन प्रदान किया था। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करके चिह्नित केएसएम, ड्रग इंटरमीडिएट्स और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है और इस तरह महत्वपूर्ण एपीआई में भारत की आयात निर्भरता को कम करना है। योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रारंभ में दिशा-निर्देश 27.07.2020 को जारी किए गए थे। हालाँकि, निवेशकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर दिशानिर्देशों को 29.10.2020 को संशोधित किया गया था।

इस योजना में निम्नलिखित चार श्रेणियों के अंतर्गत 41 उत्पाद शामिल हैं-

i. लक्ष्य खंड I - प्रमुख किण्वन आधारित केएसएम/डीआई

ii. लक्ष्य खंड II - प्रमुख किण्वन आधारित आला केएसएम/ डीआई

iii. लक्ष्य खंड III - रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/डीआई

iv. लक्ष्य खंड IV - अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/डीआई/एपीआई

कुल वित्तीय परिव्यय 6,940 करोड़ रुपए के साथ योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से 2029-30 तक है। योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन 41 चिह्नित उत्पादों की बिक्री पर छह (06) वर्षों के लिए निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जाएगा:

i. किण्वन आधारित उत्पादों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रोत्साहन 20%, 2027-28 के लिए प्रोत्साहन 15% और 2028-29 के लिए प्रोत्साहन 5% होगा।

ii. रासायनिक संश्लेषण आधारित उत्पादों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए प्रोत्साहन 10% होगा।

सरकार को योजना से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश से चार लक्षित खंडों में फैले 41 उत्पादों के लिए कुल 249 आवेदन प्राप्त हुए थे। 4,138.41 करोड़ रुपये के कुल प्रतिबद्ध निवेश के साथ 249 में से, 51 आवेदनों को मंजूरी दी गई है और इससे लगभग 10,598 लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। सितंबर 2022 की तिमाही समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) के अनुसार निवेश के संबंध में परियोजनाओं/संयंत्रों की स्थिति तालिका-3क में दर्शायी गई है।

तालिका 3क

(परियोजनाओं/संयंत्रों की स्थिति: सितंबर 2022 के क्यूआरआर के अनुसार निवेश)

क्र.सं.	लक्ष्य खंड	कुल आवेदकों को दी गई मंजूरी	कुल प्रतिबद्ध निवेश (रुपए करोड़ में)	सितंबर 2022 तक वास्तविक निवेश# (रुपए करोड़ में)	सितंबर 2022 तक वास्तविक रोजगार# (व्यक्तियों की संख्या)
1	क. प्रमुख किण्वन आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती	4	2299.17	502.29	420
2	ख. किण्वन आधारित आला केएसएम/ औषधि मध्यवर्ती /एपीआई	6	500.27	50.45	113
3	ग. प्रमुख रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/ औषधि मध्यवर्ती	6	459.37	218.37	192
4	घ. अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/डीआई	35	879.60	936.26	1182
कुल		**51**	**4,138.41**	**1,707.37**	**1,907**

 # 2 परियोजनाओं के लिए वास्तविक निवेश अद्यतित नहीं किया गया है क्योंकि आवेदक, बैंक गारंटी जमा करने की प्रक्रिया में हैं और 1 आवेदक ने योजना से नाम वापस ले लिया है

3.1.2 चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना

घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद में बाधाएं, वित्त की उच्च लागत, गुणवत्ता वाली बिजली की अपर्याप्त उपलब्धता, सीमित डिजाइन क्षमताएं और अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास पर कम निवेश सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अन्य प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में इन कुछ चुनौतियों का समाधान करने की दृष्टि से 'चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण का संवर्धन के लिए पीएलआई योजना' को 20

मार्च, 2020 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश दिनांक 29.10.2020 को जारी किए गए थे।

यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू होती है और इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। 3,420 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक है। योजना के अंतर्गत चयनित कंपनियों को भारत में विनिर्मित चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री के 5% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा और पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए योजना के लक्षित खंडों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 3ख

(योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन का विवरण)

आवेदक की श्रेणी	संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन की दर	प्रोत्साहन दर
श्रेणी क	वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27	5% प्रति आवेदक 121 करोड़ रुपये तक सीमित
श्रेणी ख	वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27	5% प्रति आवेदक 40 करोड़ रुपये तक सीमित

योजना के अंतर्गत उत्पादों को निम्नलिखित चार लक्ष्य खंडों के तहत वर्गीकृत किया गया है -

i. कैंसर देखभाल/रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण

ii. रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद दोनों) और न्युक्लिर इमेजिंग उपकरण

iii. कार्डियो रेस्पिरेटरी कैटेगरी के कैथेटर और रीनल केयर चिकित्सा उपकरण सहित एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-रेस्पिरेटरी चिकित्सा उपकरण

iv. इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी इम्प्लांट्स

योजना के अंतर्गत कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 21 आवेदनों को 1,058.97 करोड़ रुपये के कुल प्रतिबद्ध निवेश के साथ मंजूरी दी गई है और इससे लगभग 6,411 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। सितंबर 2022 की तिमाही समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) के अनुसार निवेश के संबंध में परियोजनाओं/संयंत्रों की स्थिति निम्नलिखित तालिका-3ग में दर्शायी गई है:

तालिका-3ग

(सितंबर 2022 की तिमाही समीक्षा रिपोर्ट क्यूआरआर के अनुसार निवेश)

क्र.सं.	लक्ष्य खंड	कुल आवेदकों को दी गई मंजूरी	कुल प्रतिबद्ध निवेश (रुपए करोड़ में)	सितंबर 2022 तक वास्तविक निवेश# (रुपए करोड़ में)	सितंबर 2022 तक वास्तविक रोजगार# (व्यक्तियों की संख्या)
1	प्रमुख किण्वन आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती	4	2299.17	502.29	420
2	किण्वन आधारित आला केएसएम/ औषधि मध्यवर्ती /एपीआई	6	500.27	50.45	113

3	प्रमुख रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/ औषधि मध्यवर्ती	6	459.37	218.37	192
4	अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/डीआई	35	879.60	936.26	1182
	कुल	**51**	**4,138.41**	**1,707.37**	**1,907**

 # चरण- III आवेदन करने की विंडो श्रेणी ख चिकित्सा उपकरणों के लिए 21 नवंबर 2022 को बंद हो गई है

3.1.2 औषध के लिए पीएलआई योजना

दिनांक 24.02.2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और औषध क्षेत्र में उच्च मूल्य वाले सामानों के लिए उत्पाद विविधीकरण में योगदान करके भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से मंजूरी दी थी। परिचालन दिशानिर्देश 01.06.2021 को जारी किए गए हैं।

इस योजना में निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत औषध वस्तुएं शामिल हैं-

- **श्रेणी 1:** बायोफार्मास्यूटिकल्स; काम्पेल्क्स जेनेरिक दवाएं; पेटेंट वाली दवाएं या पेटेंट की समाप्ति के करीब आने वाली दवाएं; सेल-आधारित या जीन थेरेपी दवाएं; ऑर्फ़न दवाएं; एचपीएमसी, पुलुलान, एंटेरिक आदि जैसे विशेष खाली कैप्सूल; जटिल एक्सिपीएंट; फाइटो-फार्मास्यूटिकल्स; अन्य अनुमोदित दवाएं।
- **श्रेणी 2:** सक्रिय औषध सामग्री / प्रमुख प्रारंभिक सामग्री / औषधि मध्यवर्ती ("महत्वपूर्ण केएसएम / डीआई / एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत पहले से ही कवर किए गए 41 उपयुक्त उत्पादों को छोड़कर")।
- **श्रेणी 3:** (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत शामिल न होने वाली दवाएं): दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं; ऑटो इम्यून दवाएं, कैंसर-रोधी दवाएं, एंटी-डायबिटिक दवाएं, एंटी-इंफेक्टिव दवाएं, कार्डियोवास्कुलर दवाएं, साइकोट्रोपिक दवाएं और एंटी-रेट्रोवायरल दवाएं; इन विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरण; अन्य स्वीकृत दवाएं; अन्य दवाएं जो भारत में विनिर्मित नहीं होती हैं।

योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10%, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8% और वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए 6% की दर से चयनित प्रतिभागियों को 6 साल की अवधि के लिए वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। तीन समूहों अर्थात् समूह क (5000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वैश्विक विनिर्माण राजस्व के साथ), समूह ख (500 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वैश्विक विनिर्माण राजस्व के साथ) और समूह ग (500 करोड़ रुपये से कम के वैश्विक विनिर्माण राजस्व के साथ) को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3घ

(प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा)

समूह	प्रति आवेदक प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा	प्रति आवेदक अतिरिक्त प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा, यदि कोई हो	समूह के लिए कुल प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा
क	1000 करोड़	200 करोड़	11000 करोड़
ख	250 करोड़	50 करोड़	2250 करोड़
ग	50 करोड़	10 करोड़	1750 करोड़

तालिका 3ड.
(श्रेणीवार प्रोत्साहन दर और अवधि)

उत्पाद श्रेणी	प्रोत्साहन दर	प्रोत्साहन अवधि
1 और 2: बायोफार्मा, फाइटो-फार्मास्यूटिकल्स, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक दवाएं, पेटेंटेड दवाएं, सेल-बेस्ड या जीन थेरेपी दवाएं, कॉम्प्लेक्स एक्सिपीएंट, ऑर्फन दवाएं, एपीआई/केएसएम/डीआई, एसपीएमसी जैसे विशेष कैप्सूल आदि।	10% (पहले 4 वर्ष), 8% (5वां वर्ष) और 6% (6वां वर्ष)	2022-23 से 2027-28
3: पुनरुद्देशित दवाएं, ऑटो-प्रतिरक्षा दवाएं, कैंसर-रोधी दवाएं, मधुमेह-रोधी दवाएं, संक्रमण-रोधी दवाएं, हृदय संबंधी दवाएं, साइकोट्रोपिक दवाएं और एंटी-रेट्रोवायरल दवाएं, आईवीडी डिवाइस आदि।	5% (पहले 4 वर्ष), 4% (5वां वर्ष) और 3% (6वां वर्ष)	2022-23 से 2027-28

योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है और योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2028-29 तक है। योजना के अंतर्गत दिनांक 31.08.2021 तक उद्योग से आवेदन मंगवाए गए थे। कुल 271 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 20 एमएसएमई सहित योजना के अंतर्गत पच्चपन (55) आवेदकों का चयन किया गया है। इस योजना से औषध क्षेत्र में 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने की भी उम्मीद है।

फार्मा उद्योग को सहयोग, सेल और जीन थेरेपी से लेकर फाइटो-फार्मास्यूटिकल्स तक की उत्पाद श्रेणियों में फैला हुआ है। पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत सहायता से देश में उच्च मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन के संवर्धन और निर्यात में मूल्य वृद्धि के साथ-साथ कुशल और अकुशल दोनों कार्मिकों के लिए रोजगार सृजित करने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में वृद्धि के परिणामस्वरूप 20,000 प्रत्यक्ष और 80,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2027-28 तक छह वर्षों के दौरान 2,94,000 करोड़ रुपये की कुल वृद्धिशील बिक्री का अनुमान है। सितंबर 2022 की तिमाही समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) के अनुसार परियोजनाओं/संयंत्रों में निवेश की स्थिति को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है

तालिका 3च
(सितंबर 2022 के क्यूआरआर के अनुसार निवेश)

क्रम संख्या	आवेदकों की श्रेणी	कुल आवेदकों को दी गई मंजूरी	कुल प्रतिबद्ध निवेश (रुपए करोड़ में)	सितंबर 2022 तक वास्तविक निवेश रुपए करोड़ में)*	प्रस्तावित एमएफजी स्थानों की संख्या	शुरू किए गए एमएफजी स्थानों की संख्या	आर एंड डी स्थानों की संख्या
1	**समूह क (औषध)**	11	11000	9014	152	126	14
2	**समूह ख (औषध)**	9	2250	3450	63	58	9
3	**समूह ग (गैर-एमएसएमई)**	14	700	1215	37	31	5
4	**समूह ग (एमएसएमई)**	16	3311	1385	44	36	1
5	**समूह ग - आईवीडी**	5	164	100	13	10	2
कुल		**55**	**17,425**	**15,164**	**309**	**261**	**31**

*निवेश आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं। 55 आवेदकों में से 45 आवेदकों ने क्यूआरआर रिपोर्ट जमा कर दी है।

3.2 औषध उद्योग के विकास के लिए एकछत्र योजना

औषध उद्योग (डीपीआई) के विकास के लिए एकछत्र योजना के अंतर्गत विभाग केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू करता है, नामतः तीन उप-योजनाओं के साथ 'औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण' (500 करोड़ रुपये) और दो पार्क योजनाओं {एक थोक दवाओं के लिए (3000 करोड़ रुपये) और अन्य चिकित्सा उपकरण के लिए (400 करोड़ रुपये)}। इसका उद्देश्य घरेलू औषध और मेडटेक उद्योग की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है ताकि उन्हें वैश्विक बाजार में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाया जा सके और बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए गुणवत्तापूर्ण औषध और चिकित्सा उपकरणों की पहुंच, उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित किया जा सके।

3.2.1 थोक औषधि पार्कों के संवर्धन की योजना

देश में थोक औषधि पार्कों की स्थापना के संवर्धन की योजना को 20 मार्च, 2020 को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना में पार्कों में स्थित बल्क ड्रग इकाइयों के लिए विश्व स्तरीय साझा बुनियादी सुविधाओं के विनिर्माण की परिकल्पना की गई है। पार्कों में स्थित थोक औषधि इकाइयों तक ऐसी सुविधाओं की आसान पहुंच से उनकी विनिर्माण लागत में कमी आएगी और घरेलू थोक औषधि उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। यह योजना स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देकर आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगी और भारतीय थोक दवा उद्योग को वैश्विक अग्रणी बनाने में सुविधा प्रदान करेगी।

- इस योजना के अंतर्गत साझा बुनियादी सुविधाओं (सीआईएफ) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे (i) केंद्रीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) (ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (iii) स्टॉर्म जल निकासी नेटवर्क (iv) कॉमन सॉल्वेंट स्टोरेज सिस्टम, सॉल्वेंट रिकवरी और डिस्टिलेशन संयंत्र (v) साझा वेयरहाउस (vi) फैक्ट्री गेट पर आवश्यक ट्रांसफॉर्मर के साथ समर्पित पावर सब-स्टेशन और वितरण प्रणाली (vii) कच्चा, पीने योग्य और डिमिनरलाइज्ड पानी (viii) स्टीम जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली (ix) कॉमन कूलिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (x) कॉमन लॉजिस्टिक्स (xi) उन्नत प्रयोगशाला परीक्षण केंद्र, माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला और स्टेबिलिटी चेंबर्स सहित एपीआई की जटिल परीक्षण/अनुसंधान आवश्यकताओं के लिए भी उपयुक्त (xii) आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (xiii) सुरक्षा/खतरनाक संचालन ऑडिट केंद्र और (xiv) राज्य सरकार/राज्य निगम द्वारा प्रचारित किसी भी थोक औषधि पार्क में उत्कृष्टता केंद्र आदि।
- योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3000 करोड़ रुपये है। योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक है। चयनित थोक औषधि पार्क के लिए वित्तीय सहायता साझा अवसंरचना सुविधाओं की परियोजना लागत का 70% होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख) के मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90% होगी। योजना के अंतर्गत एक थोक औषधि पार्क के लिए अधिकतम सहायता 1000 करोड़ रुपए तक सीमित होगी।
- गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य को उनके प्रस्तावित थोक औषधि पार्कों में साझा बुनियादी सुविधाओं के विनिर्माण के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए योजना के अंतर्गत चुना गया था।

आंध्र प्रदेश की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं यह हैं:

- कुल परियोजना लागत- 1635.98 करोड़ रुपये
- क्षेत्र: 2000.46 एकड़
- इस योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझा बुनियादी सुविधाओं में सड़कें, जल निकासी, सीमा, हरित क्षेत्र, जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल परिवहन नेटवर्क प्रणाली-एचटीडीआईएस और एलटीआईएस (सीईटीपी) और उपचार प्रणाली, समुद्री बहिर्वाह, बिजली आपूर्ति, वितरण सहित भाप सह-उत्पादन संयंत्र, कॉमन सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कॉमन सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम, भंडारण और सामान्य रसद, विश्लेषणात्मक परीक्षण प्रयोगशाला, उत्कृष्टता केंद्र आदि शामिल हैं।

गुजरात की सीआईएफ परियोजना की मुख्य यह विशेषताएं हैं: -

- कुल परियोजना लागत - 2507.02 करोड़ रुपये
- क्षेत्र: 2015.02 एकड़
- इस योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझा अवसंरचना सुविधाओं में भाप उत्पादन और आपूर्ति, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी), उत्कृष्टता केंद्र, सॉल्वेंट रिकवरी सुविधा, उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाएं (टीएसडीएफ), कच्चे पानी की आपूर्ति और अपशिष्ट संग्रह पाइपलाइन, सड़कों और आंतरिक नालों का बुनियादी ढाँचा, समुद्री निर्वहन और बिजली के बुनियादी ढाँचे का सामान्य बुनियादी ढाँचा शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश की सीआईएफ परियोजना की यह मुख्य विशेषताएं हैं: -

- कुल परियोजना लागत - 1923 करोड़ रुपये
- क्षेत्र: 1405.41 एकड़
- योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझा बुनियादी सुविधाओं में जेडएलडी 5 एमएलडी के साथ साझा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट संयंत्र, ठोस कचरा प्रबंधन, स्टॉर्म वाटर निकासी नेटवर्क, साझा सॉल्वेंट स्टोरेज प्रणाली, सॉल्वेंट रिकवरी और डिस्टिलेशन संयंत्र, साझा भण्डारण, समर्पित पावर सब-स्टेशन, स्टीम उत्पादन और वितरण प्रणाली, कच्चा, पीने योग्य और डिमिनरलाइज्ड पानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र, सुरक्षा/खतरनाक संचालन लेखा परीक्षा केंद्र, आंतरिक सड़क नेटवर्क, उन्नत प्रयोगशाला परीक्षण केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र आदि शामिल हैं।

3.2.2 चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन

विभाग ने आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड), आंध्र प्रदेश की उप-योजना "सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता" के अंतर्गत परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। सुपरकंडक्टिंग मैग्नेटिक कॉइल परीक्षण एवं अनुसंधान सुविधा के लिए साझा सुविधा केंद्र के विकास हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। विभाग ने एएमटीजेड को 22.49 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा विकसित किए जा रहे चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझा सुविधा केंद्र के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना को अब "चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन" करने के लिए संशोधित किया गया है।

चिकित्सा उपकरण पार्क योजना को बढ़ावा देने का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण पार्कों में विश्व स्तरीय साझा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और प्रयोगशाला सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है। इससे उत्पादन की लागत कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और वहनीयता में सुधार करने में सहायता मिलेगी, जिससे चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। योजना के दिशानिर्देश 27 जुलाई 2020 को जारी किए गए थे।

यह योजना चिकित्सा उपकरण पार्कों को अधिकतम 100 करोड़ रुपए प्रति पार्क या साझा बुनियादी सुविधाओं की परियोजना लागत का 70%, जो भी कम हो, के साथ अनुदान सहायता प्रदान करती है। सरकार ने चार चिकित्सा उपकरण पार्कों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए साझा बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। पार्कों के पूरा होने की अपेक्षित तिथि जून, 2024 है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 30 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान की पहली किश्त चार राज्यों में से प्रत्येक को जारी की गई हैं।

3.2.3 औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण (एसपीआई)

औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने दिनांक 11.3.2022 को वित्तीय वर्ष 21-22 से वित्तीय वर्ष 25-26 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ "औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण"

(एसपीआई) योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह योजना देश भर में मौजूदा फार्मा क्लस्टर्स और एमएसएमई की उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार के लिए सहयोग की बढ़ती मांग को पूरा करेगी। "औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण" (एसपीआई) योजना का उद्देश्य भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है।

यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल हैं:

- साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)
- औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)
- औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)

i. **सामान्य सुविधाएं बनाने के लिए मौजूदा औषध क्लस्टर की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)** को सहायता प्रदान की जाती है। इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि क्लस्टरों में इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

ii. **औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)** का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी या अनुसूची-एम) को पूरा करने के लिए सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम फार्मा उद्यमों (एमएसएमई) को सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे उद्यमों के ऋणों पर ब्याज अनुदान या पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो इन इकाइयों की मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता में वृद्धि की सुविधा प्रदान करती है; और

iii. **अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रमों, डेटाबेस के निर्माण और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के वृद्धि और विकास को सुगम बनाने के लिए औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)।**

उपरोक्त तीन उप-योजनाएं 'औषध उद्योग के विकास' (डीपीआई) के लिए योजना के हिस्से के रूप में औषध विभाग में पहले से ही स्वीकृत की गई हैं। अब प्रभावी हस्तक्षेप के लिए हितधारक परामर्श के बाद औषध विभाग ने योजना दिशानिर्देशों में संशोधन के साथ उपरोक्त योजनाओं को 'औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण (एसपीआई)' नामक एक योजना में शामिल किया है। एसपीआई योजना के लिए एसआईडीबीआई को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह उम्मीद की जाती है कि इस योजना के अंतर्गत समर्थित इकाइयां फार्मा क्लस्टर्स और एमएसएमई फार्मा उद्योग के लिए प्रदर्शन फर्म के रूप में कार्य करेंगी, और उन्हें गुणवत्ता में सुधार करने और इकाइयों के तकनीकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

फार्मा क्षेत्र के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी-पीएस) नामक पहले की योजना, जिसका नाम बदलकर अब साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ) कर दिया गया है, के तहत चेन्नई फार्मा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कंपनी (सीपीआईआईयूसी) की एक परियोजना अर्थात अलाथुर, तमिलनाडु में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की स्थापना पूरी कर ली गई है। परियोजना की कुल लागत 11.02 करोड़ रुपये थी (जीएसटी लागू होने के कारण 10.59 करोड़ रुपये से संशोधित)। इसके अतिरिक्त दो और परियोजना प्रस्तावों को दिनांक 31.3.2021 को अंतिम स्वीकृति दी गई, जैसे:

i. 31.44 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना लागत पर पुणे, महाराष्ट्र में सामान्य सुविधा केंद्र के निर्माण के लिए इंडुकेयर फार्मास्युटिकल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन (आईपीआरएफ) का प्रस्ताव। परियोजना के एसपीवी (आईपीआरएफ) को तीन किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

ii. 7.20 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ काला अंब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (केआईडीसी) का औद्योगिक क्षेत्र कला अम्ब तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) स्थापित करने का प्रस्ताव। परियोजना के एसपीवी (आईपीआरएफ) को तीन किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

चित्रों/तस्वीरों के माध्यम से स्थल पर ली गई परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:

क. चेन्नई फार्मा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कंपनी (सीपीआईआईयूसी)

Final Product
RAW Inlet Effluent

ULTRA FILTRATION UF 101B
ULTRA FILTRATION UF 101A

ख. कला अंब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (केआईडीसी)

4 सी- इक्वलायिज़ेशन टैंक

9ई- पीएच- न्यूट्रलायीजेशन टैंक

5सी- अनोक्सिक चैम्बर

प्रयोगशाला/ कार्यालय कक्ष

2सी- बार स्क्रीन चैम्बर

3सी - ग्रीट चैम्बर मैकेनिकल

0.15 एमएलडी

4ई-फ्लेश मिक्सर

5ई - रिएक्शन चैम्बर

6ई - प्राइमरी सेटिंग टैंक

ग.	इंदुकेयर फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन (आईपीआरएफ)

नई उप-योजना साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ) के लिए औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण (एसपीआई) योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए आवेदन विंडो खोली गई थी। सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 20 आवेदन/परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पहली योजना संचालन समिति (एसएससी) की बैठक अक्टूबर 2022 में हुई थी। एसएससी ने पाया कि 20 आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों में से 17 आवेदन/परियोजना प्रस्ताव योजना के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए उपयुक्त थे। इन 17 आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों में से 7 आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उनसे दिनांक 15.12.2022 तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीआरपी) जमा करने का अनुरोध किया गया है। आगे की जांच और अनुमोदन के लिए परियोजनाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस उप-योजना) के अंतर्गत 60 से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए हैं। प्रचार प्रसार कार्यक्रम विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार हैं:

तालिका 3छ

(विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित प्रचार प्रसार कार्यक्रम)

क्रम संख्या	दिनांक	स्थान	भागीदारी संगठन	आयोजन का विषय
1.	21/07/22	दिल्ली	सीआईआई	माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा योजना और औषध उद्योग के सुदृढ़ीकरण (एसपीआई) योजना की विभिन्न उप-योजनाओं पर राष्ट्रीय स्तर के प्रसार कार्यक्रम का प्रमोचन।
2.	5/08/22	अहमदाबाद	आईडीएमए	गुजरात राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम
3.	6/08/22	बेंगलुरु	कर्नाटक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन	कर्नाटक राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम
4.	10/08/22	जयपुर	पीएचडीसीसीआई	राजस्थान राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम
5.	12/08/22	मुंबई	आईडीएमए	महाराष्ट्र राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम
6.	12/08/22	चंडीगढ़	पीएचडीसीसीआई	पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश - चंडीगढ़ के लिए राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम
7.	20/08/22	हैदराबाद	बीडीएमए	तेलंगाना राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम

8.	27/08/22	विशाखापत्तनम	बीडीएमए	आंध्र प्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम
9.	27/08/22	हरिद्वार	सीआईआई	उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम
10.	30/08/22	बद्दी, एच.पी.	लघु उद्योग भारती	हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम। इस प्रसार कार्यक्रम में माननीय राज्य मंत्री जी उपस्थित थे।
11.	13/09/22	चेन्नई	एफआईसीसीआई	तमिलनाडु राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम
12.	17/10/22	वीडियो कांफ्रेंस	एसआईडीबीआई	सचिव, औषध विभाग द्वारा एसपीआई योजना की उप-योजना पीटीयूएएस के लिए वर्चुअल प्रसार कार्यक्रम, आयोजित किया गया, जिसमें राज्य औषधि नियंत्रक और उद्योग विभाग, राज्य स्तरीय फार्मा विनिर्माण संघ और सीडीएससीओ सहित, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर जैसे उत्तरी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के उनके क्षेत्रीय कार्यालय, शामिल है
13.	15/11/2022	वीडियो कांफ्रेंस	एसआईडीबीआई	सचिव, औषध विभाग द्वारा एसपीआई योजना की उप-योजना पीटीयूएएस के लिए वर्चुअल प्रसार कार्यक्रम, आयोजित किया गया, जिसमें राज्य औषधि नियंत्रक और उद्योग विभाग, राज्य स्तरीय फार्मा विनिर्माण संघ और सीडीएससीओ सहित, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, गोवा और दादरा और नगर हवेली जैसे पश्चिमी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के उनके क्षेत्रीय कार्यालय शामिल है
14.	25/11/2022	वीडियो कांफ्रेंस	एसआईडीबीआई	सचिव, औषध विभाग द्वारा एसपीआई योजना की उप-योजना पीटीयूएएस के लिए वर्चुअल प्रसार कार्यक्रम, आयोजित किया गया, जिसमें राज्य औषधि नियंत्रक और उद्योग विभाग, राज्य स्तरीय फार्मा विनिर्माण संघ और सीडीएससीओ सहित, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जैसे दक्षिणी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय कार्यालय औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण (एसपीआई) शामिल है

आयोजनों की तस्वीरें इस प्रकार हैं:

1. बद्दी का कार्यक्रम

2. मुंबई का कार्यक्रम

3. **हरिद्वार का कार्यक्रम**

4. **चेन्नई का कार्यक्रम**

5. **जयपुर का कार्यक्रम**

iii. साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता

विभाग ने आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड), आंध्र प्रदेश की परियोजना को "साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता" नामक उप-योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। सुपरकंडक्टिंग मैग्नेटिक कॉइल परीक्षण और अनुसंधान सुविधा के लिए साझा सुविधा केंद्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। विभाग ने एएमटीजेड को 22.49 करोड़ रुपये की तीन अनुदान सहायता किस्तें जारी की हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा विकसित किए जा रहे चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझा सुविधा केंद्र के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का नाम संशोधित करके अब "चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन" कर दिया गया है।

3.3 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध कार्यक्रम

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना और चिकित्सा उपकरण पार्क योजनाओं आदि जैसे उपरोक्त वर्णित प्रोग्रामेटिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त औषध विभाग चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अन्य योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

क. सार्वजनिक खरीद में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता

औषध विभाग सार्वजनिक खरीद में खरीद वरीयता प्रदान करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आदेश के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश दिनांक 16.09.2020 के अनुसार विभाग ने दिनांक 16.02.2021 को चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के आदेश के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसी संबंध में विभाग ने दिनांक 30.12.2020 को औषध क्षेत्र के लिए जारी आदेश के क्रियान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

विभाग ने आदेश दिनांक 16.02.2021 और 25.03.2021 के माध्यम से पीपीओ आदेश दिनांक 16.09.2020 के पैरा 3 (क) के अंतर्गत क्रमशः 135 और 19 चिकित्सा उपकरणों को भी अधिसूचित किया है, जहां कहीं भी देश में पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है। इससे इन अधिसूचित चिकित्सा उपकरणों की खरीद केवल "श्रेणी-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं" से ही हो सकेगी।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न केंद्रीय खरीद एजेंसियों को चिकित्सा उपकरणों के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने में भी मुश्किल हो रही है, जिनके लिए कोई स्थानीय विनिर्माता नहीं है। तदनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता से विभाग ने पीपीओ-एमआईआई आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत एकमुश्त छूट की सुविधा प्रदान

की है ताकि खरीद करने वाली संस्थाएं आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद करने में सक्षम हो सकें।

ख. राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति

भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एक आवश्यक और अभिन्न घटक है, विशेष रूप से चिकित्सा स्थिति, रोगों, बीमारियों और अक्षमताओं की रोकथाम, निदान, उपचार और प्रबंधन हेतु। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, औषध और स्वास्थ्य बीमा उद्योग के साथ स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्तंभ निर्मित करता है, जिससे सभी नागरिकों को उपयुक्त गुणवत्ता, वहनीय और व्यापक स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में निहित प्रमुख मूल्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग के परामर्श से एक मसौदा, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 तैयार की गई है। नीति को अंतिम रूप देने के लिए मसौदा विचाराधीन है।

ग. चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए अन्य पहलें

- **विनियामक सरलीकरण:** चिकित्सा उपकरण क्षेत्र काफी हद तक अनियमित रहा है और सरकार सभी उपकरणों को विनियमित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। वर्ष 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी चिकित्सा उपकरणों को दवाओं के रूप में अधिसूचित किया और उनकी चरणबद्ध विनियमन योजना प्रस्तावित की। एमडीआर, 2017 के चरणबद्ध कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए औषध विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उद्योग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। चिकित्सा उपकरणों को कई विनियामकों द्वारा विनियमित किया जा रहा है और विभिन्न विनियामकों के साथ उद्योग के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभाग ने एक विनियामक बैठक का आयोजन किया जिसमें उद्योग संघों और विनियामकों के प्रतिनिधियों ने मुद्दों के पारस्परिक रूप से उचित समाधान खोजने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

- **चिकित्सा उपकरणों के स्थायी मंच का गठन:** चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में हाल के वर्षो में मांग में वृद्धि, विनियामक समयसीमा की शुरुआत, उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजनाओं के आरंभ आदि के साथ महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई है, जिनमें से सभी ने महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विभिन्न प्रकार के विचारों को सामने रखने की आवश्यकता में योगदान दिया है। विभाग समय-समय पर इनमें से कई मुद्दों पर उद्योग से परामर्श करता रहा है। विभाग ने चिकित्सा उपकरणों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए चिकित्सा उपकरण संघों के एक स्थायी मंच का गठन किया है जिसे विभाग द्वारा इसे संदर्भित किया जाता है और नीति तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए उद्योग से इनपुट प्रदान करता है, जो बदले में विभाग को विनियामक प्राधिकरणों सहित हितधारकों की व्यापक श्रेणी के साथ परामर्श करने में सक्षम बनाता है।

"राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद (एनएमडीपीसी)" का पुनर्गठन: राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद (एनएमडीपीसी) की स्थापना डीपीआईआईटी द्वारा दिनांक 03.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा की गई थी। चूंकि औषध विभाग के पास चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अधिदेश है, एनएमडीपीसी को 5 अगस्त 2022 को डीपीआईआईटी की सहमति से सचिव, औषध विभाग की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया गया है। परिषद में सरकार और उद्योग के हितधारक शामिल हैं और यह व्यापार करने में सुगमता तथा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विनियामक मुद्दों पर चर्चा और समाधान हेतु एक मंच प्रदान करता है। पुनर्गठित एनएमडीपीसी की पहली बैठक 14 सितंबर 2022 को हुई थी जिसमें उद्योग के मुद्दों को उठाया गया था।

- **चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना:** वाणिज्य विभाग ने औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत चिकित्सा उपकरणों के लिए एक पृथक निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रस्तावित ईपीसी एनसीआर में विशेषतः वाईईआईडीए, उत्तर प्रदेश में स्थित हो सकता है, जहां क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार की सहायता से एक चिकित्सा उपकरण पार्क बनाया जा रहा है। निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का कार्य प्रगति पर है।

- **भारतीय फार्मा और चिकित्सा उपकरण कार्यक्रम:** उद्योग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए

विभाग वार्षिक रूप से उद्योग भागीदारों के साथ कार्यक्रम आयोजित करता है। कार्यक्रम के दौरान सीईओ राउंड टेबल में माननीय केंद्रीय मंत्री के साथ मेडटेक उद्योग के शीर्ष सीईओ की बैठक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-मंथन करने और समाधान तक पहुंचने के लिए होती है। भारतीय फार्मा और चिकित्सा उपकरण 2022 का आयोजन 25-27 अप्रैल 2022 के दौरान किया गया था।

- **मेडटेक एक्सपो (आईएमटीई) 2023:** औषध विभाग एफआईसीसीआई और अन्य मेडटेक उद्योग संघों के सहयोग से इंडिया मेडटेक एक्सपो (आईएमटीई) 2023 के पहले संस्करण का आयोजन कर रहा है। यह भारतीय चिकित्सा उपकरणों के पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति और क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक अनोखा सर्वव्यापी मंच होगा। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 पीएलआई प्रतिभागियों, स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं, नवोन्मेषी उद्यमियों, इनक्यूबेटरों, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, निवेशकों, राज्य सरकारें आदि जैसे सभी हितधारकों को एक साथ लाकर नेटवर्क बनाने और सहयोग बढ़ाने के अवसर सृजित करेगा।

- **"प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)"** योजना 8800 से अधिक जन औषधि केंद्रों में लगभग 250 प्रकार की सर्जिकल आपूर्तियों को अत्यधिक वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध करा रही है।

- **राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)** गैर-अनुसूचित चिकित्सा उपकरणों की कीमतों की निगरानी करता है और अनुसूचित चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। कोविड महामारी के कारण असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए और चिकित्सा उपकरणों को किफायती बनाने के उद्देश्य से, (i) पल्स ऑक्सीमीटर, (ii) ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, (iii) नेब्युलाइज़र, (iv) डिजिटल थर्मामीटर, (v) ग्लूकोमीटर और (vi) ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कीमतें को व्यापार मार्जिन युक्तिकरण का उपयोग करते हुए मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया।

घ. चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य विभागों द्वारा कार्यक्रम

- मेक-इन-इंडिया उत्पाद विकास को बढ़ावा देने और मेडटेक क्षेत्र में नैदानिक सत्यापन पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने **"चिकित्सा उपकरण और निदान मिशन सचिवालय (एमडीएमएस)"** की स्थापना की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिशन-मोड व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए लागत प्रभावी चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान, विकास और स्वदेशी विनिर्माण को सहयोग देना और उत्प्रेरित करना तथा आयात निर्भरता को कम करना है।

- **"भारत में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन (एचटीएआईएन)"** नामक स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की योजना ऐसे अध्ययन करती है, जो देश में गुणवत्तापूर्ण और वहनीय चिकित्सा उपकरणों के विकास के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए दवाओं, उपकरणों और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की लागत-प्रभावशीलता, नैदानिक-प्रभावकारिता और सुरक्षा से संबंधित साक्ष्य प्रदान करते हैं।

- **"आयुष्मान भारत कार्यक्रम"** के अंतर्गत देश भर के स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को प्राथमिक नैदानिक सेवाओं के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों से लैस किया जा रहा है।

- **एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा प्रस्तावित नई औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2022:** औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 केंद्रीय विधान सभा द्वारा अधिनियमित स्वतंत्रता से पूर्व का एक कानून है। पुराने कानूनों की समीक्षा और मौजूदा कानूनों को अद्यतन करना, परिवर्तित आवश्यकताओं को समायोजित करने और नई प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के लिए यह एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने समय आने पर पुराने कानूनों की समीक्षा करने और समय-समय पर इसे निरस्त करने और कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसके लिए संसद के समक्ष विधेयक लाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की सिफारिशों और व्यापक कानून की आवश्यकता के लिए **नई औषधि, प्रसाधन और चिकित्सा उपकरण विधेयक** तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के अनुसार, स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्रालय ने बदलती आवश्यकताओं, समय और प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाने के लिए नई औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2022 का मसौदा प्रस्तावित किया। मसौदा विधेयक हितधारक परामर्श के अधीन है।

3.4 फार्मा ब्यूरो

फार्मा ब्यूरो निवेशकों को सुविधा प्रदान करता है और औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में उनके अंतर-विभागीय समन्वय मुद्दों का समाधान करता है। इसमें इस क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं:

(i) औषध

(ii) चिकित्सा उपकरण

(iii) परियोजना प्रबंधन

(iv) विधि

(v) एफडीआई

- फार्मा ब्यूरो उद्योग के लिए प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करने के लिए औषध विभाग को नीतिगत सहयोग भी प्रदान करता है।
- फार्मा ब्यूरो सबसे विशेष बाधाओं को दूर करके औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के उद्यमियों के कार्य, उत्पादकता और संतुष्टि बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
- यह विभाग के परियोजना विकास सेल के रूप में भी कार्य करता है।

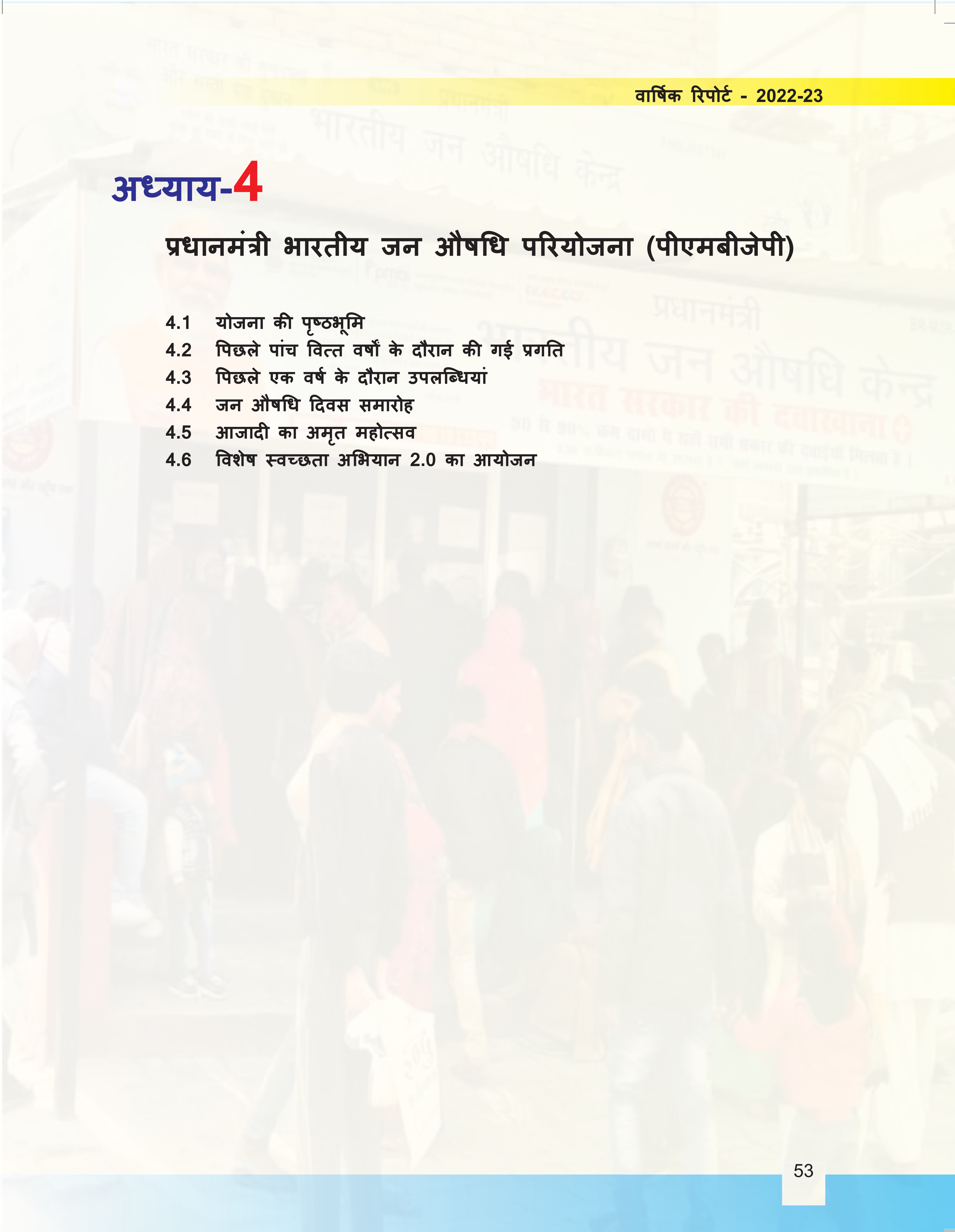

अध्याय-4

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

4.1 योजना की पृष्ठभूमि
4.2 पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान की गई प्रगति
4.3 पिछले एक वर्ष के दौरान उपलब्धियां
4.4 जन औषधि दिवस समारोह
4.5 आजादी का अमृत महोत्सव
4.6 विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का आयोजन

अध्याय-4

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

4.1 पृष्ठभूमि:

देश के विश्व में जेनेरिक दवाओं के प्रमुख निर्यातकों में से एक होने के बावजूद, अधिकांश भारतीयों की सस्ती दवाओं तक पर्याप्त पहुंच नहीं है। ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं को उनके गैर-ब्रांडेड जेनेरिक समकक्षों की तुलना में काफी अधिक कीमत पर बेचा जाता है, हालांकि इनका चिकित्सीय महत्व समान है।

सभी को, विशेष रूप से गरीब और वंचित क्षेत्रों को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, विभाग द्वारा वर्ष 2008 में **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)** का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत, लोगों को जेनरिक दवाइयां प्रदान करने के लिए देशभर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र (पीएमबीजेके) नामक समर्पित दुकानें खोली गईं।

दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, देश भर में 8,998 जनऔषधि केंद्र काम कर रहे हैं। पीएमबीजेपी की उत्पाद टोकरी में 1759 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं।

अभी तक की यात्रा

ग्राफ- 4क

(पीएमबीजेपी केंद्रों की कुल संख्या में वर्षवार प्रगति)

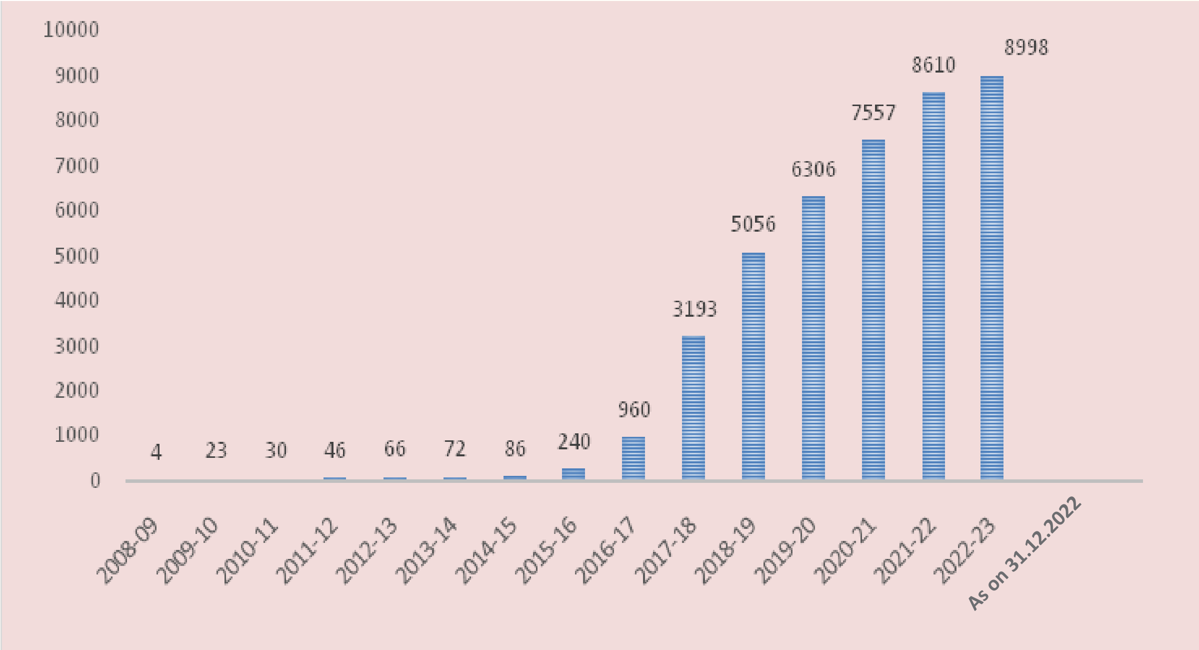

उद्देश्य

- सभी के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त दवाइयां, उपभोज्य सामग्रियां एवं सर्जिकल सामग्रियां उपलब्ध करवाना और उपभोक्ताओं/रोगियों की ओर से होने वाले व्यय को कम करना।

- जेनेरिक दवाओं को जनता के बीच लोकप्रिय बनाना और इस प्रचलित धारणा को दूर करना कि कम कीमत वाली जेनेरिक दवाएं कम गुणवत्ता की हैं या कम प्रभावी हैं।
- देश भर में सभी महिलाओं के लिए मासिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने में वैयक्तिक उद्यमियों को लगा कर रोजगार का सृजन करना।

कार्यान्वयन एजेन्सी

भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई), जिसे पूर्व में भारतीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो (बीपीपीआई) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना इस विभाग द्वारा दिनांक 01.12.2008 को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जन औषधि अभियान को कार्यान्वित करने के लिए एक केंद्रित और सशक्त संरचना की स्थापना करना है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। इस ब्यूरो की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा की जाती है। विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित शासी परिषद के अनुमोदन से नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी परिषद (ईसी) द्वारा पीएमबीआई के प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव, औषध विभाग करते हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं

इस योजना को 490 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2020-2021 से 2024-2025 की अवधि के लिए जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है। मार्च, 2025 तक पूरे देश में 10,500 पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। मार्च 2025 तक पीएमबीजेपी की उत्पाद टोकरी को 2,000 दवाओं और 300 सर्जिकल सामग्रियों तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।

व्यक्तिगत उद्यमियों के बीच इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए, महिलाओं, दिव्यांग, एससी, एसटी उद्यमियों और आकांक्षात्मक जिलों, हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर राज्यों में स्टोर खोलने वाले उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन को दोगुना कर दिया गया है। नई प्रोत्साहन योजना को निम्नलिखित विवरण के साथ शुरू किया गया है:

सामान्य प्रोत्साहन

ऐसे उद्यमियों द्वारा संचालित पीएमबीजेपी केंद्र, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से पीएमबीआई से जुड़े होते हैं, को पूर्व में 2.50 लाख रूपए से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपए का प्रोत्साहन कर दिया गया है। इस प्रोत्साहन को 15,000/- रुपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन इन केन्द्रों द्वारा पीएमबीआई से की जाने वाली मासिक खरीद के 15 प्रतिशत की दर से दिया जाता है। यह उन मौजूदा केंद्रों पर भी लागू होता है जिनको 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन की मौजूदा सीमा राशि का वितरण पूर्ण रूप से किया जा चुका है।

अतिरिक्त प्रोत्साहन

महिलाओं, दिव्यांग, एससी, एसटी उद्यमियों और आकांक्षात्मक जिलों, हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर राज्यों में स्टोर खोलने वाले उद्यमियों के बीच इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है। ऐसे केंद्रों को सामान्य प्रोत्साहन के अलावा 2 लाख रूपए की अतिरिक्त राशि भी प्राप्त होगी, जो निम्नानुसार है:

(i) फर्नीचर और फिक्सचर की 1.50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति

(ii) कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 0.50 लाख रुपए है।

आम आदमी को बचत

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, पीएमबीजेपी ने 433.63 करोड़ रुपये (एमआरपी पर) की बिक्री हासिल की। इससे देश के सामान्य नागरिकों को लगभग 2500 करोड़ रुपये की बचत हुई क्योंकि ये दवाएं औसत बाजार मूल्य

से 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सस्ती हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 665.83 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की गई जिससे ब्रांडेड दवाओं की तुलना में देश के नागरिकों को लगभग 4000 करोड़ रुपये की बचत हुई। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, पीएमबीआई ने 893.57 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की जिससे देश के नागरिकों को लगभग 5400 करोड़ रुपये की बचत हुई। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2022-23 में 31.12.2022 तक, पीएमबीआई ने 853.55 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की जिससे देश के नागरिकों को लगभग 5000 करोड़ रुपये की बचत हुई। इन सभी वर्षों में, इस योजना से नागरिकों के लिए 18000 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई है।

दवाओं की खरीद

पीएमबीजेपी की उत्पाद समूह में लगभग 1,759 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवाओं की खरीद केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन-उत्तम विनिर्माण कार्यकलाप (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही की जाती है। इसके अतिरिक्त, दवाओं के प्रत्येक बैच का परीक्षण 'राष्ट्रीय परीक्षण और मापांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण पारित होने के पश्चात् ही दवाइयों को पीएमबीजेपी केन्द्रों में भेजा जाता है।

आईटी सक्षम मालगोदाम/आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली का कार्यान्वयन

उत्पादों की रेंज उपलब्ध कराने की समस्या को दूर करने के लिए आईटी-सक्षम परिपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को लागू किया गया है और गुरुग्राम में एक केंद्रीय मालगोदाम तथा चेन्नई, गुवाहाटी एवं सूरत में तीन क्षेत्रीय मालगोदामों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी और मध्य भारत में दो और मालगोदाम खोलने की योजना बनाई गई है।

एसएपी और पीओएस प्रणाली का कार्यान्वयन

विनिर्माताओं को दवाओं के ऑर्डर देने से लेकर स्टोर तक दवाओं की आपूर्ति पहुंचने तक की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 में एक एकल आईटी सक्षम प्रणाली (एसएपी) को शुरू किया गया।

सुविधा सेनेटरी नैपकिन

देश भर में सभी महिलाओं को मासिक धर्म स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग द्वारा वर्ष 2018 में "जनऔषधि सुविधा ऑक्सी-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन" शुरू किया गया था, जो अब देश भर के सभी पीएमबीजेपी केंद्रों में 1.00 प्रति सैनिटरी पैड की दर से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। जन औषधि सुविधा नैपकिन एक विशेष योजक के साथ आता है, जो उपयोग के उपरान्त ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद इसे बायो-डिग्रेडेबल बनाता है। इस कदम ने देश में महिलाओं के लिए 'स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा' सुनिश्चित की है। दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, पीएमबीजेके के माध्यम से 32.49 करोड़ से अधिक पैड बेचे जा चुके हैं।

जन औषधि सुगम

"जन-औषधि सुगम" मोबाइल एप्लिकेशन एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो आम जनता को एक इशारे पर डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान करती है जिसके आधार पर वे यूजर फ्रेंडली विकल्पों का लाभ उठा सकें जैसे - निकट के पीएमबीजेके का पता लगाना (गूगल मैप के माध्यम से निर्देशित मार्गदर्शन), जन औषधि दवाइयो ंको ढूंढना, एमआरपी बचत आदि के रूप में जेनरिक बनाम ब्रांडेड दवाइयों के उत्पादों का तुलनात्मक विश्लेषण करना आदि।

योजना के बारे में जागरूकता

योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी एवं सिनेमा विज्ञापनों और बाहरी प्रचार जैसे होर्डिंग, बस क्यूशेल्टर ब्रांडिंग, बस ब्रांडिंग, ऑटो रैपिंग के माध्यम से

जागरूकता फैलाई जाती है। इसके अतिरिक्त, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से भी जन औषधि जेनरिक दवाइयों के उपयोग के बारे में जनता को शिक्षित किया जाता है।

4.2 पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान की गई प्रगति

तालिका-4क

(पीएमबीजेपी केंद्रों की संख्या और उनमें बिक्री की वर्षवार प्रगति)

वित्त वर्ष	कार्य कर रहे पीएमबीजेपी केन्द्रों की संख्या		एमआरपी पर बिक्री (मूल्य करोड़ में)
	वार्षिक परिवर्धन	संचयी	
2017-18	2226	3306	140.84
2018-19	1834	5140	315.28
2019-20	1166	6306	433.63
2020-21	1251	7557	665.83
2021-22	1053	8610	893.57
2022-23 (दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार)	388	8998	853.55

4.3 पिछले एक वर्ष के दौरान पीएमबीजेपी की उपलब्धियां

तालिका 4ख

(पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-2022 के दौरान पीएमबीजेपी की उपलब्धियां)

क्र.सं.	विशिष्ट	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति	दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति	वर्ष 2021-22 के दौरान उपलब्धियां
1.	पूरे देश में कार्यरत, प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र	7557	8610	1053 नए पीएमबीजेके खुले
2.	उत्पाद टोकरी	दवा - 1449 सर्जिकल - 204	दवा - 1616 सर्जिकल - 250	167 नई दवाएं जोड़ी गईं 46 नए सर्जिकल जोड़े गए
5.	एमआरपी पर बिक्री	665.83 करोड़ रु.	893.56 करोड़ रु.	बिक्री में 227.73 करोड़ रु. की बढ़ोतरी हुई
6.	आम जनता के लिए मोबाइल ऐप	10.23 लाख डाउनलोड	14.64 लाख डाउनलोड	4.21 लाख डाउनलोड
7.	जन औषधि सुविधा सेनेटरी नैपकिन	12.37 करोड़ पैड बिके	23.65 करोड़ पैड बिके	वर्ष 2021-22 के दौरान 11.28 करोड़ पैड बिके
8.	दवाओं की आपूर्ति के लिए मालगोदाम	3	4	सूरत में 1 नया गोदाम स्थापित किया गया
9.	सोशल मीडिया - फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स	10.36 लाख	10.83 लाख	फेसबुक पेज पर 0.50 लाख फॉलोअर्स बढ़े

4.4 जन औषधि दिवस समारोह

सभी पीएमबीजेपी केन्द्रों के मालिकों ने 7 मार्च 2022 को देश भर में "जन औषधि दिवस" के रूप मे मनाया। इस समारोह में योजना की उपलब्धियों का प्रचार करने और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई तरह के कार्यकलाप किए गए। ये सभी कार्यकलाप केन्द्रों के मालिकों, लाभार्थियों, छात्रों, मीडिया, डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा जनप्रतिनिधियों जैसे माननीय सांसदों, विधायकों और स्थानीय निकाय सदस्यों के साथ समन्वय में आयोजित किए गए थे। प्रत्येक दिन महिलाओं, बच्चों, छात्रों, गैर सरकारी संगठनों, स्वास्थ्य और विरासत आदि को समर्पित एक विशेष थीम के साथ मनाया गया।

7 मार्च 2022 को जन औषधि दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के लाभार्थियों से स्वयं बात की।

जन औषधि दिवस समारोह 2022

4.5 आजादी का अमृत महोत्सव

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई), औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को 35 विभिन्न स्थानों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीएमबीआई द्वारा 35 स्थानों पर पूरे दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां स्वास्थ्य जांच शिविर, जन औषधि चर्चा और जन औषधि दवाओं के प्राथमिक चिकित्सा किट का मुफ्त वितरण किया गया। पीएमबीआई के अधिकारियों ने आम जनता, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सों, फार्मासिस्टों, जन औषधि मित्रों, हितधारकों आदि को पीएमबीजेपी की मुख्य विशेषताओं से अवगत कराया। 875 से अधिक लाभार्थियों को पीएमबीजेपी उत्पादों की "प्राथमिक चिकित्सा किट" प्रदान की गई हैं। देश भर में लगभग 5000 नागरिकों ने स्वास्थ्य जांच शिविर में भाग लिया।

आजादी का अमृत महोत्सव

4.6 विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का आयोजन

पीएमबीआई ने अनेक गतिविधियां का आयोजन विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 मनाया। विशेष अभियान की शुरुआत पीएमबीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 01.10.2022 को विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के साथ हुई। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7,000 से अधिक केंद्रों ने इस अभियान के साथ सहयोग किया। पीएमबीआई के सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करने के लिए स्वच्छता प्रतिज्ञा का आयोजन वस्तुतः किया गया था। वितरकों, जन औषधि केंद्र के मालिकों और अन्य हितधारकों के साथ पीएमबीआई मुख्यालय के सभी कर्मचारियों ने कार्यस्थलों को साफ और अव्यवस्था मुक्त बनाने के लिए कार्यालय से पुराने दस्तावेजों और बिलों की छंटाई की।

विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का आयोजन

अध्याय-5

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

5.1 पृष्ठभूमि

5.2 नाईपर एस.ए.एस. नगर (मोहाली)

5.3 नाईपर कोलकाता

5.4 नाईपर रायबरेली

5.5 नाईपर हैदराबाद

5.6 नाईपर हाजीपुर

5.7 नाईपर गुवाहाटी

5.8 नाईपर अहमदाबाद

अध्याय-5

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

5.1 पृष्ठभूमि

भारतीय फार्मा उद्योग जेनेरिक दवाओं में विश्व में अग्रणी रहा है। दवाओं की खोज और विकास में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए और सम्मिश्रणों में उत्कृष्टता प्राप्त करना जारी रखने के लिए सरकार ने स्वीकार किया कि मानव संसाधन/प्रतिभा पूल बहुत महत्वपूर्ण है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एसएएस नगर, मोहाली में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) की स्थापना की गई और इसे संसद के एक अधिनियम, नाईपर अधिनियम, 1998 के द्वारा सांविधिक मान्यता दी गई तथा इसे राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया।

वर्ष 2007 में अधिनियम में संशोधन के बाद अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में छह और नाईपर स्थापित किए गए। मौजूदा सात नाईपरों के भूमि आवंटन और परिसरों के विनिर्माण की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-5क
(नाईपरों के भूमि आवंटन और परिसरों के विनिर्माण की स्थिति)

नाईपर	शैक्षणिक सत्र का प्रारंभिक वर्ष	भूमि/विनिर्माण की स्थिति
अहमदाबाद	2007	गांधीनगर, गुजरात में लगभग 60 एकड भूमि आबंटित की गई है और मैसर्स हिन्दुस्तान स्टीलवर्क कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएससीएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में चुना गया है। परिसर का लगभग 54 प्रतिशत विनिर्माण कार्य पूरा हो चुका है। विनिर्माण के मार्च, 2023 तक पूरा होने की संभावना है।
गुवाहाटी	2008	नाईपर, गुवाहाटी को ग्राम सिला, चंगसारी जिला, कामरूप में 51.42 एकड़ भूमि आबंटित की गई है और मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड (ईपीआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में चुना गया है। परिसर का विनिर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसने अपने नए परिसर से कार्य करना शुरू कर दिया है।
हाजीपुर	2007	नाईपर, हाजीपुर के लिए बिहार सरकार द्वारा ईपीआईपी परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर में लगभग 12.5 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। परिसर के विनिर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। निविदा पहले ही जारी की जा चुकी है।
हैदराबाद	2007	आईडीपीएल की लगभग 50 एकड़ भूमि नाईपर-हैदराबाद को स्थायी परिसर के विनिर्माण के लिए आबंटित की गई है। स्थायी परिसर के निर्माण के लिए मैसर्स एनपीसीसी को पीएमसी नियुक्त किया गया है। निविदा जारी किए जाने की प्रक्रिया में हैं।
कोलकाता	2007	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मौजा गोपालपुर, पु.स्टे. कल्याणी, जिला नाडिया में लगभग 10 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। विभाग ने नाईपर, कोलकाता के स्थायी परिसर के विनिर्माण के लिए बीसीपीएल संयंत्र की 20.55 एकड़ भूमि को आबंटित किया है। परिसर के विनिर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। निविदा जारी किए जाने की प्रक्रिया में हैं।
रायबरेली	2008	नाईपर, रायबरेली के लिए ग्राम विनायकपुर, परगना, बछरावन, तहसील महाराजगंज, रायबरेली में लगभग 49 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। परिसर के विनिर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। निविदा पहले ही जारी की जा चुकी है।

5.1.1 नाईपरों के शासी मंडल (बीओजी) के अध्यक्ष और निदेशक

नाईपरों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) के अध्यक्षों और निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिक 5ख
(नाईपरों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्षों और निदेशकों का ब्यौरा)

नाईपर	अध्यक्ष, बीओजी	निदेशक
अहमदाबाद	मनोनीत किया जाना है	डॉ. शैलेंद्र सराफ
गुवाहाटी	मनोनीत किया जाना है	डॉ यूएसएन मूर्ति
हाजीपुर	प्रोफेसर (सुश्री) मधु दीक्षित, पूर्व निदेशक, सीएसआईआर-सीडीआरआई	डॉ. गायत्री वी. पाटिल (निलंबनाधीन) डॉ. वी. रविचंद्रन (अतिरिक्त प्रभार)
रायबरेली	प्रो समित चट्टोपाध्याय, पूर्व निदेशक सीएसआईआर-आईआईसीबी	डॉ. शुभिनी सराफ
कोलकाता	प्रोफेसर पी बलराम, पूर्व निदेशक, आईआईएससी, बेंगलुरु	डॉ. वी. रविचंद्रन
हैदराबाद	डॉ. सत्यनारायण चावा, सीईओ, लौरस लैब्स, हैदराबाद	डॉ. शशि बाला सिंह
मोहाली	डॉ. गिरीश साहनी, पूर्व महानिदेशक, सीएसआईआर	डॉ. दुलाल पांडा

5.1.2 लक्ष्य एवं उद्देश्य

नाईपर के लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं:

i. औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता को बनाए रखना एवं उनका संवर्धन करना;
ii. औषध शिक्षा में मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए ध्यान केंद्रित करना;
iii. परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां प्रदान करना;
iv. मानद पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करना;
v. शैक्षणिक या अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना जिनका उद्देश्य पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से उन संस्थानों के समान है और संकाय सदस्यों और विद्वानों का आदान-प्रदान आम तौर से इस प्रकार करना जो उनके समान उद्देश्य के अनुकूल हो।
vi. शिक्षक, औषधि प्रौद्योगिकी, समुदाय और अस्पताल फार्मासिस्ट और अन्य व्यवसायों के लिए पाठ्यक्रम का आयोजन;
vii. औषध और संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विश्व साहित्य को एकत्र करना और रख रखाव करना ताकि देश और विकासशील विश्व में अन्य संस्थानों के लिए अपनी तरह के सूचना केंद्र को विकसित किया जा सके;
viii. संस्थान के अंदर और बाहर अनुसंधान द्वारा औषध उपकरण और उपयोग के लिए विश्लेषण का केंद्रीय संकाय बनाना;
ix. कला या विज्ञान या औषध शिक्षण में प्रयोग और नई खोज एवं शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र की स्थापना करना;
x. राष्ट्रीय, शैक्षणिक व्यवसाय और औद्योगिक प्रतिबद्धताओं पर ध्यान देने के साथ औषधि क्षेत्रों में मौजूदा जानकारी के प्रसार और नए ज्ञान के सृजन के लिए एक विश्व स्तर का केंद्र विकसित करना;
xi. अनुसंधान और औषधीय जनशक्ति के प्रशिक्षण हेतु बहु-विषयक दृष्टिकोण विकसित करना है ताकि शैक्षणिक व्यवसाय और औषध उद्योग के व्यापक हितों की बेहतर तरीके से देख-रेख की जा सके और औषधीय कार्य-संस्कृति विकसित की जा सके जो कि औषधीय शिक्षा और अनुसंधान के बदलते वैश्विक परिदृश्य और पद्धति के अनुसार हो;

xii. औषध शिक्षा के चयनित क्षेत्रों में समय-समय पर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन करना;

xiii. विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु प्रबंध करना;

xiv. संस्थान द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित अनुसंधान के साथ ही साथ परामर्शी परियोजनाओं को आरंभ करना और संस्थान एवं उद्योग और संस्थान के बीच वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी स्टाफ के आदान-प्रदान द्वारा शैक्षणिक और उद्योग के बीच बातचीत के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना;

xv. देश में सामाजिक-आर्थिक पहुँच पर ध्यान रखने के कारण ग्रामीण जनता द्वारा दवाओं के वितरण और उपयोग पर अध्ययन करने के लिए ध्यान देना।

5.1.3 राष्ट्रीय संस्थागत रेंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)

शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रेंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 'फार्मेसी' श्रेणी के तहत 6 नाईपरों से तीन नाईपर वर्ष 2019 से देश में सर्वोच्च 10 फार्मेसी संस्थानों के बीच बने हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रेंकिंग फ्रेमवर्क का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है-

तालिका-5ग

(नाईपरों की वर्षवार एनआईआरएफ रेंकिंग का ब्यौरा)

नाईपर	2017	2018	2019	2020	2021	2022
मोहाली	दूसरा	पहला	तीसरा	तीसरा	चौथा	चौथा
हैदराबाद	पांचवां	छठा	छठा	पांचवां	छठा	दूसरा
अहमदाबाद	-	चौदहवां	नौवां	आठवां	दसवां	दसवां
गुवाहाटी	-	-	-	ग्यारहवां	उन्नसीवां	तेरहवां
रायबरेली	-	-	-	अठारहवां	तेरहवां	सत्ताइसवां
कोलकाता	-	-	-	सत्ताइसवां	तैंतीसवां	-

5.1.4 पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां

पिछले 5 वर्षों के दौरान नाईपरों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है

तालिका-5घ

(पिछले 5 वर्षों के दौरान नाईपरों को जारी की गई निधियां)

वर्ष/नाईपर	मोहाली	अहमदाबाद	गुवाहाटी	हाजीपुर	हैदराबाद	कोलकाता	रायबरेली	कुल
2018-19	29.00	12.00	33.50	9.50	24.00	12.00	15.00	135.00
2019-20	30.60	18.50	43.90	5.00	27.00	18.00	17.01	160.01
2020-21	60.55	60.50	79.45	26.00	44.50	34.82	28.00	333.82
2021-22	51.00	54.00	59.45	41.00	72.91	47.64	46.00	372.00
2022-23*	43.05	28.00	32.00	15.00	29.00	15.75	14.50	177.30
कुल	214.20	173.00	248.30	96.50	197.41	128.21	120.51	1178.13

*दिसम्बर, 2022 तक

5.1.5 प्रवेश प्रक्रिया और फैलोशिप:

एमएस/पीएचडी में विभिन्न शाखाओं में हर साल जून/जुलाई के महीने में आयोजित एक सामान्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टिट्यूड टेस्ट (जीपीएटी) उत्तीर्ण करने वाले आवेदक सामान्य जेईई परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। जेईई के सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग के जरिए नाईपर में प्रवेश मिलता है। सभी छात्र निम्नानुसार फेलोशिप प्राप्त करते हैं:

एमएस (फार्मा): 12,400/- रुपये प्रति माह

पीएचडी: 31,000- 35,000/- रुपये प्रति माह

5.1.6 नाईपर अधिनियम का संशोधन

नाईपर, अधिनियम, 1998 में हाल ही में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

क. यह स्पष्ट करना कि मौजूदा नाईपर और बाद में स्थापित इसी तरह के संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होंगे;

ख. नाईपरों के बीओजी की संख्या को युक्तिसंगत बनाते हुये उनके सदस्यों की संख्या 23 से 12 करना;

ग. स्नातक, एकीकृत पाठ्यक्रम और अन्य अल्पकालिक पाठ्यक्रम आदि को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रमों की प्रकृति और दायरे को विकसित करना;

घ. माननीय मंत्री के अधीन एक नाईपर परिषद की स्थापना करना और इसकी संरचना, शक्ति और कार्यों आदि की व्याख्या करना; और

ड़. केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी करने के प्रावधान को शामिल करना।

इसके अनुसरण में, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में नाईपर परिषद का गठन किया गया है।

5.2 नाईपर, एस.ए.एस. नगर (मोहाली)

नाईपर, एस.ए.एस. नगर को न केवल देश में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों में भी औषध विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए अवधारित, योजित तथा स्थापित किया गया है। यह संस्थान अपने क्षेत्रों में अपनी तरह का केवल एक ही संस्थान है और इसके अच्छे परिणामों - नामत: अच्छी तरह से प्रशिक्षित और केंद्रित मानव संसाधन (छात्र/अनुसंधानकर्ता) उच्च प्रभाव तथा नवीन प्रक्रियाओं का प्रकाशन/इसके द्वारा चयनित क्षेत्रों में औद्योगिक प्रांसगिकता के आउटपुट संबंधी कार्यों के कारण यह बहुत अधिक सम्मानित है।

नाईपर, एस.ए.एस. नगर का एक परिसर है जो अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है इसमें 472 की दाखिला क्षमता के साथ छात्रों के तीन छात्रावास और 220 की दाखिला क्षमता के साथ छात्राओं के लिए एक छात्रावास, 18 की दाखिला क्षमता के साथ विवाहितों के लिए छात्रावास और नाईपर स्टाफ के लिए 133 क्वार्टर हैं (टाइप-II-12, टाइप-III-36, टाइप-IV-30, टाइप-V-42, टाइप-VI-12, निदेशक का बंगला-1)। यह संस्थान 16 विषयों में स्नातकोत्तर, एकीकृत (मास्टर-पीएचडी) और पीएचडी डिग्री प्रदान करता है और औषध उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है।

5.2.1 उपलब्धियां

शैक्षणिक उत्कृष्टता

वर्ष 2022-23 के दौरान, संस्थान ने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 85 लेख (17 अक्तूबर, तक) प्रकाशित किए हैं। संस्थान ने 205 पेटेंट आवेदन दायर किए और इनमें से आज की तारीख तक 116 पेटेंट स्वीकृत/जारी किए गए। शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत से 4282 छात्र (मास्टर्स 3175, एमबीए 733 और पीएच.डी. में 374) उत्तीर्ण हुए हैं।

5.2.2 नाईपर एसएएस नगर में अनुसंधान क्षेत्र-

(क) उपेक्षित बीमारियां

लीशमेनियासिस, तपेदिक, और मलेरिया के क्षेत्रों में शोध किए गए। नए अणु संश्लेषित किए जा रहे हैं और उनके कार्रवाई तंत्र बनाए जा रहे हैं।

(ख) अन्य रोग

इंफ्लेमेशन, संक्रमण, कैंसर, मधुमेह, मोटापन, पार्किंसंस रोग, न्यूरो अवक्षय जैसी बीमारियों में उपापचयी मार्ग से काम किया जा रहा है।

(ग) औषध विकास और सम्मिश्रण -

i. मौखिक जैव उपलब्धता, सिनरजिस्टिक कैंसर-रोधी प्रभावकारिता और दवाओं की कम विषाक्तता का सुधार करने का प्रयास किया गया है।
ii. नए सम्मिश्रण विकसित किए जा रहे हैं।
iii. एपीआई, केएसएम और इंटरमीडिएट का हरित सतत संश्लेषण
iv. हर्बल औषधियों और सम्मिश्रणों का मानकीकरण
v. आविष विद्या सम्बन्धी अध्ययन

(घ) अन्य क्षेत्र -

i. जैव औषध (बायो फार्मास्यूटिकल्स)
ii. हर्बल दवा
iii. पश्चजात (एपिजेनेटिक)
iv. दवाओं के केमो - एंजायमेटिक संश्लेषण
v. हर्बल्स पर मोनोग्राफ विकसित किया जा रहा है।
vi. मिसफोल्डिड प्रोटीनस के स्थैतीकरण पर आरएनए एप्टामर्स के प्रभाव का अध्ययन।
vii. न्यूरोपैथिक दर्द निदान करने के लिए एक उचित और विश्वसनीय विधि का आकलन।
viii. कृत्रिम आसूचना, मशीन जानकारी, विस्तृत डाटा विश्लेषण।
ix. विशेष जनसंख्याओं में दवा के पीके के अनुमान में फार्माकोकाइनेटिक (पीबीपीके) मोडलिंग पर आधारित शारीरिक विज्ञान की उपयोगिता और दवा पीके पर खाने के प्रभाव का अध्ययन।
x. एचईओआर और फार्माकोविजिलेंस

5.2.3 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ

तालिका-5ङ
(शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ की स्थिति)

जन-शक्ति	वर्तमान स्थिति
शैक्षणिक	24+1 (निदेशक)
गैर-शैक्षणिक	118

5.2.4 पिछले 5 वर्षों के दौरान आबंटित निधियां (रुपए करोड़ में)

तालिका-5च

(पिछले 5 वर्षों के दौरान आबंटित निधियों का ब्यौरा) (रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2018-19	32.00	29.00	29.00
2019-20	30.60	30.60	30.60
2020-21	41.00	60.55	60.55
2021-22	43.00	51.00	51.00
2022-23	74.05	74.05	43.05 (दिसम्बर, 22 तक)

5.2.5 छात्र

पेश किए गए डिग्री/ कार्यक्रम और पेश किए गए विषयों के साथ वर्तमान में नामांकित छात्रों की वर्ष-वार स्थिति:

तालिका-5छ

(पेश किए गए डिग्री/ कार्यक्रम और पेश किए गए विषयों का वर्ष-वार ब्यौरा)

स्तर मास्टर्स/ डॉक्टरेट	**डिग्री एमएस/एमबीए/ एम टेक/पीएचडी**	**विशिष्टता**	**दाखिला वर्ष**						
	वर्ष		**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषधीय रसायन शास्त्र						28	27
मास्टर्स + पीएचडी	एकीकृत पीएचडी		-	-	-	-	-	-	1
डॉक्टोरल	पीएचडी		1	3	2	2	-	6	13
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माको-इन्फोर्मेटिक्स	-	-	-	-	-	18	20
डॉक्टोरल	पीएचडी		-	1	2	-	1	5	4
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	प्राकृतिक उत्पाद	-	-	-	-	-	13	15
डॉक्टोरल	पीएचडी		-	1		4	-	7	6
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	पारंपरिक औषध	-	-	-	-	-	5	5
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्मास्यूटिकल विश्लेषण	-	-	-	-	-	9	9
मास्टर्स + पीएचडी	एकीकृत पीएचडी		-	-	-	-	-	-	1
डॉक्टोरल	पीएचडी		-	-	-	-	-	-	4
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोलोजी और टॉक्सीकोलोजी	-	-	-	-	-	20	22
मास्टर्स + पीएचडी	एकीकृत पीएचडी		-	-	-	-	-	-	1
डॉक्टोरल	पीएचडी		-	3	3	3	1	5	9

मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	रेगुलेटरी टॉक्सीकोलोजी	-	-	-	-	-	9	9
मास्टर्स	एम.टेक (फार्म)	फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी (सम्मिश्रण)	-	-	-	-	-	7	7
डॉक्टोरल	पीएचडी		-	-	-	-	-	-	-
मास्टर्स	एम.टेक (फार्म)	फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (प्रोसेस केमिस्ट्री)	-	-	-	-	-	16	18
डॉक्टोरल	पीएचडी		-	1	4	1	1	4	4
मास्टर्स	एम.टेक (फार्म)	फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी)	-	-	-	-	-	10	11
डॉक्टोरल	पीएचडी		-	-	2	-	-		
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्मास्युटिक्स	-	-	-	-	-	22	24
डॉक्टोरल	पीएचडी		1	4	1	3	1	7	8

मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	जैव प्रौद्योगिकी	-	-	-	-	-	37	38
डॉक्टोरल	पीएचडी		-	3	4	-	2	8	9
मास्टर्स	एम (फार्मा)	फार्मेसी अभ्यास	-	-	-	-	-	9	9
		नैदानिक अनुसंधान	-	-	-	-	-	9	9
डॉक्टोरल	पीएचडी	फार्मेसी अभ्यास	-	-	1	1	1	5	4
मास्टर्स	एम.टेक	चिकित्सा उपकरण	-	-	-	-	-	11	10
डॉक्टोरल	पीएचडी		-	-	-	-	-	-	-
मास्टर्स	एमबीए	फार्मा प्रबंधन	-	-	-	-	-	45	48
डॉक्टोरल	पीएचडी		-	-	-	1	1	2	-
वर्तमान कुल नामांकित			**2**	**16**	**19**	**15**	**8**	**317**	**345**

5.2.6 शिक्षक-छात्र अनुपात

तालिका-5ज
(शिक्षक-छात्र अनुपात)

पाठ्यक्रम /अनुपात	कुल अनुपात (छात्र: संकाय)
पीएच.डी.	170/24 = 7.08:1
मास्टर्स (विज्ञान)	459/21 = 21.85:1
एमबीए (फार्म)	93/3=31:1
कुल	**722/24=30.08**

5.2.7 नियोजन

तालिका-5झ
(नियोजन की स्थिति - कैंपस में/कैंपस से बाहर)

शैक्षणिक वर्ष	कुल छात्र	इच्छुक छात्रों की संख्या	नियोजित छात्रों की संख्या	नियोजित छात्रों का %	औसत पैकेज लाख में
2017-19	242	232	155	66.81%	4.73
2018-20	224	188	153	81.38%	5.03
2019-21	248	218	158	72.47%	5.65
2020-22	252	243	200	82.30%	7.26
2021-23	**268**	265	-	-	-

अधिकांश छात्र नियोजन (प्लेसमेंट) पाने के इच्छुक होते हैं। बड़ी संख्या में परास्नातक छात्र देश के भीतर या देश के बाहर पीएचडी में प्रवेश लेना पसंद करते हैं। कुछ अन्य छात्र अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में रुचि रखते हैं।

5.2.8 नवाचार/ज्ञान हस्तांतरण

i. पेटेंट और व्यावसायीकरण: स्थापना के बाद से 205 (दायर)/116 (स्वीकृत)/07 (लाइसेंस प्राप्त)
ii. कुल राजस्व उत्पन्न वित्त वर्ष 2020-21 में : 8.57 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 में: 10.024 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2022-23 में (14.10.2022 तक): 6.82 करोड़ रुपए
iii. एच इंडेक्स-नाईपर एस.ए.एस. नगर-एच इंडेक्स-127 (14-10-2022 तक स्कोपस)
iv. नाईपर एसएएस के लिए प्रति संकाय एच इंडेक्स और प्रशस्ति पत्र भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है।

5.2.9 नाईपर का प्रभाव

नाईपर, एस.ए.एस. नगर की सफलता ने भारत सरकार को औषध क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए देश भर में और अधिक नाईपर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त, नाईपर ने आईटीईसी, क्षमता विनिर्माण कार्यक्रमों (विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित) और एसएमपीआईसी के तहत भारत और विदेशों के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

कौशल विज्ञान कार्यक्रम के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण पीएससीएसटी और डीबीटी कार्यक्रम द्वारा औषध उद्योग में विभिन्न भूमिकाओं के लिए स्वीकृत किए गए थे।

- छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों (एसएमई) को प्रदान की जाने वाले प्रशिक्षण और विश्लेषणात्मक सेवाएं: एसएमई के लिए केंद्र की स्थापना
- 'इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स' (आईएनडी) अनुप्रयोगों, पीएलआई योजना का मूल्यांकन करने वाली समिति के सदस्य
- भारतीय फार्माकोपिया को संशोधित करने वाली समिति के सदस्य
- भारतीय आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में मोनोग्राफ का योगदान
- डब्ल्यूएचओ द्विवार्षिक और एमएचएफडब्ल्यू (जीओआई) की कार्य योजना के तहत "भारत में जेनरिक पर विशेष ध्यान देने के साथ औषध कीमतों पर ट्रिप्स के प्रभाव" पर अध्ययन किया गया।

5.2.10 नाईपर - फार्माकोन 2022

नाईपर मोहाली ने अन्य नाईपरों के सहयोग से 10 से 12 नवंबर, 2022 तक "औषध में हाल के रुझानों और भविष्य के अवसरों (नाईपर-फार्माकॉन 2022)" पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इससे औषध क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों जैसे दवा खोज, दवा वितरण प्रणाली, सक्रिय औषधि घटकों, सटीक दवाएं, फाइटोफार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरण के अग्रणी साथ आए। समर्पित स्टार्ट-अप और उद्योग सत्र भी आयोजित किए गए। इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शिक्षा और उद्योग के 900 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वक्ताओं ने प्रतिनिधियों को औषध क्षेत्र में उन्नत शिक्षण और अनुसंधान अनुभव प्रदान करने के लिए तकनीकी सत्रों में सम्मेलन के विषय पर प्रस्तुतियां दीं। सम्मेलन में उद्योग-नाईपर की बातचीत से औषध विज्ञान में नवाचार मूल्य श्रृंखला के विशिष्ट चरणों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास चुनौतियों का समाधान करने में और दूसरा मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास, संस्थागत क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास के लिए संयुक्त/सहयोगी गतिविधियां शुरू करने में सहयोग प्राप्त होता है। इसके अलावा, सम्मेलन ने ब्रांड नाईपर की नेटवर्किंग करने और इसका संवर्धन करने में मदद की।

नाईपर, एसएएस नगर में आयोजित हुए आयोजनों की तस्वीरें (सेमिनार / वेबिनार / अन्य आयोजन)

प्रो. शंकर के. गुछेत द्वारा प्राकृतिक उत्पाद से प्रेरित स्कैफोल्ड होपिंग और रणनीतिक संश्लेषण : लक्ष्य-विशिष्ट कैंसर-रोधी एजेंटों की खोज पर संगोष्ठी

एसएमपीआईसी द्वारा आयोजित हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी) पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम

एसईआरबी (विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड) की वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (एसएसआर) नीति के तहत एक दिवसीय संस्थागत दौरा)

लीप (जीवन विज्ञान और फार्मेसी) में सीआरआईसीके के भीतर संसाधन मानचित्रण पर विचार-मंथन सत्र

हर्बल दवाओं और सम्मिश्रणों के विनियमन और मानकीकरण में "हालिया रुझान और चुनौतियां" पर दो सप्ताह का गहन आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रौद्योगिकी विकास केंद्र-खुराक सम्मिश्रण में औषध औद्योगिक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है

दिनांक 26.07.2022 को बायोइंजीनियरिंग विभाग, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के छात्रों द्वारा शैक्षणिक दौरा

नाईपर छात्र अनुसंधान संगोष्ठी-2022 (एनएसआरएस-2022)

स्वच्छता शपथ (01.09.2022)

"आयुष दवाओं और नृवंशविज्ञान का एकीकरण" पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया

"सैद्धांतिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान (टीसीबी)" पर एक दिवसीय संगोष्ठी

5.3 नाईपर, कोलकाता

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (नाईपर-कोलकाता) की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी और वर्तमान में यह औषधीय शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और शिक्षण, अनुसंधान और छात्रवृत्ति के माध्यम से भारत में औषध उद्योग के विकास में योगदान करने के लिए 'चुनीलाल भवन', मानिकतला, कोलकाता में कार्य कर रहा है। शिक्षण और अनुसंधान इस संस्थान का मुख्य कार्य है और इस संस्थान का अधिभावी लक्ष्य है।

5.3.1. उपलब्धियां

वर्ष 2022-23 में 53 शोध पत्र प्रकाशित हुए और 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। जुलाई, 2022 में लगभग 49 अत्यधिक कुशल एम.एस. (फार्मा.) छात्रों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।

5.3.2. शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ

नाईपर कोलकाता में 14 शैक्षणिक और 14 गैर-शैक्षणिक नियमित कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त, 16 गैर-शैक्षणिक कर्मचारी कार्यालय के लिए आउटसोर्स/संविदात्मक आधार पर हैं।

5.3.3. पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आबंटित कुल निधियां

तालिका-5त्र
(नाईपर कोलकोता को आबंटित वर्ष-वार निधियां)

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	अबंटन बजट अनुमान	अबंटन संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2018-19	12.00	12.00	12.00
2019-20	16.00	18.00	18.00
2020-21	23.00	34.82	34.82
2021-22	27.64	47.64	47.64
2022-23	50.45	-	15.75 (दिसम्बर 22 तक)

5.3.4 शिक्षक-छात्र अनुपात : 1:15

संस्थान के शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यकलापों नियमित संकाय और अतिथि संकाय द्वारा सशक्त किए जाते हैं।

5.3.5 संकाय द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कार

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक सूची द्वारा सर्वोच्च 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों में फार्मास्यूटिक्स विभाग के डॉ. पल्लब दत्ता की पहचान की गई है।

5.3.6. छात्र

तालिका-5ट
(प्रवेश की स्थिति के साथ पेश की गई डिग्री/कार्यक्रम और विषय)

स्तर	डिग्री	विषय	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या
			2022-23
मास्टर्स	एम.एस. (फार्मा)	औषधीय रसायन शास्त्र	16
		प्राकृतिक उत्पाद	09
		फार्माकोइन्फोर्मेटिक्स	07
		फार्माकोलोजी और टेक्नोलोजी	17
		फार्मास्यूटिक्स	19
		चिकित्सा उपकरण	10
		फार्मास्यूटिकल विश्लेषण	10
		कुल	88
डॉक्टोरल	पी.एचडी.	औषधीय रसायन शास्त्र	08
		प्राकृतिक उत्पाद	05
		फार्माकोइन्फोर्मेटिक्स	02
		फार्माकोलोजी और टेक्नोलोजी	05
		फार्मास्यूटिक्स	06
		फार्मास्यूटिकल विश्लेषण	-
		कुल	26
डॉक्टोरल	I-पी.एचडी.	फार्माकोलोजी और टेक्नोलोजी	02
कुल			116

5.3.7 अनुसंधान

- नई दवा वितरण प्रणाली और 3डी बायोप्रिंटिंग
- चिकित्सा उपकरणों के लिए जैव सामग्री अनुकूलन
- बायोसेंसर विकास
- खुराक रूपों का उन्नत निर्माण
- चिकित्सीय एजेंट के रूप में न्यूक्लियोसाइड
- स्फिंगोसिन अवरोधकों का विकास

- एपीआई संश्लेषण के लिए ग्रीन केमिस्ट्री और फ्लो केमिस्ट्री
- बायोफिल्म और कोरम संवेदन को लक्षित करना
- डीएनए आधारित चिकित्सीय और नैदानिक उपकरणों का विकास
- संरचनात्मक जैव सूचना विज्ञान: संक्रामक रोगों और चयापचय संबंधी विकारों के लिए नई दवा की खोज/पुनर्प्रयोजन
- एंटी-माइक्रोबियल एजेंटों की कम्प्यूटेशनल डिजाइनिंग
- छोटे अणुओं के उत्पादन के लिए मेटाबोलिक बायो-इंजीनियरिंग
- फाइटोफार्मास्युटिकल्स और हर्बल फॉर्मूलेशन की ट्रांसक्रिपटॉमिक्स और प्रोटिओमिक प्रोफाइलिंग
- मधुमेह मध्यस्थता गैर-मादक स्टीटोहेपेटाइटिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा: औषधीय और जैव रासायनिक लक्षण वर्णन
- मधुमेह से जुड़ी तंत्रिका संबंधी जटिलताएं
- प्रतिरक्षा जैव प्रौद्योगिकी में जीनोम संपादन
- पादप रसायन; रसायन परिवर्तन: हर्बल उत्पाद विश्लेषण
- श्वसन रोगों में हर्बल दवाओं का नेटवर्क औषध विज्ञान

5.3.8 नवाचार/ज्ञान अंतरण/हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

1. नाईपर-कोलकाता और **नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैंसर अस्पताल, कोलकाता** के बीच दिनांक **30.05.2022** को समझौता ज्ञापन हुआ। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अकादमिक शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देना है।

2. नाईपर-कोलकाता और **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम** के बीच दिनांक **12.06.2022** को समझौता ज्ञापन हुआ। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों संगठनों के संकाय सदस्यों और छात्रों को प्रोत्साहित करना है।

5.3.9 नाईपर का प्रभाव

क. कुल 49 अत्यधिक कुशल छात्रों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की

ख. 50 शोध पत्रों को प्रकाशित किया गया

ग. अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, थर्मोग्रैविमेट्रिक एनालाइजर और पार्टिकल साइज एनालाइजर की सुविधा स्थापित की गई है

घ. वर्तमान में संस्थान को विभिन्न राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों से 3.9 करोड़ रुपये की अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है

ङ मेसर्स बायो ग्रीन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के नाम पर वैज्ञानिक कुर्सी को नाईपर कोलकाता द्वारा बनाया गया है

च. इस संस्थान ने एपीआई में फ्लो रिएक्शन एप्लीकेशन की अवधारणा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार एक लाख रुपये के साथ श्री आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के नाम पर फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी अवार्ड" एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है

छ. पेटेंट की संख्या: एक प्रस्तुत किया गया

पेटेंट का ब्यौरा

तालिका 5ठ
(पेटेंट का ब्यौरा)

आवेदन संख्या	दिनांकित	सीबीआर संख्या	शीर्षक
202231022417	15.04.2022	4879	सर्टान्स के विनिर्माण के लिए 2-क्यानो-4'-मिथाइलबाइफेनी1 का नोवल सिंथेसिस

5.3.10 नाईपर का संस्था नेतृत्व प्रभाव

नाईपर कोलकाता विभिन्न शोध परियोजनाओं में मदद करने के लिए विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर संस्थानों तक पहुंच रहा है। वर्तमान में हमारे पास 26 आउटरीच पार्टनर हैं। यह संस्थान एएमटीजेड-विशाखापत्तनम के सहयोग से कोविड संकट के दौरान जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने में शामिल है। इस संस्थान ने संक्रामक रोग, चयापचय संबंधी विकारों और न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों से निपटने के लिए नई रणनीति विकसित करने की दिशा में एक प्रमुख शोध अभियान चलाया है।

नाईपर, कोलकाता में आयोजित हुए कार्यक्रमों की झलकियां

नाईपर, कोलकाता में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 समारोह आयोजित किया गया

8वां अन्तर्राष्ट्रीय योगा दिवस समारोह

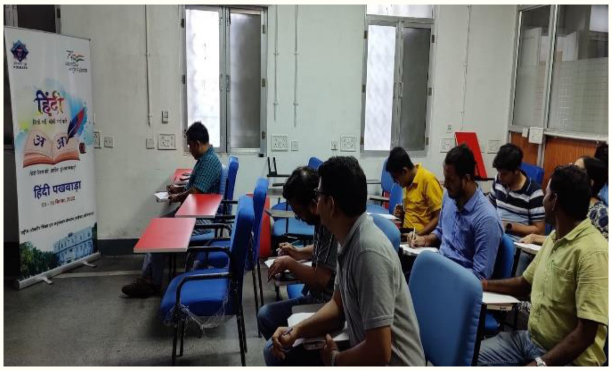

हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया

अनुसंधान परामर्शदात्री समिति की बैठक

5.4 नाईपर-रायबरेली

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), रायबरेली की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। यह संस्थान औषधीय रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी एवं बायोटेक्नोलोजी में डॉक्टोरल एवं मास्टर्स कार्यक्रम पाठ्यक्रम प्रदान करता है। वर्तमान में नाईपर, रायबरेली में 265 छात्र नामांकित हैं और इस समय यह संस्थान लखनऊ स्थित अपने ट्रांजिट परिसर से कार्य कर रहा है। इसके परिसर के भीतर एक विश्व स्तरीय केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा केन्द्र और पूर्व नैदानिक अध्ययन करने के लिए एक पशु घर विद्यमान है।

5.4.1. उपलब्धियां

- नाईपर-रायबरेली में फार्मास्यूटिक्स प्रभाग ने मनोविकार रोधी और क्षयरोग रोधी दवाओं के बेहतर वितरण के लिए नैनो-आधारित दवा-वितरण प्रणाली के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है।
- इस संस्थान ने वर्ष 2021-22 में 20 पेटेंट और एक कॉपीराइट दायर किया है।
- संस्थान के विषयगत क्षेत्रों में शोध के लिए संस्थान को लगभग 1.76 करोड़ रुपये का अतिरिक्त शोध अनुदान प्राप्त हुआ।
- पिछले 3 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में 29 प्रकाशनों के साथ लगभग 179 से अधिक प्रकाशन और वर्तमान वर्ष में प्रतिष्ठित प्रकाशनों में 23 पुस्तकें और अध्याय योगदान।
- नाईपर-रायबरेली में सेल कल्चर सुविधा, सैन्ट्रल एनीमल फैसिलिटी, इमेजिंग सुविधा (एफटी-आईआर स्पेक्ट्रोमीटर, कैरी एक्लिप्स, 12-सेल कैरी 100 यूवी और मल्टी-मोड प्लेट रीडर) और सेंट्रल इन्स्ट्रूमेंटेशन सुविधा जैसी विभिन्न केंद्रीकृत अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।
- केन्द्रीय उपकरण सुविधाकेन्द्र परिष्कृत उपरकण जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर), जेटासाइजर, एचपीएलसी, बायो एनालाइजर, डीएससी, मेलीक्यूल्स के लिए डीएससी, एलसी-एमएस (क्यूटीओएफ-एचआरएमएस), होट स्टेज माइक्रोस्कोप, फ्लो-साइटोमेट्री, एनिमल इमेजिंग सिस्टम, लाइफिलाइजर, कैलोरीमीटर, डिजीटल पोलेरीमीटर, प्रोबसोनिकेटर, कन्फोकल सिस्टम इत्यादि का भंडारण करता है।

5.4.2 शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक स्टाफ

प्रशासनिक स्टाफ	:	10
शैक्षणिक स्टाफ:		
एसोसिएट प्रोफेसर	:	05
सहायक प्रोफेसर	:	11
रिसर्च एसोसिएट	:	02
तकनीकी स्टाफ	:	07
मल्टी-टास्क स्टाफ	:	00

5.4.3 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल निधि आबंटन:

तालिका-5ड
(नाईपर, रायबरेली को आबंटित वर्षवार निधियां)

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2018-19	12.00	15.00	15.00
2019-20	16.00	17.01	17.01
2020-21	22.00	28.00	28.00
2021-22	17.00	29.00	46.00
2022-23	46.00	46.00	14.50 (दिसम्बर, 22 तक)

5.4.4 छात्र

तालिका-5ढ
(प्रवेश की स्थिति के साथ पेश की गई डिग्री/कार्यक्रम और विषय)

वर्ष	एमएस (फार्मा)		पीएचडी			एकीकृत पीएचडी (सत्र 2022-27 में शुरू)	
	प्रवेश	समाप्ति	प्रवेश	समाप्ति		प्रवेश	समाप्ति
2017-19	36	36	05 -02=**03**	पढ़ रहे हैं	**02**	-	-
2018-20	56	56	06 -1= 05	पढ़ रहे हैं		-	-
2019-21	62	60	06	पढ़ रहे हैं		-	-
2020-22	74	74	06 -1= 05	पढ़ रहे हैं		-	-
2021-23	88-1=87	पढ़ रहे हैं	19-1=18	पढ़ रहे हैं		-	-
2022-24	110	पढ़ रहे हैं	28	पढ़ रहे हैं		03	पढ़ रहे हैं
वर्तमान स्थिति	**197**	**पढ़ रहे हैं**	**65**	**पढ़ रहे हैं**		**03**	**पढ़ रहे हैं**

5.4.5 शिक्षकः छात्र अनुपात - 1:16

5.4.6 नियोजनीयता/नियोजन की स्थिति:-

तालिका-5ण
(नाईपर-रायबरेली की वर्षवार नियोजन की स्थिति)

वर्ष	एम.एस. फार्मा	
	छात्रों की संख्या	नियोजन (%में)
2015-17	36	25
2016-18	35	100
2017-19	36	98
2018-20	58	90
2019-21	60	90

5.4.7 पुरस्कार/शिक्षक

तालिका-5त
(शिक्षकों द्वारा प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा)

क्र.सं.	नाम	विषय	मान्यता
1	डॉ. अशोक के. दातुसलिया	सहायक प्रोफेसर फार्माकोलॉजी और टोक्सीकोलोजी / रेगुलेटरी टोक्सीकोलोजी विभाग	सदस्य, इंटरनेशनल सोसायटी फॉर न्यूरोकैमिस्ट्री (आईएसएन)-स्कूल इनिशिएटिव
2	डॉ सपना कुशवाहा	सहायक प्रोफेसर फार्माकोलॉजी और टोक्सीकोलोजी विभाग	टोक्सीकोलोजी डेवलपमेंटल और रिप्रोडक्टिव टोक्सीकोलोजी में "राइजिंग स्टार्स" में फ्रंटियर्स के लिए सहयोगी विषय संपादक
3	डॉ सपना कुशवाहा	सहायक प्रोफेसर फार्माकोलॉजी और टोक्सीकोलोजी विभाग	आईयूटीओएक्स एजुकेशन कमेटी, यूएसए द्वारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी (आईयूटीओएक्स) ट्रैवल अवार्ड, 2022
4	डॉ. कीर्ति जैन	एसोसिएट प्रोफेसर फार्मास्यूटिक्स	स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए द्वारा बनाई गई एक सूची में फार्माकोलॉजी और फार्मेसी के क्षेत्र में वर्ष 2020 और 2021 के लिए लगातार विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध
5	श्री विश्वास पी. पारधी	पीएचडी विद्वान - फार्मास्यूटिक्स [सुपरवाइजर: डॉ. कीर्ति जैन]	15 फरवरी 2022 को नाईपर-कोलकाता में आयोजित "अपने औषधीय गुणों में सुधार के लिए बेडैक्विलाइन फ्युमरेट के बाइनरी/टर्नरी सॉलिड डिस्पर्सन का विकास और मूल्यांकन" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में पोस्टर प्रस्तुति में दूसरा पुरस्कार जीता
6	श्री स्मिथ पटेल	एमएस छात्र - मेडिसिनल कैमिस्ट्री	पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय (यूएसए) में 29,730 डॉलर की पूर्ण पीएच.डी. फेलोशिप और शुल्क माफी प्राप्त की
7	सुश्री गिरिजा पौवगे	एमएस छात्र - मेडिसिनल कैमिस्ट्री	कनेक्टिकट विश्वविद्यालय (यूएसए) में 65,600 डॉलर की पूर्ण पीएच.डी. फेलोशिप प्राप्त की

5.4.8. अनुसंधान

क. सक्रिय अनुसंधान क्षेत्र:

- न्यूरोडिजनरेटिव रोग
- भारी धातु विषाक्तता अध्यन
- जापानी एन्सेफेलाइटिस
- क्षयरोग
- नैनो सम्मिश्रणों का प्रयोग करके औषधों का विकास एवं मूल्यांकन।

ख. हरित एवं पर्यावरण-हितैषी सिंथेटिक तरीकों का विकास

ग. परियोजनाएं-चल रही : 11 लगभग 1.76 करोड़ रुपये के मूल्य की।

5.4.9 नाईपर, रायबरेली का प्रभाव

नाईपर-रायबरेली आधुनिक प्रयोगशालाओं, अत्यधिक परिष्कृत उपकरण के साथ विशेष रूप से मध्य भारत में शैक्षणिक और अनुसंधान दोनों में एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में उभरा है। इसने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और औषध उद्योग ने अपने छात्रों को लघु अवधि और दीर्घकालिक आधार पर प्रशिक्षण देने के अलावा इसके साथ सहयोग

करने में रुचि दिखाई है। संस्थान ने अपने तात्कालिक महत्व के क्षेत्रों जैसे कि जापानी इंसेफेलाइटिस, तपेदिक और न्यूरोडीजनरेटिव रोगों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोगी परियोजनाएं/काम शुरू किया है। दवा की खोज हेतु निर्बाध नमूना विश्लेषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। संस्थान भारतीय औषध उद्योग के लिए अत्यधिक कुशल मानव संसाधन भी प्रदान कर रहे हैं।

संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम/कार्यशालाएं

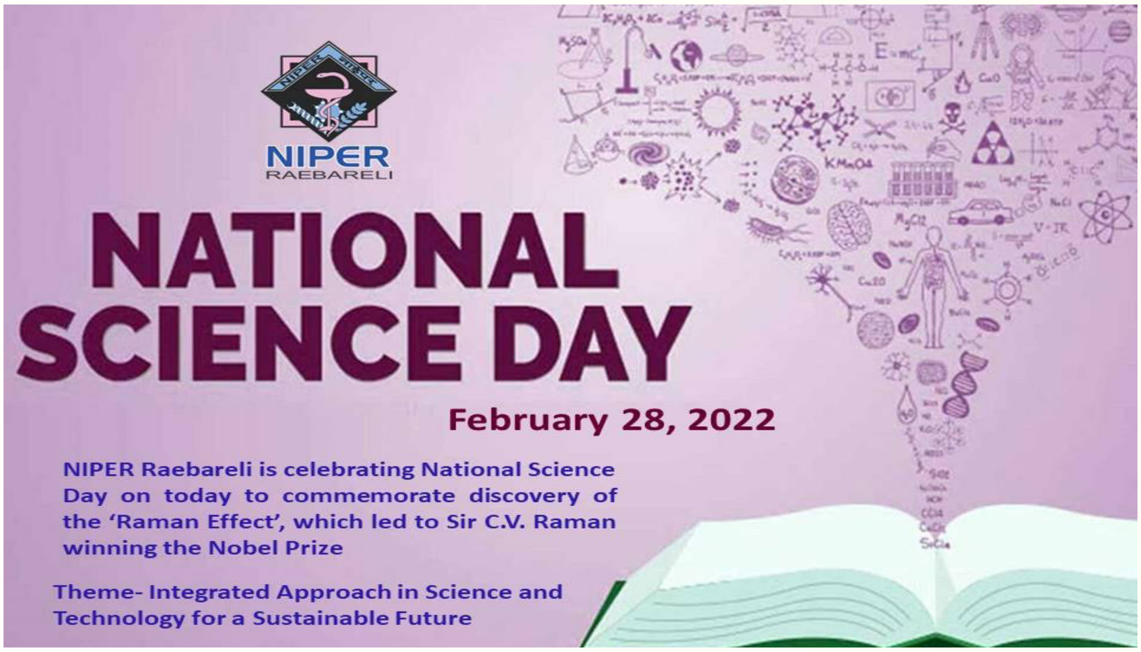

26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस पर विज्ञान दिवस मनाते हुए नाईपर- रायबरेली की एक झलक

नाईपर रायबरेली का 7वां दीक्षांत समारोह

स्वच्छता पखवाड़ा (1-15 सितम्बर 2022)

राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह

दिनांक 29.09.2022 और 30.09.2022 को टोक्सीकोलोजी और एप्लाइड फार्माकोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

5.5 नाईपर-हैदराबाद

नाईपर-हैदराबाद ने आईडीपीएल, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, बालानगर, हैदराबाद के परिसरों में सितंबर 2007 में कार्य करना शुरू किया। संस्थान का दृष्टिकोण औषध विज्ञान और प्रबंधन में उच्च शिक्षा और अनुसंधान में एक अग्रणी वैश्विक संस्थान के रूप में सेवा करना है। इसका मिशन क्षेत्र में पेशेवर जनशक्ति के प्रमुख स्रोतों में से एक बनना है और स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के संचालन के माध्यम से भारतीय औषध उद्योग को सशक्त करना है। नाईपर-हैदराबाद के पास विभिन्न विषय जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, प्रोसेस केमिस्ट्री, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, प्राकृतिक उत्पाद, फार्माकोइनफॉरमैटिक्स, नियामक मामले, चिकित्सा उपकरण एवं फार्मास्यूटिकल प्रबंधन में एम.एस. (फार्म), एम. टेक. और एमबीए पाठ्यक्रम हैं। संस्थान औषध महत्व के क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।

5.5.1 उपलब्धियां

तालिका-5थ
(उपलब्धियों का ब्यौरा)

क्र.सं.	विवरण	उपलब्धि
1	उत्तीर्ण स्नातकोत्तर छात्र	1366
2	पाठ्यक्रम करने वाले स्नातकोत्तर छात्र	365
3	पीएचडी पाठ्यक्रम के छात्र	131
4	डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित	91
5	पेटेंट (दायर)	23
6	अनुसंधान प्रकाशन	879
7	स्वीकृत बाहय अनुसंधान परियोजना	55

5.5.2 संकाय एवं स्टाफ का ब्योरा

(i)	नियमित संकाय	:	20
(ii)	नियमित स्टाफ	:	29
(iii)	संविदात्मक संकाय	:	05
(iv)	संविदात्मक प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टाफ	:	23

5.5.3 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन

तालिका-5द

(नाईपर, हैदराबाद को निधियों का आबंटन)

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2018-19	24.00	24.00	24.00
2019-20	25.00	27.00	27.00
2020-21	30.50	44.50	44.50
2021-22	38.00	72.91	72.91
2022-23	72.50	72.50	29.00 (दिसम्बर 22 तक)

5.5.4 शिक्षक-छात्र का अनुपात

वर्तमान में 1:20

5.5.5 नियोजनीयता/नियोजन की स्थिति

क. कंपनियां वर्ष-वार परिसर चयन/नियोजन में भाग लेती हैं

प्रत्येक वर्ष छात्र जॉनसन एंड जॉनसन, नोवर्टिस, डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, जेनपैक्ट, हेटेरो, टेक महिंद्रा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, सिनजीन, स्प्रिंगर्स नेचर पब्लिशिंग, एली लिली, सिप्ला, साई लाइफ साइंसेज, एएमआरआई, विवो बायोटेक, क्रेडो लाइफ साइंसेज, कॉग्निजेंट हेल्थ केयर, माइलैन, जेनटेक, शाशुन, ऑरबिन्दो, बायोलोजिकल ई, आइजेंट, कॉग्निजेंट हेल्थ केयर, कोर डायग्नोस्टिक्स, ऑरबिन्दो, मैकलोड्स फार्मास्यूटिकल्स, रोचे आदि जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में नियोजित किए गए।

तालिका-5ध

(पिछले कुछ वर्षों की नियोजन स्थिति)

वर्ष	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
परिसर में नियोजन (%)	88	85	82	82	80	83	100	99	90	100	100

5.5.6 शिक्षक

नाईपर में कुछ प्रतिभाशाली और समर्पित संकाय हैं जो सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से आए हैं और अपनी विशेषज्ञता में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो के रूप में विदेशों में अच्छा प्रशिक्षण ले रहे हैं। समय-समय पर संकाय के कार्यनिष्पादन का

आकलन किया जाता है। यह मूल्यांकन छात्र फीडबैक, अनुसंधान गतिविधियों से आउटपुट और विषय विशेषज्ञों द्वारा संस्थागत विकास में योगदान पर आधारित है।

5.5.7 कोर अनुसंधान क्षेत्र

- एकीकृत औषध खोज एवं उत्पाद विकास कार्यक्रम
- कैंसर, सूजन और प्रजनन-शील संबंधित रोग
- मधुमेह और अन्य उपापचय संबंधी विकार
- न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग
- संक्रामक रोग
- सोरायसिस
- इन-विट्रो और इन-विवो स्क्रीनिंग
- एनसीई, बल्क ड्रग्स और मध्यवर्ती के लिए नवीन प्रक्रिया का विकास
- विश्लेषणात्मक तरीकों का विकास, अशुद्धता प्रोफाइलिंग और स्थिरता अध्ययन
- ठोस अवस्था की विशेषताएं
- लक्षित औषधि प्रदानगी प्रणाली

5.5.8 नवाचार/ज्ञान हस्तांतरण

क. पेटेंट और व्यावसायीकरण : कैंसर दवा की खोज, फार्मूलेशन विकास तथा विश्लेषणात्मक तरीकों के विकास में 18 पेटेंट दायर किए

ख. आंतरिक अर्जित राजस्व : 6.73 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22)

5.5.9 नाईपर का प्रभाव

उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और औषध विज्ञान में प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन विकसित करना जो औषध उद्योग को मदद करेगा। एक शोध संस्थान के रूप में कार्य करना और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। इस संस्थान ने फार्मा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और देश में औषध उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए शैक्षणिक और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने में सहयोग किया। नाईपर, हैदराबाद में अनुसंधान को इसके विभागों द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों और उद्योग और राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से संपोषित किया जाता है।

5.5.10 सहयोग/समझौता ज्ञापन

नाईपर-हैदराबाद ने अनुसंधान क्षेत्रों और बहुआयामी अनुसंधान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ 43 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके प्रमुख सहयोगी हैं:

- कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), बंगलुरू
- एएमटीजेड, विजाग
- मोमेंटस मोलेक्यूलस प्राइवेट लिमिटेड, बंजारा हिल्स, हैदराबाद
- पीएस3 लेबोरेट्रीज एलएलपी, कुकट, हैदराबाद
- इनातुरा साइंटिफिक प्रा. लिमिटेड, उप्पल, हैदराबाद
- सीएसआईआर - आईआईटीआर
- सर्वोत्तम केयर लिमिटेड

- बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
- एनबीआई बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- फेनो बायोटेक, इंक, यूएसए
- बेलस्टॉक विश्वविद्यालय, पोलैंड,
- लाइफएक्टीवस, तेनचिस्कम और नाईपर हैदराबाद
- ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज सनाथानगर, हैदराबाद
- लाइफएक्टिवस प्राइवेट लिमिटेड, मेडचल, हैदराबाद
- अपोलो हॉस्पिटल्स एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन (एएचईआरएफ)
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआई-एमएसएमई)
- वीलाइन फार्माचैम प्राइवेट लिमिटेड
- लोरेन बायोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश
- जिस्टर न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- अलमेलो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
- राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली
- आईआईटी हैदराबाद
- डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, हैदराबाद
- केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सीसीआरयूएम)
- बोगार प्रयोगशालाएँ
- नोवार्टिस हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड
- एक्स्ट्रोविस प्रा. लिमिटेड
- बायोलोजिकल ई. लिमिटेड
- युनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया (यूएसपी, इंडिया), हैदराबाद
- सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय
- कैटनाजारो के विश्वविद्यालय “मैग्ना ग्रैशिया” का स्वास्थ्य विज्ञान विभाग
- डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, हैदराबाद
- भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड
- भारतीय भेषज आयोग
- एल.वी. प्रसाद आई रिसर्च फाउंडेशन
- संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा
- ग्लोबल वुमन एसोसिएशन ऑफ साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, विजाग
- इकोजेन थेराप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- अवे लाइफसाइंस, बैंगलोर, कर्नाटक
- क्रिसेन्ट फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड
- सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- आईकेपी नॉलेज पार्क
- फेरिंग फार्मास्यूटिकल्स
- जोडास एक्सपोइम प्रा. लिमिटेड
- एनआईएफ
- प्लीडिस थेराप्यूटिक्स
- आईजीएनटीयू, अमरकंटक

संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम/कार्यशालाएं:- नाईपर, हैदराबाद ने छात्रों के लिए विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रम, कार्यशाला प्रशिक्षण आयोजित किए। नाईपर-हैदराबाद में विभिन्न कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें इस प्रकार हैं।

20 अप्रैल, 2022 से 22 अप्रैल, 2022 तक नाईपर-हैदराबाद द्वारा आयोजित नेक्स्टजेन थेरेप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

29 अप्रैल, 2022 को नाईपर-हैदराबाद में पहले सीईओ/एमडी की गोलमेज बैठक

23 मई, 2022 से 3 जून, 2022 तक नाईपर-हैदराबाद द्वारा आयोजित एनिमल सेल कल्चर तकनीक पर एफडीपी कार्यशाला

5 जुलाई, 2022 को नाईपर हैदराबाद द्वारा आयोजित फार्मा उद्योग में गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण पर 6 महीने के छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन

4 जुलाई, 2022 से 3 अगस्त, 2022 तक नाईपर हैदराबाद द्वारा गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन के छात्रों के लिए एक महीने का समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम

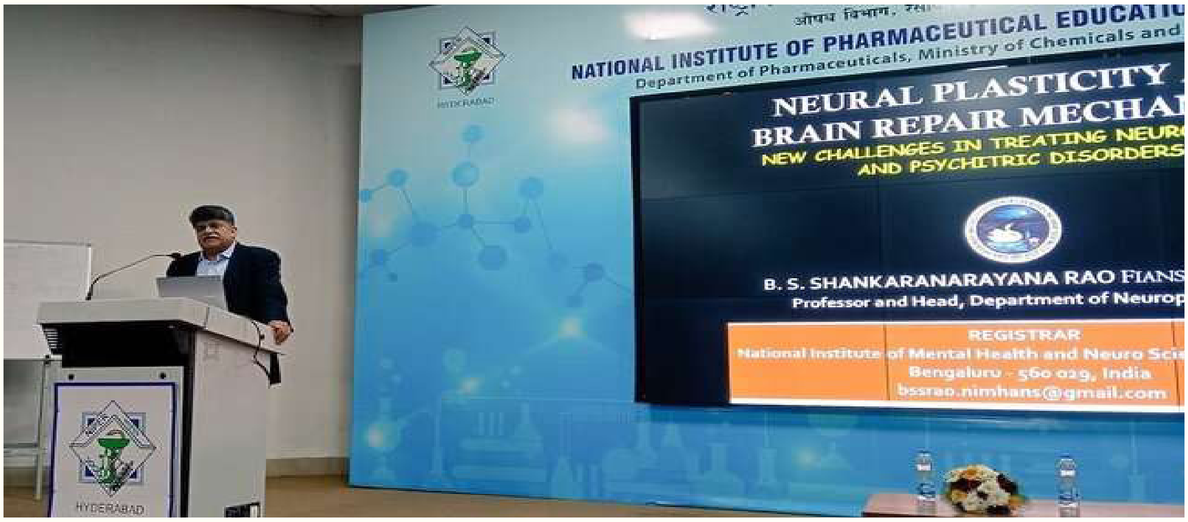

नाईपर-हैदराबाद में 12 सितंबर, 2022 से 19 सितंबर, 2022 तक प्रीक्लिनिकल और मॉलिक्यूलर न्यूरोफार्माकोलॉजी ट्रेनिंग पर हाई-एंड वर्कशॉप कार्यशाला

5.6 नाईपर, हाजीपुर

नाईपर-हाजीपुर ने 2007 में पटना के राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आरएमआरआईएमएस) संस्थान की सदस्यता के तहत 31.10.2018 तक काम किया। इसके स्वयं के पहले निदेशक ने 01.11.2018 से कार्यभार ग्रहण किया। यह पांच (05) विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर (एमएस) फार्मेसी शिक्षा और डॉक्टरेट डिग्री (पीएचडी) प्रदान करता है, अर्थात्

(i) जैव प्रौद्योगिकी में एमएस और पीएचडी।

(ii) फार्मेसी प्रैक्टिस में एमएस और पीएचडी

(iii) फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में एम.एस. और पीएचडी

(iv) एम.एस. और फार्मास्युटिकल विश्लेषण में पीएचडी (2021-22 से) और

(v) फार्मास्यूटिक्स में एम.एस. और पीएचडी (2021-22 से)

(vi) रेगुलेटरी टोक्सीकोलोजी में एम.एस. और पीएचडी (2022-23 से)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वार्षिक दाखिला : जैव प्रौद्योगिकी-19, फार्मेसी प्रैक्टिस-18, फार्माकोलॉजी एवं टॉक्सिकोलॉजी-18, फार्मास्युटिकल एनालिसिस-13, फार्मास्युटिक्स-13 और रेगुलेटरी टोक्सीकोलोजी-10 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए।

5.6.1. उपलब्धियां

स्थापना के बाद से अभी तक कुल 492 छात्र (एम.फार्मा-475 और पीएचडी-17) उत्तीर्ण हुए हैं, 175 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और अब तक 11 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इनमें से पांच (5) समझौता ज्ञापन पर इस शैक्षणिक वर्ष (2022-23) में हस्ताक्षर किए हैं। दिसम्बर, 2021 में एक (1) भारतीय पेटेंट दाखिल किया गया।

5.6.2 संकाय और कर्मचारी

संकाय और कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है

शैक्षणिक : निदेशक और 10 (नियमित)

गैर-शैक्षणिक : 10 (नियमित) और 03 (अनुबंध पर)

5.6.3 पिछले 4 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निधि आबंटन

तालिका-5न

(नाईपर, हाजीपुर को वर्षवार निधि आबंटन)

वर्ष	अनुमानित अनुमान	संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि (रुपए करोड़ में)
2018-19	9.50	9.50	9.50
2019-20	10.50	10.50	5.00
2020-21	15.00	26.00	26.00
2021-22	21.00	41.00	41.00
2022-23	43.00	43.00	15.00 (दिसम्बर 22 तक)

5.6.4 छात्र

छात्रों को सभी नाईपरों द्वारा संचालित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के माध्यम से प्रवेश दिया गया। छात्र प्रवेश की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-5प
(छात्रों के प्रवेश की स्थिति)

छात्र	पुरुष	महिला	सामान्य	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा	ईडब्ल्यूएस + पीएच	कुल
पीजी-II (वर्तमान) (बैच 2021-23)	40	31	21	28	12	4	6	71
पीजी-I (वर्तमान) (बैच 2022-24)	49	42	29	38	17	06	01	91
पीएच.डी (रोल पर)	28	18	22	10	06	2	00	40

5.6.5 शिक्षक-छात्र अनुपात: 1:16

5.6.6 नियोजनीयता/नियोजन की स्थिति

प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेल समय-समय पर छात्रों/विद्वानों और फीडबैक तंत्र के डेटाबेस को बनाए रखने के माध्यम से गुणवत्ता प्रणाली में निरंतर सुधार के लिए जिम्मेदार है। स्नातक छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट का विवरण (25 अक्टूबर 2022 तक) इस प्रकार है:

तालिका 5फ
(कैंपस प्लेसमेंट का विवरण)

शैक्षणिक वर्ष	कुल उत्तीर्ण	कुल नियोजित	नियोजित %	उद्योग में नियोजित, जेआरएफ/परियोजना फैलो	उच्चतर शिक्षा का चयन करने वाले
2018-19	32	26	81.26 %	21	4
2019-20	36	13	36.11 %	9	4
2020-21	44	32	72.72 %	18	18
2021-22	51	40	78.43 %	25	15

ग्राफ 5क
(कैंपस प्लेसमेंट का विवरण)

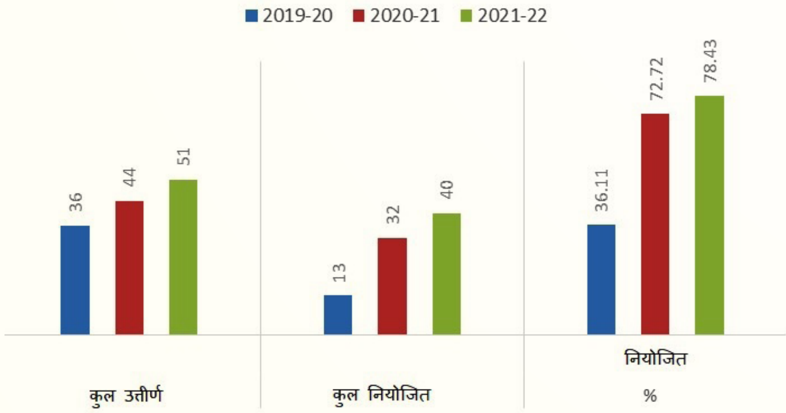

भर्तीकर्ताओं में नोवार्टिस, अरबिंदो, फ्रायर सॉल्यूशंस, आईक्यूवीआईए, इंडिजीन, ताज फार्मा, जॉन्सन एंड जॉन्सन, आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस (जेआरएफ), एम्स (जेआरएफ), पैनेसिया बायोटेक, मैनकाइंड फार्मा, टीसीएस, जीनसिस, कॉग्निजेंट, डेल्विनसाइट, कैडिला, एपीसीईआर, पारेक्सल, आदि शामिल हैं।

5.6.7 अनुसंधान

विभागीय अनुसंधान कार्यकलाप: जैव प्रौद्योगिकी विभाग

- बीमारियों का पता लगाने और निदान के लिए एक बायोसेंसर के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग।
- ऐसे समाधान तैयार करना जो स्नायविक रोगों के उपचार के लिए सूक्ष्म और नैनोस्केल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं।

विभागीय अनुसंधान कार्यकलाप: फार्मेसी पद्धति विभाग

- फार्माकोविजिलेंस और मेटेरियोविजिलेंस
- औषध सुरक्षा और वहनीयता एवं पहुंच सहित औषधि उपयोगिता समीक्षा
- इन्फेक्शियस रोग एवं एएमआर: एचआईवी, टीबी एवं लेशमैनिएसिस
- क्लिनिकल प्रभावकारिता एवं सुरक्षा अध्ययन
- फार्माकोजेनेटिक और बायोमार्कर स्टडीज

विभागीय अनुसंधान गतिविधियाँ: फार्माकोलोजी एवं टोक्सीकोलोजी विभाग और रेगुलेटरी टोक्सीकोलोजी

- मनोदशा को उलटने और उम्र बढ़ने, अल्जाइमर रोग, और कैंसर या कीमोथेरेपी-प्रेरित मस्तिष्क विकारों के लिए फ़ार्माकोलॉजिकल, आनुवंशिक और स्टेम सेल-आधारित हस्तक्षेपों का विकास करना।
- स्नायविक विकारों, कैंसर, मधुमेह और संक्रामक रोगों का पता लगाने, रोग का निदान करने और चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए सरल, किफ़ायती और उपयोग में आसान बायोमार्कर की पहचान करना।
- हर्बल, सिंथेटिक और बायोलोजिकल उत्पादों की एडीएमईटी प्रोफाइल स्थापित करने के लिए इनका फार्माकोकाइनेटिक आधारित अध्ययन।
- प्लांट आधारित सिंथेटिक और बायोलोजिकल उत्पादों की सुरक्षा प्रोफाइल स्थापित करने के लिए इनका टोक्सीकोलोजिकल अध्ययन।

विभागीय अनुसंधान गतिविधियां: फार्मास्यूटिक्स विभाग

- पारंपरिक, संशोधित-रिलीज, साइट-विशिष्ट और लक्षित दवा वितरण प्रणाली का विकास।
- नैनो-प्रौद्योगिकी आधारित फॉर्मुलेशनों का विकास।
- पुअर वाटर सोल्युबल दवाओं की पार्टिकल इंजीनियरिंग और सोल्युबिलिटी एन्हैंस्मेंट।
- फॉर्मुलेशन विकास में क्यूबीडी (डीओई) और कंप्यूटर एडेड एप्रोच को एकीकृत करना।
- एपीआई और फॉर्मुलेशनों का इन-विट्रो और एक्स-विवो / इन-विवो लक्षण वर्णन।

औषध विश्लेषण विभाग

- माइक्रोबियल, पशु ऊतक और मानव सीरम की एलसी-एचआरएमएस-आधारित प्रोटिओमिक्स प्रोफाइलिंग;
- सी.एलिगेंस का मेटाबोलॉमिक्स डेटाबेस विकास;
- प्राकृतिक उत्पाद प्रोफाइलिंग /पहचान द्वितीयक मेटाबोलाइट (नाईपर-जी के साथ सामान्य अनुसंधान योजना)
- औषध उत्पादों में नाइट्रोसामाइन नियंत्रण (नाईपर-के के साथ सामान्य अनुसंधान योजना)
- प्रोटिओमिक्स-आधारित लक्ष्य पहचान, और माइक्रोबियल/कैंसर दवा प्रतिरोधक का तंत्र अध्ययन
- कैंसर चिकित्सा विज्ञान में खाद्य-ओमिक्स,

- एलसी-एचआरएमएस, एचपीएलसी/प्रेप एक्यूबीडी द्वारा एचपीएलसी/क्यूएसआरआर/आईसीएचक्यू14 पद्धति का उपयोग करते हुए उद्योग-संबंधित विश्लेषणात्मक पद्धति का विकास।

5.6.8 प्रभाव एवं उपलब्धियां

इस संस्थान ने सफलतापूर्वक तीन विषयों में 475 पीजी और 17 पीएचडी छात्र दिये हैं जो या तो विभिन्न औषध उद्योगों में कार्यरत हैं या दुनिया भर के विभिन्न संस्थानों या विश्वविद्यालयों में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नाईपर हाजीपुर के कई पूर्व छात्र विभिन्न संस्थानों में संकाय के रूप में कार्य कर रहे हैं। फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी प्रयोगशाला को अक्तूबर, 2020 में स्थापित किया गया। वर्ष के दौरान, पशु घर को सीपीसीएसईए अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसके अलावा शैक्षणिक वर्ष 2021 में मास्टर्स और पीएचडी के साथ फार्मास्युटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिक्स शाखाओं की शुरुआत की गई। शैक्षणिक वर्ष 2022 में, मास्टर्स और पीएचडी पाठ्यक्रम के साथ रेगुलेटरी टोक्सीकोलोजी की शुरुआत की गई।

कुछ तस्वीरें

4 जून, 2022 को माननीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया का दौरा

15 जून, 2022 को आयोजित एन्टरप्रेन्योरशिप इम्पैक्ट लैक्चर सिरीज, 2022

डा. अरुण बंद्योपाध्याय, निदेशक, सीएसआईआर-आईआईसीबी, कोलकाता और डा. कृष्ना पांडे, निदेश आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, पटना ने दिनांक 09.07.2022 को सहभागिता अनुसंधान के लिए संकाय सदस्यों और अनुसंधान विद्वानों के साथ बातचीत की।

औषध खोज में प्रोटिओमिक्स पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी - 25-26 अगस्त 2022

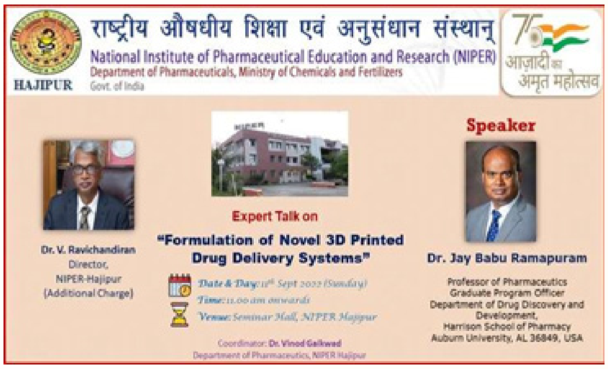

11 सितंबर, 2022 को नवीन 3डी प्रिंटेड औषधि प्रदानगी प्रणाली के निर्माण पर विशेषज्ञ वार्ता।

21 जून, 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई-2022) का समारोह

नाईपर हाजीपुर का चौथा दीक्षांत समारोह 23 जुलाई, 2022 को आयोजित किया गया।

13 अगस्त, 2022 को #आजादी का अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर फ्लैग रैली की झलकियां
15 अगस्त, 2022 को देश की 76वीं स्वतंत्रता का समारोह।

5.7 नाईपर, गुवाहाटी

नाईपर, गुवाहाटी ने वर्ष 2008 से अपना कार्य शुरू करते हुए मेंटर संस्थान, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी के अंतर्गत जुलाई, 2017 तक कार्य किया। पहले नियमित निदेशक ने 3 नवंबर 2016 को संस्थान के निदेशक का पदभार संभाला। नाईपर-गुवाहाटी जनवरी, 2020 से चांगसेरी, कामरूप (ग्रामीण), उत्तरी गुवाहाटी, असम स्थित अपने स्थायी परिसर से अपना कार्य कर रहा है।

इस संस्थान के पास सरकार के प्रीमियम वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा पहचाने जाने वाले नौ (09) राष्ट्रीय केंद्र हैं अर्थात्

i. प्रौद्योगिकी विकास हस्तांतरण बोर्ड, डीएसटी द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय फार्माकोइन्जिनियरिंग केंद्र;
ii. बायोनेस्ट इन्क्यूबेशन सेंटर, बीआईआरएसी, डीबीटी;
iii. जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल मंत्रालय से जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल उत्कृष्टता केंद्र;
iv. जीएमपी मान्यता प्राप्त पायलट स्केल-अप निष्कर्षण सुविधाकेन्द्र, डीबीटी;
v. टीआईईएस, वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में हर्बल उद्योग के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन और मूल्यवर्धन केंद्र और
vi. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से जीएलपी मान्यता प्राप्त पशु घर सुविधाकेन्द्र।
vii. एमईआईटीवाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से औषध डिजाइन के लिए उन्नत केंद्र, और
viii. भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) गाजियाबाद से फार्माकोविजिलेंस सेंटर, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय।
ix. अटल-इन्क्यूबेशन सेंटर, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग

5.7.1. उपलब्धियां

i. पीएचडी-119 (नामांकित), डिग्री से सम्मानित-28 (संस्थान के प्रारंभ से)
ii. कुल एम.एस. (फार्मा)/एम.फार्मा/एम.टेक (संस्थान के प्रारंभ से)

पंजीकृत छात्रों की संख्या	: 837
स्नातक	: 559
वर्तमान में अपना पीजी पाठ्यक्रम कर रहे छात्र	: 264

iii. नाईपर-जी के लगभग 100% छात्रों को प्रत्येक विभाग के विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों जैसे डॉ रेड्डीज, ग्लैंड फार्मा, मैकलियोड्स, जीवीके-बायोसाइंस, सिनजीन आदि में ऑन/ऑफ कैम्पस नियोजन पद्धतियों के माध्यम से नियोजन प्राप्त हुआ है।
iv. प्रकाशन: उत्कृष्ट समीक्षित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कुल 411 लेख प्रकाशित हुए हैं जिनमें से 108 लेख वर्ष 2021-22 में प्रकाशित हुए और अतिरिक्त 124 लेख भी दिसम्बर, 2022 तक प्रकाशित हुए हैं।
v. संस्थान के पास कुल 15 पेटेंट्स हैं जिनमें 02 डिजाइन पेटेंट और 02 कॉपीराईट है।

5.7.2. संकाय और स्टाफ का ब्योरा

प्रशासनिक स्टाफ	:	19+2 (संविदा पर)
अकादमिक स्टाफ	:	21
प्रोफेसर	:	02
एसोसिएट प्रोफेसर	:	04
सहायक प्रोफेसर	:	15+1 (1 तदर्थ)
अनुसंधान सहयोगी	:	09
तकनीकी स्टाफ	:	15
बहुकार्य स्टाफ	:	20
रामलिंगास्वामी फेलो	:	01

5.7.3. पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन (रूपये करोड़ में)

तालिका-5ब
(नाईपर, गुवाहाटी को निधि आबंटन)

वर्ष	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2018-19	33.50	33.50	33.50
2019-20	36.90	43.90	43.90
2020-21	34.45	79.45	79.45
2021-22	38.70	59.45	59.45
2022-23	35.00	35.00	32.00 (दिसम्बर, 22 तक)

5.7.4. छात्र

पेश किए गए डिग्री/कार्यक्रम और विषय (वर्ष के साथ)

तालिका-5भ
(विभिन्न विषयों में प्रवेश की स्थिति)

स्तर- मास्टर्स/ डोकटोरल	डिग्री एमएस/ एमबीए/ एम टेक/पीएचडी	विषय	वर्ष				
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी	15	15	15	18	19
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	जैव प्रौद्योगिकी	10	10	10	10	15
मास्टर्स	एम फार्मा	फार्मेसी प्रैक्टिस	10	9	10	12	14
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फर्मास्यूटिकल	15	18	18	20	24
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फर्मास्यूटिकल विश्लेषण	15	18	19	25	27
मास्टर्स	एम फार्मा	फर्मास्यूटिकल टेक्नोलोजी (फॉर्मुलेशन)	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	11	12	14
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषधीय रसायन शास्त्र	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	11	12	15
मास्टर्स	एम. टैक	चिकित्सा उपकरण	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	10	16	16
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	1
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फर्मास्यूटिक्स	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	1

एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फर्मास्यूटिकल टेक्नोलोजी (फॉर्मुलेशन)	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	1
डोकटोरल	पीएचडी	फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी	2+2*	1+2*	2	3	7
डोकटोरल	पीएचडी	जैव प्रौद्योगिकी	1	0	2	3	6+1*
डोकटोरल	पीएचडी	फार्मेसी प्रैक्टिस	1	1	1+1*	3	1+1#
डोकटोरल	पीएचडी	फर्मास्यूटिक्स	2*	1+3*	4+1*	7	8
डोकटोरल	पीएचडी	फर्मास्यूटिकल विश्लेषण	1*	1+1*	2+1*	5	6
डोकटोरल	पीएचडी	औषधीय रसायन शास्त्र	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	2	4	4

*पीएचडी परियोजना सीटें

#पीएचडी डीएसटी इन्सपायर फैलो

5.7.5 शिक्षक-छात्र अनुपात

फार्मेसी प्रैक्टिस	:	1:6
फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी	:	1:10
बायोटेक्नोलॉजी	:	1:6
फार्मास्यूटिक्स	:	1:12
औषध विश्लेषण	:	1:9
फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)	:	1:5
औषधीय रसायन विज्ञान	:	1:5
चिकित्सा उपकरण	:	1:9

5.7.6 रोजगार/नियोजन की स्थिति

वर्ष 2021-22 के 100 छात्रों में से 70 छात्रों को ऑन/ऑफ कैम्पस के दौरान प्रतिष्ठित औषध उद्योगों में नियोजन प्राप्त हुआ। इनमें से कुछ कम्पनियां हैं : डॉ रेड्डीज, ग्लैंड फार्मा, मैकलियोड्स, जीवीके-बायोसाइंस, सिनजीन। शेष 30 छात्रों ने उच्चतर शिक्षा को चुना और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में पीएचडी को ज्वाइन किया।

5.7.7 अनुसंधान

जैव प्रौद्योगिकी:

- कैंसर और कार्डियोमेटाबोलिक विकार में लक्ष्य-आधारित और फेनोटाइप-आधारित औषधि खोज
- चिकित्सीय हस्तक्षेप के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया
- नवीन लक्ष्यों की पहचान करना और एक परख प्रणाली विकसित करना
- फार्माकोजेनेटिक्स और वैयक्तिकृत चिकित्सा
- रोग तंत्र: इन्फ्लेमेशन और ऊर्जा मेटाबोलिज्म
- विकासात्मक दोष और कार्डियक रिप्रोग्रामिंग

- स्तन कैंसर जीव विज्ञान और दवा प्रतिरोध तंत्र
- ओवेरियन कैंसर के लिए नवीन पेप्टाइड आधारित एंटीकैंसर लक्षित चिकित्सा विज्ञान
- कैंसर प्रोरीग्रेशन में क्लोनल इवोल्यूशन का जीव विज्ञान
- बेसिक बायोलॉजी - स्टेम सेल बायोलॉजी और सिग्नल ट्रांसडक्शन
- बायोफार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी - चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण प्रोटीन और पेप्टाइड्स
- छोटे अणुओं और पौधों से प्राप्त उत्पादों की जांच करना

फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी:

फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी विभाग रोग और चिकित्सा विज्ञान के फिजियोलोजिकल, औषधीय, विष विज्ञानी और संपोषण संबंधी आधार का शिक्षण और शोध करता है। हमारे विविध संकाय के अत्याधुनिक शोध निम्नलिखित क्षेत्रों में फैले हुए हैं:

- कैंसर और इसकी जटिलताएँ
- ज्वलनशील स्थितियां: रह्यूमैटायड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और सोरायसिस
- श्वसन रोग: दमा, सीओपीडी और फेफड़े की फाइब्रोसिस
- न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग: अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग, मिर्गी, आदि।
- रीनल फाइब्रोसिस, हेपेटिक फाइब्रोसिस जैसे फाइब्रोटिक विकार
- कार्डियो-रीनल फार्माकोलॉजी
- मधुमेह और इसकी जटिलताएं, मुख्य रूप से नेफ्रोपैथी, कार्डियोमायोपैथी और न्यूरोपैथी
- संक्रामक रोग: मलेरिया
- ओईसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार विषविज्ञान संबंधी अध्ययन
- थेरानोस्टिक एप्रोचेज

फार्मेसी प्रैक्टिस:

- क्लिनिकल और ट्रांसलेशनल रिसर्च
- बायोमार्कर डिस्कवरी
- फार्माकोजेनोमिक्स
- नैदानिक अध्ययन से रोग प्रबंधन कार्यक्रम
- दवा उपयोगिता मूल्यांकन
- दवा सुरक्षा मूल्यांकन
- जनजातीय जनसंख्या स्वास्थ्य परिणाम मूल्यांकन
- स्वास्थ्य अर्थशास्त्र और परिणाम अनुसंधान
- साक्ष्य संश्लेषण

फार्मास्यूटिक्स:

- बीसीएस-द्वितीय-चतुर्थ दवाओं के लिए खुराक प्रपत्र डिजाइन, विकास, अनुकूलन और मूल्यांकन
- घातक रोगों और अन्य जानलेवा बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए सूक्ष्म और नैनोथेराग्नोसिस अवधारणाएं
- मानव शरीर में प्रत्यारोपित या सम्मिलित चिकित्सा उपकरणों की सतहों से बायोफिल्म-उत्पादक सूक्ष्मजीवों का उन्मूलन
- लिगेंड ने लिपिड/बहुलक-मध्यस्थ नैनोआर्किटेक्टोनिक्स
- उपेक्षित रोगों से लड़ने के लिए फार्माकोइंजीनियरिंग एप्रोच
- फार्मास्युटिकल एक्टिव मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग/3डी और 4डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी
- फ्यूज्ड-फिलामेंट्स अनुप्रयोगों के लिए एक्सट्रूज़न आधारित बायोफिलामेंट्स प्रोसेसिंग
- ट्रांसलेशनल अत्याधुनिक फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास

औषधीय विश्लेषण:

- विभिन्न कैंसर, हृदय और मेटाबोलिक संबंधी विकारों के मेटाबोलमिक्स और लिपिडोमिक प्रोफाइलिंग
- चिरल क्रोमैटोग्राफी तकनीक का उपयोग करके चिरल फार्मास्युटिकल यौगिकों का एनैन्टीओमेरिक पृथक्करण
- एंटीयोमेरिक स्थिरता, फार्माकोकाइनेटिक्स और चिरल दवाओं की मेटाबोलिक प्रोफाइलिंग
- एलसी-एमएस/एमएस और जीसी/एमएस का उपयोग करके मानव जोखिम को चिह्नित करने के लिए अंतःस्रावी व्यवधानों और अन्य उभरते पर्यावरणीय प्रदूषकों की बायोमोनिटरिंग
- फार्मास्यूटिकल्स की स्थिरता पर बिगड़े हुए पर्यावरण का प्रभाव
- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से पौधे का फाइटो-मेटाबोलोमिक्स अध्ययन
- विश्लेषणात्मक और जैवविश्लेषणात्मक विधि विकास और सत्यापन
- दवाओं और मेटाबोलाइट्स के फार्माकोकाइनेटिक अध्ययन
- ड्रग मेटाबोलाइट्स की पहचान और लक्षण वर्णन।
- ठोस अवस्था लक्षण वर्णन जेड संदर्भ सामग्री विकास
- नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद विकास

औषधीय रसायन शास्त्र

- सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई)/केएसएम/मध्यवर्ती सामग्री संश्लेषण
- सतत विकास: जैव-सक्रिय यौगिकों और एनसीई तक पहुंचने के लिए परमाणु-कुशल, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल नए सिंथेटिक मार्ग
- कार्बोहाइड्रेट रसायन, विषमचक्रीय रसायन और बहुचरण संश्लेषण
- दवा संश्लेषण के लिए ओर्गेनिक इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री के अनुप्रयोग
- प्राकृतिक उत्पाद एपीआई (निष्कर्षण, आइसोलेशन, शुद्धिकरण और लक्षण वर्णन)
- ड्रग डिस्कवरी चिकित्सीय लक्ष्य: सूक्ष्मजीव (हेपेटाइटिस सी वायरस और बैक्टीरिया), कैंसर (एचसीए, एमआरएनए बाइंडिंग प्रोटीन-एचयूआर, एचडीएसी), तंत्रिका संबंधी विकार (मिर्गी और अल्जाइमर रोग), अल्सरोजेनिक घाव भरना आदि।
- एआई-निर्देशित दवा डिजाइन और दवा मेटाबोलिज्म

फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मुलेशन)

- प्रीफॉर्मुलेशन स्क्रीनिंग
- प्राकृतिक बायो-एक्टिव्स सहित बीसीएस वर्ग II और IV अणुओं की बेहतर सुपुर्दगी के लिए प्रोटोटाइप फॉर्मूलेशन विकसित करना।
- क्यूबीडी सिद्धांतों के आधार पर खुराक स्वरूपों का अनुकूलन
- एमॉर्फस दवा वितरण प्रौद्योगिकी (एमॉर्फस ठोस फैलाव, सह-एमॉर्फस प्रणाली)
- जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए उत्पाद के निर्माण की रिवर्स इंजीनियरिंग
- हर्बल उत्पाद विकास
- आसमाटिक दवा वितरण प्रणाली
- बहु-कणीय दवा वितरण प्रणाली

चिकित्सा उपकरण

- कोल्ड प्लाज़्मा (सीपी) तकनीक
- बहुकोशिकीय स्फेरॉइड और ऑर्गेनोटाइपिक 3डी कल्चर के लिए नैनोस्कैफोल्ड
- बायोसेंसर

- अल्ट्राथिन सेंसर जेड पेपर आधारित डायग्नोस्टिक्स
- नैनोबायोटेक्नोलॉजी
- माइक्रोफ्लुइडिक्स उपकरण
- कैंसर बायोमार्कर की बहुसंकेतन पहचान
- हाइपोडर्मिक सुइयों, एकल उपयोग सीरिंजों, कैथेटर और क्लास ए, और बी चिकित्सा उपकरणों का यांत्रिक लक्षण वर्णन

5.7.8 छात्रों का नामांकन:

पीएचडी छात्रों की वर्तमान संख्या : 80
(फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी-14; बायोटेक्नोलॉजी-12; फार्मेसी प्रैक्टिस-07; फार्मास्यूटिक्स-22; फार्मास्यूटिकल विश्लेषण-15 और औषधीय रसायन शास्त्र-10)

मास्टर्स छात्रों की वर्तमान संख्या : 264
(फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी-36; बायोटेक्नोलॉजी-24; फार्मेसी प्रैक्टिस-26; फार्मास्यूटिक्स-43 और फार्मास्यूटिकल विश्लेषण-51; औषधीय रसायन शास्त्र-26; औषध प्रौद्योगिकी (फॉर्मूलेशन)-27 और चिकित्सा उपकरण-31

5.7.9 पेटेंट और व्यवसायीकरण

संस्थान में कुल 15 पेटेंट, 2 कॉपीराइट और 3 डिजाइन पेटेंट हैं।

5.7.10 सहयोग

नाईपर-जी 49 सक्रिय समझौता ज्ञापनों में है। अभी तक, गुवाहाटी ने कई अग्रणी संस्थानों जैसे सीआईपीईट-गुवाहाटी, एनपीएल-नई दिल्ली, सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ, सीएसआईआर-नेशनल फिजिक्स लेबोरेट्री (एनपीएल), शंकरदेव नेत्रालय, गुवाहाटी, असम, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश, एम्स-बीबीनगर, तेलंगाना, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईएसबीडी)-इम्फाल, मणिपुर, आदि के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

5.7.11 नाईपर के प्रभाव

नाईपर-गुवाहाटी की स्थापना से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने को एक ठोस प्रोत्साहन मिला है। नाईपर-गुवाहाटी के अनुसंधान के प्रयासों द्वारा विभिन्न रोगों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की स्थानीय जड़ी बूटियों के औषधीय मूल्य पर अध्ययन को पुनर्जीवित किया गया है। नाईपर-गुवाहाटी ने एनईआर में उद्यमिता संस्कृति का संवर्धन करने और बढ़ावा देने के लिए कई आभासी/भौतिक सम्मेलन, बैठक, कार्यशाला, कौशल विकास कार्यक्रम आदि का आयोजन किया है। यह संस्थान एनईआर के विभिन्न राज्यों जैसे असम, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा आदि के पारंपरिक चिकित्सकों और संभावित उद्यमियों को क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए समर्थन कर रहा है।

नाईपर-गुवाहाटी के नए शामिल हुए संकाय सदस्यों को वर्ष 2020-21 में विभिन्न वित्तपोषण एजेंसियों जैसे आईसीएमआर, एसईआरबी, डीएसटी, बीआईआरएसी-एनईआर योजना, आदि से कई अतिरिक्त वित्त पोषित परियोजनाओं से सम्मानित किया गया है।

एम.एस/एम. फार्मा./एम.टेक डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या।

तालिका-5म

(नामांकित/डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की वर्ष-वार स्थिति)

क्र.सं.	बैच	नामांकित छात्रों की संख्या	डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या
1	2015-17	26	26
2	2016-18	35	35
3	2017-19	39	39
4	2018-20	65	65
5	2019-21	70	70
6	2020-22	103	100
कुल		**338**	**335**

कुछ तस्वीरें

रसायन एवं उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति का दौरा

5.8 नाईपर-अहमदाबाद

नाईपर-अहमदाबाद वर्ष 2007 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में अगस्त, 2016 से गांधीनगर में 60 एकड़ भूमि स्थल पर अस्थायी भवन से कार्य कर रहा है। संस्थान वर्तमान में 07 पाठ्यक्रमों (फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एवं टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्राकृतिक उत्पाद, औषधीय रसायन विज्ञान और चिकित्सा उपकरण) में एमएस और पीएचडी कार्यक्रम करवा रहा है। शैक्षणिक वर्ष, 2020 से नाईपर-अहमदाबाद ने एमबीए (फार्मा) में मास्टर कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। नाईपर अहमदाबाद में अंतःविषय पाठ्यक्रम और सांस्कृतिक विविधता अपने छात्रों में नवीन अनुसंधान और सर्वांगीण विकास की भावना को जागृत करता है। संस्थान का स्थान फार्मास्यूटिकल उद्योग, चिकित्सा केंद्र और तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ सहजीवी सहयोग सुनिश्चित करता है। संस्थान फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान को पुनर्जीवित करने और फार्मास्यूटिकल और बायोमेडिकल विज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए एक अच्छे शुरूआती प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने की इच्छा रखता है।

परिसर का विनिर्माण:नाईपर अहमदाबाद के परिसर का विनिर्माण वित्त वर्ष 2020-21 से एचएससीएल द्वारा शुरू किया गया है, जो कि इसके लिए नियुक्त पीएमसी है। लगभग 56 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

5.8.1 उपलब्धियां

प्रकाशन- संस्थान ने 12692 के कुल उद्धरणों के साथ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 886 लेख प्रकाशित किए हैं।

पेटेंट- अब तक, संस्थान ने 15 पेटेंट दाखिल किए हैं जिनमें अविष्कारक नाईपर-अहमदाबाद के संकाय या छात्र हैं।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर- संस्थान ने अब तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के साथ 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

एमएस कार्यक्रम में छात्र

i. 856 एमएस फार्मा छात्रों ने पहले ही नाईपर-अहमदाबाद से स्नातक किया है और भारत और विदेशों में विभिन्न फार्मा उद्योगों में अच्छी तरह से स्थापित हैं।

ii. वर्तमान में, 316 छात्र 8 विषयों में एमएस (फार्मा) और एमबीए (फार्मा) पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

पीएचडी कार्यक्रम में छात्र

i. आज तक 24 छात्रों को पीएचडी डिग्री से सम्मानित किया गया है।

ii. 116 छात्र अपनी पीएचडी का अध्ययन जारी रखे हुए हैं।

छात्रों का प्लेसमेंट- इच्छुक छात्रों का शत-प्रतिशत प्लेसमेंट हो गया है

5.8.2 संकाय और कर्मचारियों का विवरण

निदेशक के पद के अतिरिक्त, निम्नलिखित पद भरे गए हैं:

तालिका 5य
(संकाय और कर्मचारियों का विवरण)

पद	नियमित	संविदात्मक
संकाय पद	18	1
गैर-संकाय पद	17	3

5.8.3 पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन

तालिका 5कक

(नाईपर, अहमदाबाद को निधि का वर्ष-वार आबंटन) (रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटन ब.अ.	आबंटन स.अ.	कुल जारी
2019-20	15.00	18.50	18.50
2020-21	60.50	60.50	60.50
2021-22	54.00	54.00	54.00
2022-23	74.00	107.00	28.00 (दिसंबर, 22 तक)

5.8.4 छात्र

प्रवेश की स्थिति सहित प्रदान की जाने वाली डिग्री/कार्यक्रम और विषय (वर्ष सहित)

तालिका 5कख

(विभिन्न विषयों में प्रवेश की वर्षवार स्थिति)

मास्टर्स/डॉक्टरेट	एमएस/पीएचडी	विषय	प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या			
			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	जैव प्रौद्योगिकी	13	15	15	15
डॉक्टरेट	पीएचडी		4	4	4	2+1*
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषधीय रसायन शास्त्र	22	22	22	21
डॉक्टरेट	पीएचडी		4+2*	5	5	10
एकीकृत पीएचडी			-	-	-	1
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	चिकित्सा उपकरण	14	15	15	15
डॉक्टरेट	पीएचडी		1	3	3	3
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	प्राकृतिक उत्पाद	10	12	12	16
डॉक्टरेट	पीएचडी		1	3	3	1
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषधि विश्लेषण	22	22	22	23
डॉक्टरेट	पीएचडी		3	5*1	5	8
एकीकृत पीएचडी						1
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोलॉजी और विष विज्ञान	22	22	22	22
डॉक्टरेट	पीएचडी		3+2*	5	5	9
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषध बनाने की विद्या	32	22	22	24
डॉक्टरेट	पीएचडी		3+1*	5	5	7
एकीकृत पीएचडी						1
एमबीए (फार्मा)	एमबीए (फार्मा)		20	25	25	26
			169	**186**	**185**	**206**

*पीएचडी परियोजना सीटें

डिग्री/एमएस/एमबीए/एम.टेक/पीएच.डी	विषय	प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या				
		2018-20	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
एमएस	7 विषय	96	107	125	125	162
एकीकृत पीएचडी	3 विषय	-	-	-	-	03
पीएचडी	7 विषय	7	12	19+5*	30+1*	40+1*
एमबीए (फार्मा)		-	-	20	25	26

*पीएचडी परियोजना सीटें

5.8.5 शिक्षक-छात्र अनुपात

वर्तमान में 1:22.73 (19 संकाय: 432 छात्र)

5.8.6 नियोजनीयता/प्लेसमेंट स्थिति

तालिका 5कग
(कैंपस/ऑफ कैंपस में पिछले 3 वर्षों की प्लेसमेंट स्थिति)

बैच	छात्रों की कुल संख्या	प्लेस नहीं किए गए	प्लेस किए गए छात्रों की कुल संख्या	उच्च अध्ययन के लिए जा रहे हैं
2018-20	96	13	65	18
2019-21	107	2	83	22
2020-22	142	2	115	25

5.8.7 शिक्षक: अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग

नाईपर-अहमदाबाद ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, बोस्टन, यूएसए, जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, बाल्टीमोर, एमडी, यूएसए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए, वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सिएटल, यूएसए; न्यूकैसल विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज एंड फार्मेसी, ऑस्ट्रेलिया; यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी स्कूल ऑफ फार्मेसी, यूएसए; वेन स्टेट यूनिवर्सिटी यूज-इंस्पायर्ड बायोमैटिरियल्स एंड इंटीग्रेटेड नैनो डिलीवरी सिस्टम्स लेबोरेटरी, यूएसए; और आयरलैंड राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, गॉलवे, आयरलैंड के संकायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग स्थापित किया है। इस पहल के अंतर्गत, इन विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के शोध संकाय नाईपर-अहमदाबाद के संकाय सदस्यों के साथ भावी अनुसंधान सहयोग और अकादमिक साझेदारी स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। वर्ष 2021-22 और वर्ष 22-23 के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध हैं:

तालिका 5कघ
(वर्ष 2021-22 और 22-23 के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन)

क्र.सं.	समझौता ज्ञापन विवरण	समझौता ज्ञापन तारीख
1	एम्स, भोपाल	18-02-2021
2	नेस्ले खाद्य सुरक्षा संस्थान, मानेसर गुरुग्राम, हरियाणा	13-07-2021
3	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, टाइगर सर्कल रोड, माधव नगर, मणिपाल, कर्नाटक 576104	13-09-2021
4	जीसीएस अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र, डीआरएम कार्यालय के सामने, चामुंडा ब्रिज के नजदीक, नरोदा रोड, अहमदाबाद-380 025, गुजरात, भारत	17-08-2022

5.8.8 अनुसंधान:सक्रिय अनुसंधान क्षेत्र

जैव प्रौद्योगिकी विभाग:

- ट्रांस्क्रिप्टोमेनैलिसिस के माध्यम से ओएससीसी रोगियों की आनुवांशिक प्रोफ़ाइल और बायोमार्कर पहचान
- आण्विक तंत्र को विच्छेदित करना जिसके द्वारा स्वस्थ कोशिकाएं कैंसरग्रस्त और मेटास्टेसाइज हो जाती हैं
- एमआईआरएनए के माध्यम से मधुमेह अपवृक्कता में एपिजेनेटिक मॉड्यूलेशन
- बहिर्जात हाइलूरोनिक एसिड प्रेरण का उपयोग करके स्तन कैंसर स्टेम सेल को संशोधित करना
- कैंसर-रोधी अणुओं के डिजाइन और सत्यापन के लिए प्रयोगात्मक और कम्प्यूटेशनल दृष्टिकोण का संयोजन

- इंडोल आधारित कैंसर-रोधी यौगिकों का संरचनात्मक और कार्यात्मक मूल्यांकन हिस्टोन डीएसेटाइलिस (एचडीएसी) को लक्षित करता है
- टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में हिप्पोकैम्पल एसएएचपी मॉड्यूलेशन का आणविक लक्षण वर्णन
- उम्र बढ़ने में एसएएचपी की शक्ति में जंक्शन प्रोटीन को जोड़ने वाले ईआर-पीएम की भूमिका
- नियामक तंत्र की आणविक पहचान जो डोरोसेवेंट्रल हिप्पोकैम्पस न्यूरॉन्स के अंतर उत्तेजना पैटर्न को नियंत्रित करती है
- इस्केमिक मस्तिष्क की चोट में एल-टाइप कैल्शियम चैनलों का विभेदक विनियमन
- तीव्र माइलॉयड ल्यूकेमिया (एएमएल) के लिए लक्षित चिकित्सीय का विकास।

औषधीय रसायन विज्ञान विभाग:

- बायोमेडिकल अनुप्रयोगों के लिए पेप्टाइड्स और पेप्टाइडोमिमेटिक्स आधारित सॉफ्ट सामग्री
- सी-एच बांड सक्रियण के माध्यम से दवा उम्मीदवारों का विनिर्माण
- प्रतिवर्ती कैंसर-रोधी सहसंयोजक अवरोधकों का विकास
- सीएनएस संबंधी विकार और चोट के लिए लक्षित चिकित्सा
- एडिटिव और रिडक्टेंट-मुक्त निकेल कटैलिसीस के अंतर्गत एलिलिक अल्कोहल को नियोजित करते हुए कार्बोनेट-सक्षम एलिलिकिनेशन प्रतिक्रियाएं उधार लेना
- फार्मास्यूटिकल्स (दवाओं) के संश्लेषण की ओर हरित रासायनिक प्रक्रिया

चिकित्सा उपकरण विभाग:

- चिकित्सा उपकरणों और जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में बायोमटेरियल प्लेटफार्म
- इंटरवर्टेब्रल डिस्क की मरम्मत के लिए बायोइंजीनियर्ड थ्री-डायमेंशनल एलाइन्ड स्कैफोल्ड
- रीढ़ की हड्डी के पुनर्जनन के लिए पॉलिमरिक नाली
- मस्कुलोस्केलेटल ऊतक पुनर्जनन और मरम्मत के लिए स्मार्ट 3डी स्मार्ट स्कैफल्ड
- संयुक्त आर्थ्रोप्लास्टी के लिए ओस्टियोकंडक्टिव और उच्च शक्ति वाली हड्डी सीमेंट
- कैंसर चिकित्सा विज्ञान के लिए उन्नत रणनीतियां
- डायग्नोस्टिक अनुप्रयोगों के लिए पेपर-आधारित माइक्रोफ्लुइडिक्स
- जीवन विज्ञान और जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए सूक्ष्म/नैनो उपकरण
- कैंसर पर फोकस के साथ बायोइंजीनियर्ड 3डी रोग मॉडल का विकास
- रोग जीव विज्ञान को समझने के लिए इन विट्रो बायोफिजिकल माइक्रोएन्वायरमेंट का विनिर्माण
- कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए नॉन-इनवेसिव स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म

प्राकृतिक उत्पाद विभाग:

- पादप स्रोतों से नए जैव सक्रिय प्राकृतिक उत्पादों के अलगाव के लिए एलसी-एमएस आधारित डेरेप्लीकेशन कार्यनीति
- प्राकृतिक उत्पादों के कुल संश्लेषण और/या अर्ध-संश्लेषण के लिए सीएच सक्रियण कार्यनीति
- पारंपरिक आयुर्वेदिक पॉलीहर्बल योगों के मानकीकरण के लिए क्यू-मार्कर प्रणाली की स्थापना
- नोवल बायोएक्टिव स्कैफल्ड की खोज के लिए एंडोलिकेनिक कवक का जैव-पूर्वेक्षण
- धारणीय और नोवल बायोएक्टिव अणुओं के स्रोत के रूप में एंडोफाइटिक कवक
- एंटीडायबिटिक गतिविधि के साथ रासायनिक रूप से विविध बायोएक्टिव स्कैफल्ड उत्पन्न करने के लिए एंड्रोग्राफोलाइड का माइक्रोबियल बायोट्रांसफॉर्मेशन
- प्राकृतिक उत्पाद और कैंसर मेटाबोलॉमिक्स के लिए लक्षित और अलक्षित मेटाबॉलिक टेक्नोलॉजी पाइपलाइन की स्थापना करना
- जीएलपी-1आर एगोनिस्ट गतिविधि रखने वाले पौधे-व्युत्पन्न प्राकृतिक उत्पादों की पहचान।

औषध विश्लेषण विभाग:

- ड्रग-एक्सीपिएंट संगतता अध्ययन
- एचपीएलसी, एलसी-एमएस/एमएस और क्यूएनएमआर का उपयोग करके एपीआई और एनसीई का कृत्रिम क्षरण अध्ययन
- ड्रग-डिवाइस अनुकूलता और ड्रग रिलीज़ अध्ययन
- बायोएनालिसिस, ड्रग मेटाबॉलिज्म और फार्माकोकाइनेटिक्स
- पॉलिमर लक्षण वर्णन के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण
- सिंथेटिक पेप्टाइड लक्षण विवरण
- जटिल इंजेक्शन योग्य, नेत्र सूत्रीकरण लक्षण विवरण
- जीनोटॉक्सिक और नाइट्रोसामाइन अशुद्धियों के परिमाणीकरण के लिए विश्लेषणात्मक विधि विकास
- ड्रग उत्पाद का एक्स्ट्रेक्टेबल और लीचेबल अध्ययन
- बायोसिमिलर लक्षण विवरण

फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी विभाग:

- इंट्रा-धमनी मेसेनकाइमल स्टेम सेल उपचार का उपयोग करके इस्केमिक स्ट्रोक में माइटोकॉन्ड्रियल सुरक्षा
- इस्केमिक स्ट्रोक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तनाव का प्रतिकार करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी
- इस्केमिक स्ट्रोक में माइटोकॉन्ड्रियल सुरक्षा के लिए ग्रोथ हार्मोन-रिलीजिंग हार्मोन (जीआरएच) रिसेप्टर्स को लक्षित करने के आधार पर चिकित्सीय कार्यनीति
- इस्केमिक स्ट्रोक के पशु मॉडल में इन्फ्लामासोम सिग्नलिंग पर इनोसाइन की भूमिका की जांच
- क्रोनिक किडनी डिजीज में स्ट्रोक पैथोलॉजी के विस्तार में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस के प्रभाव की खोज
- स्ट्रोक के लिए स्टैटिन: एंडोप्लाज़मिक रेटिकुलम की भागीदारी का गहन रहस्य
- सीकेडी में इस्केमिक स्ट्रोक पैथोलॉजी का विस्तार: माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन का समावेश
- इस्केमिक स्ट्रोक के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की रक्षा में स्टैटिन की भूमिका की खोज
- पीआई3के/एकेटी पाथवे के माध्यम से सेरेब्रल इस्किमिया में इनोसिन की भूमिका की जांच करना
- स्ट्रोक के बाद के अवसाद में एपेलिन-13 की न्यूरोप्रोटेक्टिव भूमिका
- घ्राण बल्ब को लक्षित करने वाले पार्किंसंस रोग के प्रगतिशील माउस मॉडल का विकास
- पार्किंसंस रोग
- पीकेएम2 और सीडी98 अभिव्यक्ति को विनियमित करके स्तन कैंसर मेटास्टेसिस में एमआईआर 128 3पी की भूमिका की खोज
- पार्किंसंस रोग के विकास में उन्नत ग्लाइकेशन एंडप्रोडक्ट्स (रेज) सिग्नलिंग मार्ग के लिए रिसेप्टर पर ग्लाइकेटेड α-एसआईएन की भूमिका की खोज
- पार्किंसंस रोग के रॉटेनोन-प्रेरित माउस मॉडल में स्वर्टियामारिन की चिकित्सीय क्षमता का मूल्यांकन
- पार्किंसंस रोग के माउस मॉडल में चयनात्मक एमएओ-बी अवरोधकों के रूप में इंडोल-बेंजोथियाज़ोल और एमिनोइंडेन डेरिवेटिव के प्रभाव की खोज
- रीढ़ की हड्डी की चोट के प्रायोगिक मॉडल (एस) में माइक्रोट्यूब्यूल स्थिरीकरण और एक्टिन माइक्रोफिल्मेंट डायनामिक्स पर लीम किनेज (एस) की भूमिका की खोज
- प्रायोगिक रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद संवहनी परिवर्तन और सूजन की मात्रा निर्धारित करने के लिए टोमोग्राफिक इमेजिंग और सहसंबंध
- रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद फाइब्रोटिक निशान के गठन पर एथमसाइलेट की भूमिका का मूल्यांकन
- चूहों में रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद फ़ेंसराइन की बहुआयामी क्रिया की जांच करना
- असहनीय दर्द के क्षीणन में कूमेरिन डेरिवेटिव्स की गतिविधि को समझना
- न्यूरोपैथिक दर्द से राहत में पाइरूवेट किनेज एम2 इनहिबिटर (पीकेएम2) की भूमिका की खोज

- ओरल कैंसर ज़ेनोग्राफ़्ट माउस मॉडल में सिस्प्लैटिन प्रतिरोध पर एक्सोसोमल एनआईआर-155 अवरोधक की भूमिका का मूल्यांकन।

औषध विज्ञान विभाग:

- कैंसर-रोधी बायोएक्टिव के प्रभावी साइटोसोलिक वितरण के लिए नवीन पॉलिमरिक नैनोमटेरियल का विकास
- डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लक्षित चिकित्सा के लिए नैनोकणों में हस्तक्षेप करने वाले इंजेक्शन आरएनए का विनिर्माण विकास
- ग्राफीन ऑक्साइड लिपटे पॉलीमेरिक नैनोकणों का उपयोग करके ट्रिपल-नकारात्मक स्तन कैंसर (टीएनबीसी) के उपचार के लिए त्रिपक्षीय दृष्टिकोण
- प्रतिरोधी ट्यूमर के उपचार के लिए एनआईआर लेजर सक्रिय करने योग्य नैनोप्लेटस
- रिस्पेक्टएबल ट्यूमर के पोस्ट-सर्जिकल रिलैप्स की रोकथाम के लिए एनआईआर लेजर सक्रिय करने योग्य नैनोसीड्स
- इलेक्ट्रो स्प्रेइंग बनाम लियोफिलाइजेशन: ड्रग नैनोसस्पेंशन के सॉलिड-स्टेट गुणों पर प्रभाव
- जैव-वृद्धि के लिए पारंपरिक खुराक रूपों में खराब घुलनशील दवाओं को तैयार करना
- पेनट्रेशन बढ़ाने वाले का उपयोग करके मैक्रोमोलेक्यूलर थैरेप्यूटिक्स के वितरण के लिए मौखिक मार्ग का लाभ उठाना
- लक्ष्यीकरण, एपोप्टोसिस प्रेरण, और पेट के कैंसर के उपचार के लिए नैनोकणों को एन्कैप्सलैटिंग मिनिकैप्सूल

5.8.9 नाईपर का प्रभाव

नाईपर-अहमदाबाद देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी के एक हिस्से के रूप में 'मेक इन इंडिया' पहल में योगदान देता है। संस्थान ने विकास कार्यनीति के एक अभिन्न अंग के रूप में अनुसंधान सहयोग सहित स्वयं को देश के शीर्ष तकनीकी फार्मेसी अनुसंधान संस्थानों में से एक के रूप में स्थापित किया है। इसने उद्योग के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और मलेशिया के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों के साथ अनुसंधान, संकाय यात्रा, पाठ्यक्रम उन्नयन और कई उद्योगों और अग्रणी संस्थानों के साथ नियामक सुधारों में सहयोग के लिए अपनी पहुंच का विस्तार किया है। संस्थान ने विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों, चर्चाओं का आयोजन किया है जिसमें मास्टर्स के छात्रों, पीएचडी, पोस्ट डॉक्स और अकादमिक और उद्योग के शोधकर्ताओं ने भाग लिया था। विचार-विमर्श वैज्ञानिक रूप से प्रेरणादायक हैं और इससे स्वस्थ परस्पर वार्ता और सहयोग हुआ है।

5.8.10 पुरस्कार/उपलब्धियां

1. राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क-2022 (एनआईआरएफ):-नाईपर-अहमदाबाद को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ 2022 के अनुसार भारत के सभी फार्मेसी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों में 10वां स्थान दिया गया है।
2. शीर्ष 2% विश्व वैज्ञानिक:-डॉ. राकेश के. टेकाडे को एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित एक हालिया सूची द्वारा शीर्ष 2% विश्व वैज्ञानिक में सूचीबद्ध किया गया था।
3. 14वीं वर्ल्ड स्ट्रोक कांग्रेस में ओरल प्रस्तुति के लिए चयनित: सुश्री ऐशिका दत्ता नाईपर-अहमदाबाद पीएचडी छात्रा (फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी विभाग) को 14वीं वर्ल्ड स्ट्रोक कांग्रेस, सिंगापुर में अपना पीएचडी शोध कार्य प्रस्तुत करने के लिए ओरल प्रस्तुति के लिए चुना गया है।
4. पश्चिम क्षेत्र में प्रथम स्थान और भाग लेना: सुश्री सृष्टि शाह एमएस छात्र नाईपर-अहमदाबाद ने पश्चिम क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया और डिसो रिसर्च प्रेजेंटेशन इंडिया (डीआरपीआई) 2022-एम. फार्म श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन में फाइनलिस्ट के रूप में भाग ले रही हैं।
5. शोध पत्र प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार: डॉ. दिनेश कुमार (औषधीय रसायन विज्ञान विभाग) की देखरेख में पीएचडी विद्वान श्री श्याम कुमार लोखंडे ने नाईपर कोलकाता द्वारा आयोजित नाईपर शोध संगोष्ठी में आयोजित छात्र शोध पत्र प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया।

6. एफईएनएस-आईबीआरओ/पीईआरसी यात्रा अनुदान: सुश्री ऐशिका दत्ता नाईपर-अहमदाबाद पीएचडी छात्र (फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी विभाग) को 13वें एफईएनएस फोरम ऑफ न्यूरोसाइंस, पेरिस, फ्रांस (जुलाई 9-13, 2022) में अपना शोध कार्य प्रस्तुत करने के लिए एफईएनएस-आईबीआरओ/पीईआरसी ट्रैवल ग्रांट से सम्मानित किया गया।
7. महिला स्वास्थ्य सेवा चुनौती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान: पीएचडी छात्रों श्री गौरांग हरि गुप्ता, सुश्री वैदेही भावसार और श्री आशीष साहू ने पी एंड जी हेल्थ वुमेन इन हेल्थकेयर समिट में महिला स्वास्थ्य सेवा चुनौती प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता।
8. महिला स्वास्थ्य सेवा चुनौती प्रतियोगिता में दूसरा स्थान: एमएस के छात्रों श्री आनंद मोरे और सुश्री प्रतीक्षा जाधव ने हेल्थकेयर समिट में पी एंड जी हेल्थ वीमेन में महिला स्वास्थ्य सेवा चुनौती प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार जीता।
9. सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार: मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, इंदौर, एमपी में आयोजित एआईसीटीई प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सुश्री अनुराधा गादेवल पीएचडी स्कॉलर, डॉ. राकेश के. टेकड़े के निर्देशन में फार्मास्यूटिक्स विभाग में मास्टर्स रिसर्च के लिए सर्वश्रेष्ठ पोस्टर अवार्ड प्राप्त किया, जिसका शीर्षक “ग्रीन ग्राफीनैनोप्लेट्स फॉर कंबाइंड फोटो-कीमो-थर्मल थेरेपी ऑफ ट्रिपल-नेगेटिव स्तन कैंसर” था।

5.8.11 पेटेंट

संस्थान ने 1 पेटेंट दायर किया है और वर्ष 2021-22 में 1 पेटेंट को ग्रेट किया गया था।

1. पेटेंट दायर किया

पेटेंट शीर्षक: पीएलजीए-डाइपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स बायोकंपैटिबल फार्मास्युटिकल एक्सीपिएंट कंपोजिशन फॉर कंट्रोल ड्रग रिलीज, इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन नंबर 202221006145 (दिनांक: 04/02/2022) अविष्कारक का नाम: बिचिस्मिता साहू, रवि शाह, शुभम पाटिल, हबीब सालेहा, प्रेरणा, नीरज कुलकर्णी, प्राजक्ता गजानन तियाला राव, फेनिबेन चेतनभाई कपाड़िया।

2. पेटेंट दिया गया

पेटेंट का शीर्षक : कार्बोनेट ब्राउजिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एलिलिक एमिनेशन यूजिंग एलिल अल्कोहल्स अंडर निकेल कैटेलिसिस, भारतीय पेटेंट आवेदन संख्या 202021016956 (अनुदान की तिथि : 29/07/2022) आविष्कारक का नाम : दिनेश कुमार, गार्गी निखिल वैद्य।

5.8.12 संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम/कार्यशालाएं:-

नाईपर अहमदाबाद ने छात्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलन कार्यशालाओं/सेमिनार/वेबिनार/प्रशिक्षण का आयोजन किया। नाईपर-अहमदाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें इस प्रकार हैं

15 जून, 2022 को आयोजित नाईपर-अहमदाबाद में संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा

अस्थिर कार्बनिक यौगिकों और फार्मास्युटिकल अशुद्धियों के जीसी-एमएस/एमएस विश्लेषण पर व्यावहारिक कार्यशाला

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

वन महोत्सव

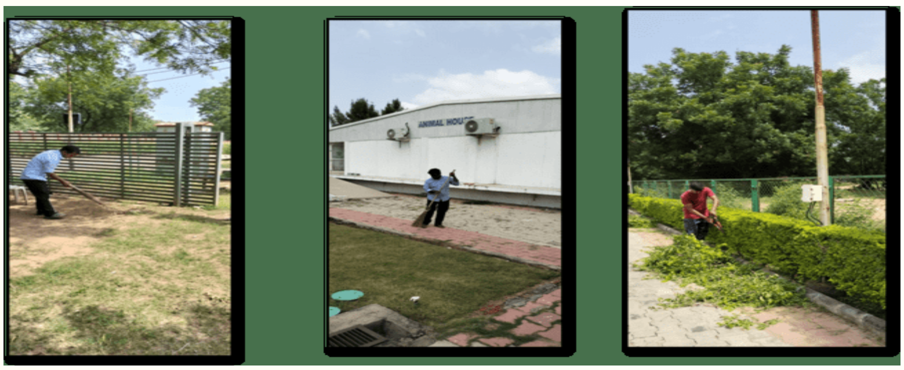

स्वच्छता पखवाड़ा, 2022

अध्याय-6

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)

6.3 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

6.4 कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)

6.5 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)

6.6 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)

अध्याय-6

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई)

औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्‌यम (सीपीएसई) आते हैं। इन पांच सीपीएसई में से

- तीन अर्थात इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल) और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) रुग्ण हैं और इन्हे औध्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को रेफर किया गया।
- राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) ने वर्ष 2013-14 से घाटा दर्ज किए जाने की सूचना दी और संभावित रुग्ण है।
- कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) एक लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई हैं।
- बीसीपीएल ने पिछले कुछ वर्षों से लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है।

तालिका 6क
(फार्मा सीपीएसई की बुनियादी जानकारी)
(31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार)

	एचएएल	आईडीपीएल	आरडीपीएल	बीसीपीएल	केएपीएल
स्थापित	1954	1961	1978	1981	1981
श्रेणीकरण	रुग्ण	पीएसयू (बंद होने की प्रक्रिया के अधीन)	संभावित रुग्ण	वर्ष 2016-17 से लाभ अर्जक	लाभ अर्जक
निवल मूल्य (करोड़ में)	-658.25	-8147.67	-91.58	160.98	258.11
कारोबार (करोड़ में)	106.91	शून्य*	शून्य	76.17	395.21
प्रचालनात्मक लाभ/हानि (करोड़ में)	15.43	-33	-27.86	8.15	23.71
देनदारियां (करोड़ में)	1274.64	-6142.63	142.03	216.85	125
बीआईएफआर को संदर्भित	1997	1992	नहीं	1992	लागू नहीं

* 27.50 करोड़ रुपये (किराए और ईटीपी से)

6.1.1 औषध पीएसयू पर मंत्रिमंडल का निर्णय

मंत्रिमंडल और मंत्रियों की समिति (सीओएम) द्‌वारा औषध सीपीएसई से संबंधित मुख्य निर्णय निम्नानुसार हैं;

i. **दिनांक 28.12.2016 को मंत्रिमंडल का फैसला,** जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि एचएएल, आईडीपीएल, आरडीपीएल और बीसीपीएल की केवल उतनी ही अधिशेष भूमि, जो देनदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक होगी, को सरकारी एजेंसियों को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बिक्री जाएगी और बकाया देनदारियों को

बिक्री प्रक्रिया से निपटाया जाएगा। देनदारियों को पूरा करने के पश्चात, बैलेंस शीट को परिमार्जन किया गया और वीएसएस/वीआरएस लागू किया गया; आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद किया जाएगा और एचएएल और बीसीपीएल को कार्यनीतिक बिक्री के लिए रखा जाएगा। निजी भागीदारी के लिए आईडीपीएल और एचएएल की सहायक कंपनियों को अलग करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। केएपीएल में भारत सरकार की 100% इक्विटी के कार्यनीतिक विनिवेश का निर्णय सीसीईए द्वारा दिनांक 01.11.2017 को डीआईपीएएम द्वारा प्रस्तुत नोट में लिया गया था।

ii. मंत्रिमंडल ने दिनांक 17.07.2019 को मामले की समीक्षा की और संशोधित डीपीई के दिनांक 14.06.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि की बिक्री की सिफारिश की; तीन पीएसयू- आईडीपीएल, एचएएल और आरडीपीएल के अवैतनिक वेतन और वीएसएस/वीआरएस सहित कर्मचारियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए 330.35 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में बजटीय सहायता; संपत्ति की बिक्री और बकाया देनदारियों के निपटान सहित बंद/कार्यनीतिक बिक्री से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की समिति का गठन।

iii. मंत्रिमंडल की सिफारिश के अनुसार सितंबर, 2019 में मंत्रियों की समिति (सीओएम) का गठन किया गया था। मंत्रियों की समिति (सीओएम) की पहली बैठक दिनांक 27.05.2021 को हुई, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गयीं:

- कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए 139 करोड़ रुपये (एचएएल के लिए 118 करोड़ रुपये और आरडीपीएल के लिए 21 करोड़ रुपये) की बजटीय सहायता।
- उत्तराखंड सरकार को 1.01 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि सहित ऋषिकेश में आईडीपीएल की 833.38 एकड़ पट्टाधारित भूमि की वापसी और अन्य स्थानों पर संपत्ति की बिक्री आय से यूपीसीएल को 46.39 करोड़ रुपये के सहमत बिजली बकाया का भुगतान करना।
- पुणे में एचएएल की 3.5 एकड़ भूमि ईपीएफओ को बातचीत के जरिए 42 करोड़ रुपये की मूल्य पर बिक्री।
- आईडीपीएल संयंत्र साइट-I, हैदराबाद से 50 एकड़ भूमि का नाईपर, हैदराबाद को नियमित परिसर स्थापित करने के लिए 889.50 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर भारत सरकार के आईडीपीएल को ऋण/नाईपर, हैदराबाद को काल्पनिक अनुदान के विरूद्ध बकाया समायोजन करने के लिए हस्तांतरण।
- पानीहाटी, कोलकाता में बीसीपीएल की 20.55 एकड़ भूमि नाईपर, कोलकाता को 345.24 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर नियमित परिसर स्थापित करने के लिए हस्तांतरित करना और अर्जित ब्याज सहित बीसीपीएल के 193.71 करोड़ रुपये को भारत सरकार के पूरे ऋण की माफी।

iv. दिनांक 22.06.2022 को आयोजित मंत्रियों की समिति (सीओएम) की दूसरी बैठक के निर्णय:

- समिति ने सैद्धांतिक रूप से आरडीपीएल को राजस्थान सरकार को हस्तांतरित करने और भारत सरकार के 60.29 करोड़ रुपये के ऋण को माफ करने को अनुमोदन दिया और औषध विभाग को मंत्रिमंडल नोट जारी करने की सलाह दी। मंत्रिमंडल नोट सक्रिय रूप से विचाराधीन है।
- समिति ने डीपीई द्वारा स्थापित की जा रही एसपीवी के माध्यम से आईडीपीएल की संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए गुरुग्राम और हैदराबाद में आईडीपीएल के संयंत्रों की फ्रीहोल्ड भूमि को डीपीई (प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक भवनों को छोड़कर और अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किराये से आय प्राप्त के लिए) को संदर्भित करने की सिफारिश की।
- समिति ने कार्यनीतिक विनिवेश के लिए बीसीपीएल को डीआईपीएएम के पास भेजने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया।
- समिति ने अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए अपनी अधिशेष भूमि की बिक्री सहित कार्यनीतिक विनिवेश के लिए एचएएल को डीआईपीएएम के पास भेजने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया।

6.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)

6.2.1 पृष्ठभूमि

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को 5 अप्रैल 1961 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी के मुख्य उद्देश्य आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों के संबंध में आत्मनिर्भरता सृजित करना, देश को आयात पर निर्भरता से मुक्त करना और वहनीय मूल्यों पर करोड़ों लोगों को दवाइयां प्रदान करना थे। आईडीपीएल को मूल रूप से स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के भाग के रूप में परिकल्पित और स्थापित किया गया और इसने भारतीय औषध उद्योग की वृद्धि में एक अग्रणी अवसंरचनात्मक भूमिका निभाई है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय डुंडेहेड़ा, गुड़गांव में अवस्थित है। आईडीपीएल के तीन मुख्य संयंत्र ऋषिकेश (उत्तराखंड), गुड़गांव (हरियाणा), हैदराबाद (तेलंगाना) में पूर्ण स्वामित्व वाली दो शत प्रतिशत अनुषंगी कंपनी, अर्थात, आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि., चेन्नई (तमिलनाडु) और बिहार ड्रग्स एवं ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (बीडीओसीएल), मुजफ्फरपुर (बिहार) में है। इसके अलावा, आईडीपीएल का इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लि. (आईपीआईसीओएल), उड़ीसा सरकार के सहयोग से संवर्धित एक संयुक्त उद्यम अर्थात उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि. (ओडीसीएल), भुवनेश्वर है जिसकी शेयरधारिता क्रमश: 51% और 49% है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.12.2016 को कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया। कैबिनेट के फैसले के मद्देनजर कंपनी बंद होने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने अपनी भूमि/अचल संपत्तियों के निपटान के लिए अक्टूबर, 2019 में भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में कार्य करने के लिए मैसर्स एनबीसीसी के साथ और नीलामी एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसकी चल और अचल संपत्तियों की ई-नीलामी की जा रही है। आईडीपीएल गुरुग्राम संयंत्र और हैदराबाद संयंत्र (भवन सहित) की भूमि का मूल्यांकन भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए)-एनबीसीसी द्वारा किया गया है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऋषिकेश प्लांट की जमीन की लीज अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और उसे वापस उत्तराखंड सरकार को लौटाया जा रहा है।

सभी संयंत्रों और सहायक कंपनियों की चल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी) का मूल्यांकन किया गया है। कंपनी अनुमोदित नीलामी एजेंसी अर्थात मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से इसका निपटान करने की प्रक्रिया में है।

दिनांक 28.12.2016 को लिए गए केंद्रीय मंत्रिमंडल के बंद करने के निर्णय के मद्देनजर अब सभी इकाइयां बंद हैं। वर्तमान में, कंपनी के पास कोई नियमित कर्मचारी नहीं है क्योंकि आईडीपीएल के सभी नियमित कर्मचारियों को दिनांक 14.06.2018 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार वीआरएस दिया गया है।

6.2.2 शत प्रतिशत आईडीपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां

क. आईडीपीएल (तमिलनाडु), चेन्नई

आईडीपीएल (तमिलनाडु), चेन्नई सितंबर, 1965 में निगमित की गई थी, जो आरंभ में एक सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट संयंत्र था और पश्चात में इसे फॉर्मूलेशन के उत्पादन के उपयोग में लाया गया। वर्ष 1994 में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज के अनुसार इस संयंत्र को दिनांक 01.04.1994 से आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड, चेन्नई के नाम व शैली से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रुप में रुपांतरित कर दिया गया। आईडीपीएल (तमिलनाडु) एक अनुसूची-एम अनुपालक संयंत्र है और सितंबर, 2018 तक औषधि फॉर्मूलेशनों के विनिर्माण का कार्य कर रही थी। इस यूनिट में अक्तूबर, 2018 से कोई उत्पादन नहीं हुआ है।

ख. बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिक्ल्स लि. (बीडीओसीएल), मुजफ्फरपुर

बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिक्ल्स लि., मुजफ्फरपुर वर्ष 1979 में निगमित किया गया था और दिनांक 01.04.1994 से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया। इस इकाई की संपूर्ण इक्विटी

पूंजी आईडीपीएल द्वारा धारित है। नवंबर, 1996 से इस संयंत्र में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है।

ग. संयुक्त उद्यम-उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिक्ल्स लि. (ओडीसीएल), भुवनेश्वर

उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिक्ल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) वर्ष 1979 में निगमित हुआ था और सितंबर 1983 में उत्पादन हेतु पूरी तरह से चालू हो गया। ओडीसीएल एक संयुक्त उद्यम उपक्रम है जो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) और औद्योगिक प्रवर्तन एवं निवेश कॉरपोरेट ऑफ उड़ीसा (आईपीआईसीओएल) द्वारा प्रवर्तित है। आईडीपीएल की इक्विटी शेयरधारिता 51% है और आईपीआईओसीएल की 49%। तत्कालीन बीआईएफआर ने एसआईसीए अधिनियम,1985 के अंतर्गत अप्रैल, 2003 में परिसमापन आदेश पारित किया। उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने एक अनंतिम परिसमापक नियुक्त किया था, जिसे बाद में रोक दिया गया था। जनवरी, 2021 के बाद से कोई उत्पादन गतिविधि नहीं हुई है। सभी शेयरधारकों की सहमति से, रोक हटाने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया है।

6.3 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

परिचय:

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो जीवन रक्षक दवाइयों के विनिर्माण और विपणन में लगी हुई है। एचएएल की स्थापना वर्ष, 1954 में डब्ल्यूएचओ/यूनिसेफ की सहायता से की गई थी। एचएएल एंटीबायोटिक्स थोक दवाइयों जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन आदि का विनिर्माण करने वाली पहली फार्मेसी सीपीएसई है।

एचएएल को दो नए अणुओं अर्थात हैमाइसिन और ऑरियोफुंगिन का आविष्कार करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है। वर्तमान में, एचएएल फार्मा फॉर्मूलेशन के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और फार्मा एवं कृषि बाजार की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए कृषि (एग्रो) फॉर्मूलेशन का वादा कर रहा है। एचएएल फार्मा उत्पादों में विभिन्न खुराक जैसे ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल उत्पाद, टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रा-वेनस फ्लूइड (आईवीएफ) उत्पाद, लिक्विड सिरप आदि के रूप शामिल हैं।

एचएएल उत्पादक और कुशल कार्य संस्कृति की ओर वापस लौट रहा है और कंपनी के लिए बेहतर टर्नओवर और लाभप्रदता हासिल करने के लिए सभी कदम उठा रहा है।

6.3.1 कंपनी की वर्तमान स्थिति:

उपलब्ध सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण:

एचएएल विनिर्माण सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) थोक संयंत्र:

एचएएल के पास 19x92 एम3 किण्वकों सहित इसकी सहायक सुविधाओं जैसे भाप, ठंडा पानी, कूलिंग टॉवर पानी, संपीड़ित हवा आदि के साथ किण्वन-आधारित विनिर्माण सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं का उपयोग पहले किण्वन आधारित बल्क दवाइयों जैसे पेनिसिलिन-जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, जेंटामाइसिन आदि के विनिर्माण के लिए किया जाता था। ये सुविधाएं वर्तमान में निष्क्रिय हैं।

(ख) सूत्रीकरण (फॉर्मूलेशन) सुविधा:

एचएएल फार्मा उत्पादों में विभिन्न खुराक के प्ररूप जैसे ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल उत्पाद, टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रा-वेनस फ्लूइड (आईवीएफ) उत्पाद, लिक्विड सिरप आदि शामिल हैं। वर्तमान में, फार्मा और कृषि-रसायन सहित

विनिर्माण क्षमताएं इस प्रकार हैं:

तालिका 6ख
(फार्मा और एग्रो-केम सहित विनिर्माण सूत्रीकरण (फॉर्मूलेशन) क्षमता)

क्र. सं.	उत्पादन सुविधाएं	क्षमता (विद्यमान) लाख संख्या/प्रति वर्ष
क	**फार्मा संयंत्र:**	**-**
1	सूखे पाउडर इंजेक्टेबल्स:	-
क.	सेफैलोस्पोरिन	450
ख.	पेनिसिलिन	450
2	गोलियां:	-
क.	पेनिसिलिन	1200
ख.	गैर-पेनिसिलिन	2400
3	पेनिसिलिन कैप्सूल:	2500
4	आईवी तरल पदार्थ:	120
5	तरल सिरप और बाहरी तैयारी:	24
ख	**कृषि-रसायन संयंत्र:**	**-**
1	कृषि-रसायन (स्ट्रेप्टोसाइक्लिन)	100
2	हमौर सूत्रीकरण (फॉर्मूलेशन)	210 केएल*
3	ऑरियोफंगिन बल्क	0.810 टन
4	एज़ोटोमील	50 केएल*
5	फॉस्फमील	50 केएल*
ग	**मादक हाथ कीटाणुनाशक (एडीएचडी)**	**30**
घ	**एचएएल क्लाउड क्लिनिक**	**12000**

* इन उत्पादों की क्षमता आवश्यकता के आधार पर बढ़ाई जा सकती है क्योंकि एचएएल के पास काफी बड़ी निष्क्रिय किण्वन सुविधाएं हैं

एचएएल ने अपने आईवीएफ उत्पादों का विनिर्माण और विपणन फिर से शुरू कर दिया है। एचएएल एकमात्र फार्मा सीपीएसई है जिसके पास आईवीएफ तरल पदार्थ के विनिर्माण की सुविधा है।

(ग) अनुसंधान और विकास:

एचएएल का अनुसंधान एवं विकास विभाग स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली भारत सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार मानक आकार के स्वापक ड्रग्स डिटेक्शन किट के विनिर्माण में लगा हुआ है। एचएएल देश में इस उत्पाद का एकमात्र विनिर्माता है।

(घ) अन्य मुख्य विशेषताएं:

- कंपनी ने सफलतापूर्वक स्थिर विकास की ओर कदम बढ़ाया है और सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी औषध (फार्मास्यूटिकल) कंपनी के रूप में भारत में अपनी स्थिति को सशक्त किया है। वर्ष 2021-22 के दौरान एचएएल के सभी प्लांट कार्यरत थे। इससे एचएएल के कारोबार को बढ़ाकर 152.16 करोड़ रुपये करने में मदद मिली।

- वर्ष 2021-22 के दौरान, एचएएल ने एल्कोहलिक हैंड डिसइंफेक्टेंट (ब्रांड नाम एचएएलआरयूबी) के विनिर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधा का संचालन जारी रखा और सभी सरकारी संस्थान, ईएसआई, जीएमएसडी आदि को आपूर्ति कर रहा है।

- वर्ष 2021-22 के दौरान, एचएएल ने "क्लिनिक ऑन क्लाउड"-एक हेल्थ कियोस्क-को अपग्रेड किया, जो

पहले 5 मिनट में 23 स्वास्थ्य मापदंडों को मापता था, अब यह 45 स्वास्थ्य मापदंडों को मापता है। यह एक प्रकार का हेल्थ एटीएम है जो विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों की पहचान करता है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक फिटनेस की पहचान कर सकता है और तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है। यह स्वास्थ्य कियोस्क व्यक्ति के डेटा को अपने क्लाउड स्टोरेज पर संग्रहीत करता है और स्वास्थ्य संस्थानों, सरकारी अस्पताल, सीपीएसई आदि के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।

- भारत सरकार ने 87.70 एकड़ एचएएल भूमि की बिक्री को मंजूरी दी है और अपने पूर्व के फैसले को संशोधित किया है और दिनांक 14.6.2018 के संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करते हुए एचएएल को अपनी जमीन बिक्री करने की अनुमति दी है। मंत्रिमण्डल ने दिनांक 17.7.2019 को हुई अपनी बैठक में कर्मचारी की देनदारियों (अवैतनिक वेतन और वीआरएस) को पूरा करने के लिए 280.15 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में सहायता को मंजूरी दी। एचएएल ने वर्ष 2019-20 और 20-21 के दौरान वीआरएस पेश किया और लागू किया। कुल 385 कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया। दिनांक 31.12.2022 तक एचएएल में 417 कर्मचारी हैं।

- मंत्रिमंडल ने संपत्ति की बिक्री और बकाया देनदारियों को निपटान सहित एचएएल की कार्यनीतिक बिक्री से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की समिति के गठन को भी मंजूरी दी।

- एचएएल ने अपनी 3.5 एकड़ जमीन ईपीएफओ को बिक्री करने का काम पूरा कर लिया है।

- भंडार में प्राप्ति सहित सभी प्रणालियां, उत्पादन के लिए जारी करना, कच्चे माल की खपत के साथ-साथ उत्पाद के लिए पैकेजिंग सामग्री, उत्पादन से लेकर विपणन और वितरण तक, समय-कार्यालय सहित कार्मिक रिकॉर्ड को ईआरपी प्रणाली का उपयोग करके कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

- वीआरएस के कार्यान्वयन के पश्चात, एचएएल ने बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए गैर-प्रमुख क्षेत्र जैसे परिवहन को बाहरी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है।

- कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस में "उत्कृष्ट" रेटिंग हासिल की है।

- एचएएल ने एक कृषि उत्पाद ट्राइकोडर्मा के विनिर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास किया है, जो फफूंद संक्रमणों के खिलाफ पौधों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जैव-कवकनाशक है। एचएएल ने केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (सीआईबी) के साथ उत्पाद के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और सीआईबी से अनुमोदन प्राप्त होते ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा।

6.3.2 पिछले तीन वर्षों के लिए उत्पादन, बिक्री कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि का विवरण :

तालिका 6ग

(एचएएल का उत्पादन, बिक्री कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि)

(रुपए करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23, दिसंबर 2022 तक (अनंतिम)
उत्पादन का मूल्य	78.80	89.72	81.50
बिक्री कारोबार	89.56	152.16	119.57
कुल लाभ (हानि)	(38.25)	(16.82)	(4.48)

6.3.3 मार्च-2023 तक वित्तीय प्रदर्शन (अनुमान/अनंतिम)

तालिका 6घ
(मार्च-2023 तक वित्तीय प्रदर्शन)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अप्रैल 22 से दिसंबर 22 (अनंतिम 2022-23)	जनवरी 22 से मार्च 23 (अनुमान/अनंतिम)	मार्च, 23 तक (अनुमान/अनंतिम)
उत्पादन का मूल्य	81.50	39.65	121.15
कुल बिक्री	119.57	37.68	157.26
लाभ/(हानि) विशेष और असाधारण वस्तुओं से पहले	(4.48)	(0.77)	(5.25)

6.3.4 सहायक कंपनियां:

तालिका 6ङ
(सहायक कंपनियों का विवरण)

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	निगमन का वर्ष
1	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएपीएल)	1979
2	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएसडीपीएल)	1989

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान मनाए गए विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप/दिवस

30 जनवरी को कंपनी में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा उस दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है।

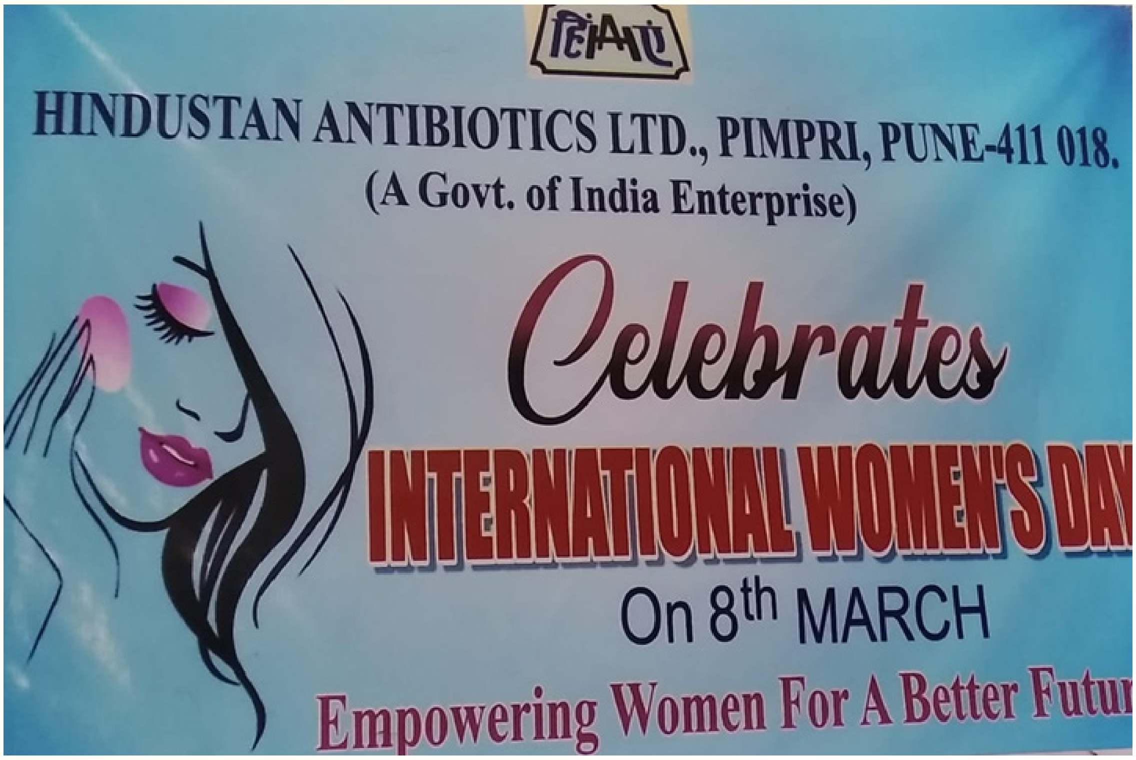

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस-महिला की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक उपलब्धियों को मनाने के लिए दिनांक 8 मार्च, 2022 को एचएएल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह महिला अधिकारों के आंदोलन में भी एक केंद्र बिंदु है, जो लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर ध्यान देता है।

10 मार्च-स्थापना दिवस: एचएएल की स्थापना 10 मार्च, 1954 को हुई थी। कंपनी में स्थापना दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। कंपनी के सभी कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में एक उपहार वितरित किया गया।

19 फरवरी को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संचालित एसोसिएशन श्री शिव स्मारक प्रतिष्ठान को इस दिवस को मनाने के लिए विशेष अनुदान दिया जाता है। समारोह के दौरान श्री शिव स्मारक प्रतिष्ठान द्वारा ज्ञानी वक्ता के भाषण का आयोजन किया जाता है।

स्वच्छ भारत अभियान अर्थात स्वच्छता पखवाड़ा महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया गया।

स्वच्छ भारत अभियान अर्थात स्वच्छता पखवाड़ा महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कंपनी के सभी कर्मचारी अभियान में भाग लेते हैं और आसपास सफाई करते हैं।

मानानीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉ. मनसुख एल. मांडविया जी ने 2 जुलाई 2022 को एचएएल का दौरा किया और एल्कोहलिक हैंड डिसइंफेक्टेंट के निर्माण के लिए स्टेट आर्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। माननीय मंत्री ने एचएएल के अन्य संयंत्रों का भी दौरा किया। माननीय मंत्री ने एचएएल के कर्मचारियों के साथ बातचीत की।

आजादी का अमृत महोत्सव-एचएएल में हर घर तिरंगा सही भावना और उत्साह के साथ मनाया गया। एचएएल के कर्मचारियों को झंडे वितरित किए गए जिन्होंने उन्हें अपने-अपने आवास पर फहराया।

6.4 कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)

6.4.1 पृष्ठभूमि

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (केएपीएल) लाभ अर्जन करने वाली एक संयुक्त क्षेत्र (भारत सरकार का 59% शेयर और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. के माध्यम से कर्नाटक सरकार का 41% शेयर) की कम्पनी है जिसे वर्ष 1981 में निगमित किया गया था। कंपनी का मूल उद्देश्य सरकार के अस्पतालों और अन्य संस्थाओं तथा साथ ही प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध करवाना था। इस कंपनी के पास ड्राई पाउडर इन्जेक्टेबल, लिक्विड इन्जेक्टेबल, गोलियों, कैप्सूलों, ड्राई सिरप और सस्पेंशन्स के लिए डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित विनिर्माण सुविधाएं हैं। आज की स्थिति के अनुसार, इस कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी 13.49 करोड़ रुपए है। बैंगलोर संयंत्र में, फार्मास्यूटिकल उत्पादों का विनिर्माण किया जा रहा है और कोटूर, धारवाड़, कर्नाटक राज्य में आयुर्वेदिक उत्पादों का विनिर्माण किया जा रहा है।

6.4.2 उत्पादन और बिक्री प्रदर्शन

तालिका 6च

(केएपीएल का उत्पादन और बिक्री प्रदर्शन)

(दिनांक 31.12.2022 तक रुपये करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2019-2020	489.57	432.15
2020-2021	434.64	426.16
2021-2022	479.76	473.87

6.4.3 पिछली उपलब्धियां

- मिनी रत्न सीपीएसई
- आईएसओ 9001:2015 (क्यूएमएस), आईएसओ 14001:2015 (ईएमएस) और आईएसओ 45001:2018 (ओएसएचएएस)
- पीआईसी/एस प्रमाणन

फार्मा-व्यापार:

तालिका 6छ

(फार्मा-व्यापार)

सं.	उत्पाद	थेरेपी खंड	एनएलईएम	एकाधिकार	बाजार मूल्य (रुपये लाख में)
1	ग्रेनिल	एंटी माइग्रेन	नहीं	नहीं	1256.14
2	ऑक्सीटोसिन	हार्मोन	हाँ	नहीं	304.73
3	साइफोलैक	प्रोबायोटिक्स	नहीं	नहीं	474.24
4	रेमसीसी	सर्दी खांसी	नहीं	नहीं	301.21
5	वर्क्लेव	एंटीबायोटिक दवाओं	हाँ	नहीं	242.24
6	पीओपी ई	प्लेटलेट बूस्टर	नहीं	नहीं	222.51
7	ज़िनफे	हेमेटिनिक	नहीं	नहीं	208.74
8	न्यूमोल	दर्द की दवाई	नहीं	नहीं	164.02

आयुर्वेदिक उत्पाद

तालिका 6ज
(आयुर्वेदिक उत्पाद)

सं.	उत्पाद	थेरेपी खंड	एनएलईएम	एकाधिकार	बाजार मूल्य (रुपये लाख में)
1	पीओपी- ई	थ्रोम्बोसाइटोपेनिया	नहीं	नहीं	79.00
2	एपिफेस्ट	क्षुधावर्धक	नहीं	नहीं	62.61
3	हस्की पाउडर	बाउल रेगुलेटर	नहीं	नहीं	38.80
4	एक्सोल	हेपाटो-पित्त संबंधी उत्तेजक	नहीं	नहीं	12.78
5	के-थ्रिन	थ्रोम्बोसाइटोपेनिया	नहीं	नहीं	15.52
6	न्यूमोल एच	दर्द प्रबंधन	नहीं	नहीं	14.37
7	अंताफ	एंटासिड- एंटीफ्लैटुलेंट	नहीं	नहीं	11.21
8	अप्पिकाप	क्षुधावर्धक	नहीं	नहीं	9.82

एग्रोवेट:

तालिका 6झ
(एग्रोवेट)

सं.	उत्पाद	थेरेपी खंड	एनएलईएम	एकाधिकार	बाजार मूल्य (रुपये लाख में)
1	कलविमिन समूह	फ़ीड पूरक	नहीं	नहीं	400.00
2	के-लाइव	हेपाटो-सुरक्षात्मक	नहीं	नहीं	260.00
3	कैल-के	एक्टो-परजीवीनाशक	नहीं	नहीं	150.00

6.4.4 वितरण नेटवर्क

औषध:

यह कम्पनी निजी चिकित्सा व्यवसायियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास के साथ खुदरा व्यापार के क्षेत्र में अपने परिचालन का विस्तार कर रही है। इस दिशा में कम्पनी समय-समय पर विभिन्न उपचारात्मक क्षेत्रों में नए उत्पाद शुरू करती रही है। इसका घरेलू परिचालन बेहद समर्पित पेशेवर क्षेत्रबल वाली जनशक्ति के साथ देश भर में फैला है जो एक सुनियोजित वितरण प्रणाली द्वारा समर्थित है जिससे केएपीएल की उपस्थिति बड़े एवं साथ ही छोटे बाजारों में सुनिश्चित हो जाती है।

केएपीएल की शाखाएं सभी राज्य मुख्यालयों में स्थित हैं। इस कंपनी का बड़े शहरों में लगभग 20 शाखाओं के साथ एक उत्कृष्ट वितरण नेटवर्क है जो चैनल विपणन के माध्यम से संबंधित राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अनुमोदित स्टॉकिस्टों के माध्यम से इस व्यापार क्षेत्र के खुदरा विक्रेताओं, नर्सिंग होम एवं दवाई देने वाले चिकित्सकों और दर संविदा [आरसी, और गैर-दर संविदा], एनआरसी, क्षेत्र की संस्थाओं को सीधे आपूर्ति की जाती है।

6.4.5 विपणन

औषध:

यह कंपनी मुख्य रूप से नुस्खा लिखने वाले चिकित्सा व्यवसायियों और हमारे ग्राहकों पर आधारित प्रेस्क्रिपशन

बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी फार्मा कम्पनियों का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह कंपनी संस्थागत कारोबार संबंधी पीपीपी नीति पर भी निर्भर है जहां हमारा ध्यान सरकारी अस्पतालों, राज्य सरकार के अस्पतालों, कॉर्पोरेट, पीएसयू अस्पताल, रक्षा और बीमा पर है। इसमें इस व्यापार क्षेत्र में विस्तार करने और सीपीएसई अस्पताल और बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मात्रा में भी वृद्धि करने की क्षमता है।

एग्रोवेट:

यह कंपनी, कृषि उत्पाद डीलर और कृषि विभाग/कृषि उत्पादों के लिए बागवानी पर जोर दे रही है। पशुचिकित्सा उत्पादों को पशु चिकित्सा व्यवसायी, किसानों, सभी राज्यों के पशु चिकित्सा विभाग तथा पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए दुग्ध यूनियनों और खाद्य अनुपूरकों पर जोर दिया जा रहा है।

नये उत्पाद (औषध एवं एग्रोवेट)

तालिका 6ञ

(नए उत्पाद-फार्मा और एग्रोवेट)

क्र.सं	उत्पाद	चिकित्सीय श्रेणी
फार्मा		
क	आरईएमसीसी एलएम सिरप	सर्दी और खांसी की दवाई
ख	कैप्लिकॉन क्रीम	फंगल-रोधी

एग्रोवेट		
क्र. सं.	**उत्पाद**	**चिकित्सीय श्रेणी**
क	टस्पिन एसपी	एनाल्जेसिक
ख	के लिव पैट	लिवर टॉनिक-पैट
ग	कपोक्स्यूर पैट शैम्पू	पालतू जानवरों के लिए औषधीय शैम्पू
घ	माइट-आउट पैट शैम्पू	पालतू जानवरों के लिए औषधीय शैम्पू
ड़	फेंसोल पैट (वॉर्मर टैबलेट)	कृमिनाशक
आयुर्वेद		
क्र. सं.	**उत्पाद**	**चिकित्सीय श्रेणी**
क	गोमिल्क प्लस 100 टैब	दूध नीचे उतारने के लिए
ख	एकबोलिक प्लस 500 मिली और 1000 मिली	गर्भाशय साफ करने वाला
ग	ब्लोटगार्ड प्लस 100 मि.ली	एंटी ब्लोट
घ	सुरुचि प्लस बोलुस	रुमेनोटोरिक
ड़	सुरुचि प्लस 100 ग्राम और 500 ग्राम पाउडर	रुमेनोटोरिक

वर्तमान में कंपनी भारत सरकार के निर्णय के अनुसार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का विनिर्माण और विपणन कर रही है।

निर्यात

केएपीएल उत्पादों को वर्तमान में लगभग 16 देशों जैसे मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, नामीबिया, युगांडा, म्यांमार, कोस्टा रिका, जिम्बाब्वे, हांगकांग, जाम्बिया, भूटान, सूडान में निर्यात किया जाता है और कंपनी अतिरिक्त देशों जैसे ब्राजील, पेरू, स्लोवाकिया और दक्षिण अफ्रीका को दवाइयां निर्यात करने की योजना बना रही है।

दिनांक 11.02.2022 को सुश्री एस. अपर्णा, आईएएस, सचिव, औषध विभाग केएपीएल प्लांट के दौरे के दौरान प्रबंध निदेशक श्री सुनील कुमार कैमल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ।

श्री सुनील कुमार कैमल दिनांक 12.07.2022 को कॉर्पोरेट कार्यालय, केएपीएल में सुश्री एस. अपर्णा, आईएएस, सचिव, औषध विभाग का स्वागत करते हुए।

6.5 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)

6.5.1 पृष्ठभूमि

बीसीपीएल की स्थापना वर्ष 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद ने की थी। बाद में, भारत सरकार ने वर्ष 1977 में इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया; कंपनी को वर्ष 1980 में राष्ट्रीयकृत किया गया था और वर्ष 1981 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के रूप में पंजीकृत किया गया था। कंपनी को वर्ष 1992 में रुग्ण घोषित किया गया था और वर्ष 1995 में तत्कालीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा पुनरुद्धार के लिए योजना को मंज़ूरी दी गई थी।

व्यापार का संचालन:

बीसीपीएल कोलकाता की एक कंपनी है और औद्योगिक रसायन (फेरिक फिटकरी), ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, और कीटाणुनाशक जैसे फिनोल, नेफ़थलीन बॉल, ब्लीचिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर और फ़्लोर क्लीनर के कारोबार में लगी हुई है। बंगाल केमिकल्स के एक प्रतिष्ठित ब्रांड कैंथरिडाइन हेयर ऑयल का विनिर्माण मानिकतला यूनिट में किया जा रहा है।

विनिर्माण स्थान:

वर्तमान में, बीसीपीएल के चार कारखाने हैं जो मानिकतला (कोलकाता) और पश्चिम बंगाल के पानीहाटी, मुंबई और कानपुर में एक-एक कारखाना है।

मानिकतला इकाई:

यह इकाई वर्ष 1905 में स्थापित की गई थी और मुख्य रूप से फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन का उत्पादन करती है जिसमें ब्रांडेड के साथ-साथ गैर-ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयां भी शामिल हैं। टेबलेट, कैप्सूल, मलहम और सौंदर्य प्रसाधन अनुभागों में व्यावसायिक उत्पादन पूरी तरह से चल रहा है। बीसीपीएल की मानिकतला इकाई कैंथराइडाइन हेयर ऑयल का भी उत्पादन करती है। बंगाल केमिकल्स ने कोविड-19 महामारी के दौरान 2 अगस्त, 2020 को अपना हैंड सेनिटाइज़र "बेन्सानी+" शुरू किया है।

पानीहाटी इकाई:

पानीहाटी इकाई की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी और यह उत्तर-24 परगना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पानीहाटी इकाई मुख्य रूप से औद्योगिक रसायन और कीटाणुनाशक जैसे फिनोल, नेफ़थलीन बॉल्स, ब्लीचिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर और फ़्लोर क्लीनर का उत्पादन करती है। महामारी के दौरान, बीसीपीएल ने 30,000 बोतलों के औसत दैनिक उत्पादन के मुकाबले एक ही दिन में (26 सितंबर,2020) फिनोल 450 एमएल की 60,680 बोतलों के विनिर्माण का अब तक का रिकॉर्ड बनाया है।

मुंबई इकाई:

मुंबई इकाई वर्ष 1938 में स्थापित की गई थी और आगे विकसित वाणिज्यिक स्थान को राजस्व के अतिरिक्त स्रोतों की उत्पत्ति के लिए तीसरे पक्ष को पट्टे पर दिया गया है।

कानपुर इकाई:

कानपुर इकाई वर्ष 1949 में स्थापित की गई थी, जो मुख्य रूप से तीव्र विकारों के लिए गोलियां बनाती है।

6.5.2 पिछली उपलब्धियां

कंपनी ने संकट की अवधि के दौरान भी घरेलू उत्पादों/कीटाणुनाशकों में अपनी ब्रांड स्थिति को बरकरार रखा है और अब इन ब्रांडों से लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार है।

6.5.3 रुग्णता और पुनरुद्धार

कंपनी को वर्ष 1992 में पूर्ववर्ती बीआईएफआर के पास भेजा गया था। बीसीपीएल के पुनरुद्धार पैकेज को दिसंबर, 2006 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। 440.60 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई थी जिसमें बीसीपीएल के खातों पर मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन, पूंजी निवेश, विपणन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्थन और प्रचार के उपाय, वेतन संशोधन के लिए अनुदान और वीआरएस के कार्यान्वयन और गैर-सरकारी बकायों

के भुगतान के लिए निधि शामिल थी। यहां तक वर्ष 2006 में कंपनी के पुनर्गठन के पश्चात भी, कंपनी को घाटा होना जारी रहा था और इसका परिचालन प्रदर्शन वर्ष 2013-14 में 17 करोड़ रुपए टर्नओवर तक गिर गया था, जो कि भारत सरकार कंपनी के रूप में अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे कम टर्नओवर था, और वर्ष 2013-14 में 36.55 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि रिपोर्ट की।

हालांकि, वित्तीय वर्ष 2016-17 के पश्चात से, कंपनी का कायापलट हुआ और उस वर्ष और उसके पश्चात के वर्षों के दौरान 4.51 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इस प्रकार, बीसीपीएल ने वर्ष 2017-18 में 10.06 करोड़ रुपए, वर्ष 2018-19 में 25.26 करोड़ रुपए, वर्ष 2019-20 में 13.07 करोड़ रुपए, वर्ष 2020-21 में 6.08 करोड़ रुपए और वर्ष 2021-22 में 7.47 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इसके अतिरिक्त, बीसीपीएल ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 28 करोड़ रुपए का संपूर्ण बैंक ऋण चुका दिया, जो वर्ष 1983 में पंजीकृत कार्यालय भवन को गिरवी रखकर लिया गया था और अब बीसीपीएल एक ऋण मुक्त कंपनी है। दिनांक 31.03.2021 को भारत सरकार के 23.73 करोड़ रुपये के ऋणों के पुनर्भुगतान के पश्चात, उपार्जित ब्याज सहित योजना ऋण और गैर-योजना ऋण में 193.71 करोड़ रुपये की राशि शेष थी। भारत सरकार ने फाइल संख्या 53017/08/2017-पीएसयू (भाग) दिनांक 09/09/2021 के अंतर्गत आदेश के अधीन भौतिक रूप से उपलब्ध पानीहाटी कारखाने में 19.78 एकड़ अधिशेष भूमि को नाईपर, कोलकाता हस्तांतरण के विरूद्ध 193.71 करोड़ रुपये की अर्जित ब्याज राशि सहित भारत सरकार के ऋण की छूट दी है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार का ऋण शून्य है।

उत्पाद प्रोफ़ाइल और प्रकार (रेंज)

इनमें से प्रत्येक व्यवसाय खंड के अंतर्गत विनिर्मित उत्पादों का उल्लेख निम्नानुसार है:

तालिका 6ट

(इनमें से प्रत्येक व्यवसाय खंड के अंतर्गत विनिर्मित उत्पादों का विवरण)

डिवीजन-I	डिवीजन-II		डिवीजन-III		
औद्योगिक रसायन	फार्मा जेनरिक	फार्मा ब्रांडेड	कीटाणुनाशक	केश तेल	अन्य उत्पाद
फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर	गोलियाँ, कैप्सूल, इंजेक्शन, मलहम, तरल पदार्थ, बाहरी तरल पदार्थ, एएसवीएस, बेन्सानी+	एक्वा पाइचोटिस, कालमेघ, यूथेरिया, बेनफ्लैम जेल	फिनोल, व्हाइट टाइगर, क्लिन टॉयलेट, लाइसोल	कांथाराइडिन केश तेल	नेफ़थल-एने बॉल तरल साबुन अगरु एसेंस

लोकप्रिय ब्रांड: लैम्प ब्रांड फिनोल, व्हाइट टाइगर, ब्लीचिंग पाउडर, नेफ़थलीन बॉल्स, कैंथारिडीन केश तेल, बेन्सानी+ आदि।

6.5.4 जनशक्ति (श्रेणी-वार-जनशक्ति)

तालिका 6ठ

(श्रेणीवार जनशक्ति विवरण)

विवरण	जनशक्ति (31.12.2022 तक स्थिति के अनुसार)
कार्यकारी अधिकारियों	47
पर्यवेक्षकों	17
कर्मी	62
कुल योग	**126**

6.5.5 वितरण नेटवर्क

कंपनी के पास 6 डिपो और 6 सी एंड एफ एजेंसियों के साथ पूरे भारत में एक सशक्त वितरण नेटवर्क है।

बीसीपीएल ने कोलकाता में 3 और मुंबई में 1 एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर भी खोला है।

6.5.6 प्रदर्शन

वर्ष 2016-17 से बीसीपीएल के उत्पादन, कारोबार और वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्नानुसार है

वर्षवार बीसीपीएल की वित्तीय स्थिति

तालिका 6ड
(वर्षवार बीसीपीएल की वित्तीय-स्थिति)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2022-23 (31 दिसंबर, 2022 तक अनंतिम)	2021-22	2020-21
उत्पादन	108.03	84.73	90.39
आय	76.17	72.05	73.86
सकल मुनाफा	22.96	15.23	13.75
ब्याज व्यय (वित्त लागत)	0.57	0.03	0.09
मूल्यह्रास	4.51	6.15	5.92
कुल लाभ (हानि)	8.15	7.47	6.08
निवल मूल्य	160.98	153.55	(47.63)

डीपीई रेटिंग:

तालिका 6ढ
(वर्षवार डीपीई रेटिंग)

वर्ष	एमओयू आकलन	निगम अभिशासन प्रणाली
2016-17	"बहुत अच्छा"	"उत्कृष्ट"
2017-18	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2018-19	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2019-20	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2020-21	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2021-22	"लागू नहीं"	आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार "उत्कृष्ट"

6.5.7 विपणन

संस्थानों और खुदरा का हिस्सा (संस्थानों और खुदरा का हिस्सा)

तालिका 6ण
(संस्थानों और खुदरा का हिस्सा)

क्र.सं.	डिवीजन और उत्पाद	मार्केट प्रोफाइल/प्रमुख ग्राहक
1.	डिवीजन-I -फेरिक फिटकरी	सेल (दुर्गापुर, आईआईएससीओ, बोकारो, रिफ्रैक्टरी इकाई,आईआईएससीओ चासनाला) बीसीसीएल (बोवरा और ब्लॉक II), आईपीसीएल (फरक्का, दिसेरगढ़), पीएचई (मालदा, सिलीगुड़ी), अन्य निजी पार्टियां और नगर निगम

2.	डिवीजन-II -जेनेरिक टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, लिक्विड, हैंड सैनिटाइज़र	एएफएमएसडी, ईएसआईसी, रेलवे, सेल, डीएचएस, एपीएमएसआईडीसी, टीएसएमएसआईडीसी, जेएमएचआईडीपीसीएल, अन्य राज्य सरकारें। एसईसीएल और अन्य पीएसयू
3.	डिवीजन-II -ब्रांड एक्वाप्टाइकोटिस,इयू-थेरिया, कालमेघ	खुदरा व्यापार के माध्यम से ओटीसी दवाइयों के रूप में बिक्री किया जाता है
4.	डिवीजन-III -कॉस्मेटिक और घरेलू उत्पाद	मुख्य रूप से व्यापार व्यवसाय (70-75%) और थोक सरकारी संस्थान व्यवसाय (25-30%)

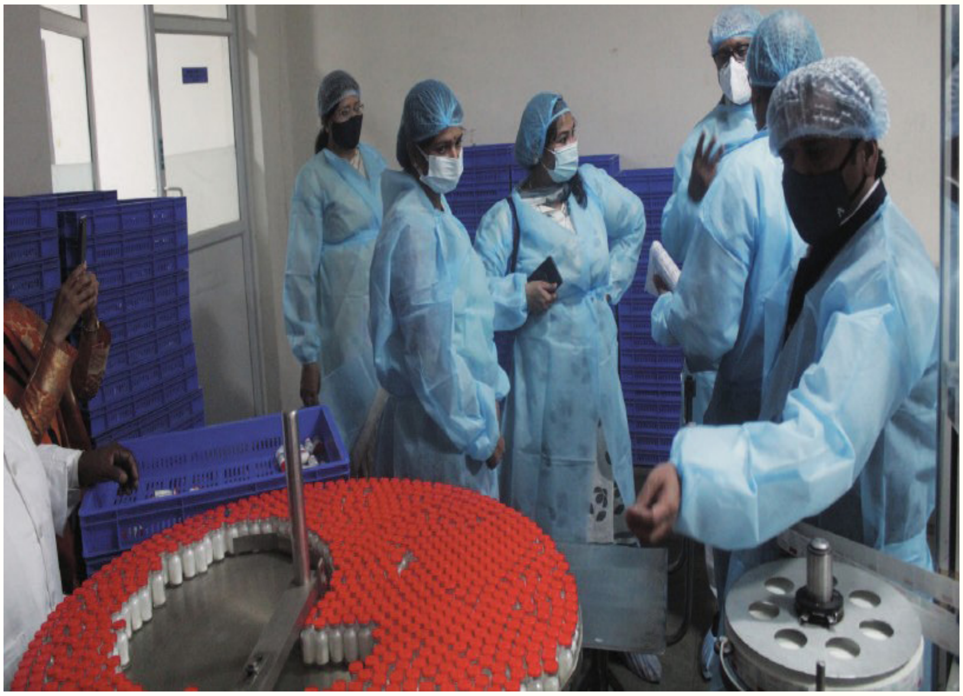

बीसीपीएल का संयंत्र

बीसीपीएल के कुछ उत्पाद

6.6 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्ल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्ल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) संयुक्त क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक यूनिट है जिसमें 4.98 करोड रुपए की प्रदत्त इक्वीटी पूंजी है जहां भारत सरकार एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि. (रीको, राजस्थान सरकार) की क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत इक्विटी है। इसे वर्ष 1978 में निगमित किया गया था और वाणिज्यिक उत्पादन 1981 में शुरू हुआ। कम्पनी की अपनी विनिर्माण सुविधाएं हैं और रोड संख्या 12, वी.के. आई औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) में इसका पंजीकृत कार्यालय है। अक्टूबर, 2016 से कंपनी में उत्पादन गतिविधियां बंद हैं।

6.6.1 प्रदर्शन

तालिका 6त
(वित्तीय पैरामीटर)

(रुपए करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20
निवल मूल्य	(-)54.78	(-)69.88	-91.58
कारोबार	0.40	0.14	शून्य
आय (कर पूर्व)	(-)15.25	(-)15.10	-27.86
आय (कर पश्चात)	(-)15.25	(-)15.10	-27.86
कुल लाभ/हानि	(-)15.25	(-)15.10	-27.86

मंत्रियों की समिति (सीओएम) की दिनांक 27.05.2021 की अनुशंसा के अनुसरण में आरडीपीएल को वर्ष 2021-22 के अनुपूरक बजट में ऋण के रूप में 21.00 करोड़ का प्रावधान लंबित कर्मचारियों के समाशोधन के लिए किया गया और जारी किया गया। अधिकांश कर्मचारियों ने अपना पूर्ण और अंतिम समाधान हलफनामा प्रस्तुत किया और तदनुसार अपनी बकाया राशि का समाधान किया। इसके पश्चात, सीओएम ने जून 2022 की अपनी बैठक में आरडीपीएल के शेयरों को राजस्थान राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की सिफारिश की। शेयरों के हस्तांतरण के लिए मसौदा कैबिनेट नोट अंतर-मंत्रालयी परामर्श चरण के अंतर्गत है।

अध्याय-7

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

7.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
7.2 मूल्य निर्धारण
7.3 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को युक्तिसंगत बनाना
7.4 पुनरीक्षण आदेश
7.5 डीपीसीओ, 2013 के पैरा 32 के अंतर्गत दी गई छूट
7.6 व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के आधार पर कैंसर रोधी दवाओं का मूल्य संशोधन
7.7 उपभोक्ताओं को बचत
7.8 कोविड-19 महामारी की आपात स्थितियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम
7.9 पांच वर्षों में उपचारात्मक क्षेत्रों में वृद्धि
7.10 मूल्य निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियां
7.11 अधिप्रभारित राशि की वसूली
7.12 ई-पहलें
7.13 उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) का कार्यान्वयन
7.14 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत की गई गतिविधियां
7.15 राजभाषा कार्यान्वयन
7.16 राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा 2022
7.17 सतर्कता जागरूकता सप्ताह
7.18 राष्ट्रीय एकता दिवस
7.19 स्वच्छता अभियान 2.0
7.20 एनपीपीए का ई-न्यूज़लेटर: औषध संदेश
7.21 "दवाओं की ट्रैकिंग: अंतिम छोर तक उपलब्धता सुनिश्चित करना" पर वेबिनार

अध्याय-7

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

7.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र संख्या 159 दिनांक 29.08.1997 में प्रकाशित संकल्प के द्वारा किया गया था। एनपीपीए के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ औषधि (मूल्य निर्धारण) आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य का निर्धारण एवं संशोधन तथा साथ ही मूल्यों की निगरानी और प्रवर्तन शामिल है। एनपीपीए सरकार को औषध नीति तथा दवाओं की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित मुद्दों के बारे में इनपुट प्रदान करता है।

सरकार ने डीपीसीओ, 1995 के अधिक्रमण में 15, मई 2013 को डीपीसीओ, 2013 को अधिसूचित किया।

7.1.1 डीपीसीओ, 2013 की प्रमुख विशेषताएं

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम), को अनिवार्यता अवधारित करने के लिए बुनियादी आधार के रूप में अपनाया गया है और इसे डीपीसीओ, 2013 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है जो मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन के लिए अनुसूचित दवाओं की सूची है।
- अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य 'बाजार आधारित आंकड़ों' के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।
- मूल्य नियंत्रण औषध (सक्रिय औषध घटक) के संदर्भ में प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्ट फॉर्मूलेशनों, सेवन मार्ग, खुराक स्वरूप/शक्ति पर लागू किए गए हैं।
- राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2022 (एनएलईएम 2022) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 13 सितंबर 2022 को एनएलईएम 2015 की जगह अधिसूचित किया गया था। तदनुसार, एनएलईएम 2022 को डीपीसीओ 2013 की पहली अनुसूची के रूप में 11 नवंबर 2022 को औषध विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था।

7.1.2 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के प्रकार्य

- इसे प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार मौजूदा डीपीसीओ के प्रावधानों को कार्यान्वित और प्रवर्तित करना।
- औषधियों/फॉर्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण के संबंध में संगत अध्ययन करना और/अथवा प्रायोजित करना।
- औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करना, कमियों, यदि कोई हों, का पता लगाना और सुधारात्मक उपाय करना।
- बल्क औषधियों और फॉर्मूलेशनों के उत्पादन, निर्यात और आयात, अलग-अलग कंपनियों के बाजार शेयर, कंपनियों की लाभप्रदता इत्यादि से संबंधित आंकड़े एकत्र करना/उनका रख-रखाव करना।
- प्राधिकरण के निर्णयों से उतपन्न होने वाले सभी कानूनी मामलों पर कार्रवाई करना।
- औषधि नीति परिवर्तन/संशोधन के संबंध में केंद्रीय सरकार को परामर्श देना।
- औषध मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों में केंद्रीय सरकार की सहायता करना।

7.2 मूल्य निर्धारण

7.2.1 मूल्य निर्धारण:

क. अधिकतम मूल्य

एनपीपीए, डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध फॉर्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। डीपीसीओ, 2013 के अंगीकृत बाजार आधारित दृष्टिकोण के तहत किसी अनुसूचित फॉर्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य, पहले, उस विशिष्ट फार्मूलेशन के एक प्रतिशत या अधिक बाजार हिस्सेदारी वाले सभी ब्रांडेड-जेनरिक एवं जेनरिक रूपों के खुदरा विक्रेता को मिलने वाले मूल्य का (पीटीआर) सरल औसत निकाल कर और उसमें 16 प्रतिशत आनुमानिक खुदरा विक्रेता मार्जिन जोड़कर मूल्य निर्धारित किया जाता है। उस विशिष्ट औषध फॉर्मूलेशन का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), अधिसूचित अधिकतम मूल्य तथा लागू करों के योग से अधिक नहीं होना चाहिए। एनएलईएम 2015 में 31 उपचार समूहों के 966 अनुसूचित औषध फॉर्मूलेशन (डीपीसीओ 2013 की अनुसूची-I के स्पष्टीकरण-1 के अनुसार सूचीबद्ध फॉर्मूलेशनों सहित) निहित हैं। एनपीपीए, डीपीसीओ 2013 की अनुसूची-I के स्पष्टीकरण-1 के तहत सूचीबद्ध फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य भी निर्धारित करता है। 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के अधीन 890 फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतें निम्नानुसार निर्धारित की हैं:

तालिका-7क

(दवाओं की श्रेणियां जिनके अंतर्गत एनएलईएम, 2015 के तहत अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं)

श्रेणी	दवाइयों की संख्या	फार्मूलेशन की संख्या
कैंसर-रोधी	44	86
तपेदिक-रोधी	14	35
एंटी-एचआईवी	11	39
मधुमेह-रोधी	5	12
कार्डियोवैस्कुलर	30	74
अन्य	254	644
कुल	**358**	**890**

राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से मूल्य अधिसूचित किए जाते हैं जो एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर भी अपलोड किए गए हैं। अधिकतम मूल्य उस तारीख से कार्यशील एवं विधिक रूप से प्रवर्तनीय होते हैं, जिस तारीख से मूल्य राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 13 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) 2022 जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, औषध विभाग ने दिनांक 11 नवंबर 2022 की अधिसूचना का.आ. 5249 (अ) के माध्यम से इसे अनुसूची- I के रूप में अधिसूचित किया है और 384 औषधियों को कवर करते हुए 29 चिकित्सीय श्रेणियों में दवाओं को वर्गीकृत किया गया है। इसमें 34 दवाएं शामिल हैं, जबकि पिछली सूची से 26 (एनएलईएम, 2015) हटा दी गई हैं। डीपीसीओ, 2013 के पैरा 17 के प्रावधानों के अनुसार, एनपीपीए के लिए औषध विभाग द्वारा अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर अधिकतम मूल्य तय करना आवश्यक है। 119 फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमत 19.12.2022 को अधिसूचित की गई और 97 फॉर्मूलेशन को 30.12.2022 को हुई 106वीं प्राधिकरण की बैठक में मंजूरी दी गई।

तालिका 7ख

(दवाओं की श्रेणियां जिनके अंतर्गत एनएलईएम, 2022 के तहत अधिकतम मूल्य तय किए गए हैं)

औषधि श्रेणी	फार्मूलेशन
एंटी-बैक्टीरियल दवाएं	45
एचआईवी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं	14

एनाल्ज़ेसिक, एंटीप्रेटिक, नॉन-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं (एनएसएआईडी)	12
कैंसर रोधी दवाएं	29
हृदय संबंधी दवाएं	22
हार्मोन, एंडोक्राइन दवाएं और गर्भनिरोधक	15
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं	26
मनोरोग विकारों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाएं	22
अन्य	31
कुल योग	**216**

(ख) खुदरा मूल्य

एनपीपीए विनिर्माण/विपणन कंपनियों से प्राप्त फॉर्म-I आवेदनों के आधार पर दवा के खुदरा मूल्य को निर्धारित करता है। अधिसूचित खुदरा मूल्य केवल आवेदक विनिर्माण/ विपणन कंपनियों के लिए लागू होते हैं। दवा की खुदरा कीमतें भी उसी पद्धति पर निर्धारित की जाती हैं जिस पद्धति से अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाता है। एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2021 तक 2196 'नई दवाओं' [डीपीसीओ, 2013 के पैरा 2(प) के अनुसार 'नई दवाओं' के रूप में अर्हता प्राप्त] की खुदरा कीमतों को अधिसूचित किया।

एनपीपीए ने विभिन्न मधुमेह रोधी दवाओं के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) की खुदरा कीमतें भी तय कीं, जो ऑफ-पेटेंट हो गई हैं/ऑफ-पेटेंट होने की कगार पर हैं (2196 नई दवाओं में शामिल) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑफ-पेटेंट होने वाली दवा का लाभ उपभोक्ता को दिया जा सके। विल्डैग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन, डापाग्लिफ्लोज़िन + मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन और लिनाग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन की विभिन्न मात्रा के एफडीसी के संबंध में मूल्य निर्धारण किया गया है।

तालिका 7ग
(ऑफ-पेटेंट /ऑफ-पेटेंट में परिवर्तित होने वाली एफडीसी की कीमतों में कमी)

क्रम संख्या	एफडीसी	पेटेंट अवधि में कीमतों की तुलना में प्रतिशत कमी
1	विल्डैग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन	66% (लगभग)
2	डापाग्लिफ्लोज़िन + मेटफ़ॉर्मिन	73% से 81% (लगभग)
3	सक्सैग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन	58% (लगभग)
3	सीताग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन	32% से 56% (लगभग)
4	लिनाग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन	38% से 67% (लगभग)

इसके अलावा, हाल के वर्षों के दौरान सार्वजनिक हित में डीपीसीओ, 2013 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 22 मधुमेह और 84 हृदय संबंधी दवाओं सहित 106 गैर-अनुसूचित दवाओं के फॉर्मूलेशन के एमआरपी को नियंत्रित किया गया था। साथ ही, फरवरी, 2019 में प्रायोगिक आधार पर चयनित 42 कैंसर रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन पर 30% तक की सीमा लगाई गई थी।

ग. चिकित्सा उपकरणों का मूल्य निर्धारण:

- **कोरोनरी स्टेंट:**

कोरोनरी स्टेंट को दिसंबर 2016 में डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया था और एनपीपीए

ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत 13 फरवरी 2017 की अधिसूचना का.आ.412(अ) के तहत कोरोनरी स्टेंट के अधिकतम मूल्य को अधिसूचित किया था। वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अधिकतम कीमतों में संशोधन किया गया। हाल ही में, एनपीपीए ने अधिसूचना का.आ.1502 (अ) दिनांक 30.03.2022 के तहत डब्ल्यूपीआई @ 10.76607% पर विचार करते हुए अधिकतम कीमतों में संशोधन किया है। कोरोनरी स्टेंट को हाल ही में अधिसूचित अनुसूची-I (का.आ. 5249 (अ) दिनांक 11 नवंबर 2022) में भी शामिल किया गया है।

- **घुटने के प्रतिस्थापन प्रणाली के लिए ओर्थपेडीक घुटना प्रत्यारोपण:**

एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत अधिसूचना का.आ.2668(अ) के तहत 16 अगस्त, 2017 को पहली बार आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण, एक गैर-अनुसूचित चिकित्सा उपकरण का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया और और बाद में अधिकतम कीमतों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया। हाल ही में, एनपीपीए ने अधिसूचना का.आ.4343 (अ) दिनांक 15 सितंबर, 2022 के माध्यम से अधिकतम कीमतों की प्रयोज्यता को 15 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है।

7.3 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को युक्तिसंगत बनाना

नैदानिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को विनियमित करने के उद्देश्य से, सामान्य रूप से और विशेष रूप से कोविड-19 प्रबंधन के लिए, एनपीपीए ने नीति आयोग की सस्ती दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समिति (एससीएएमएचपी) की सिफारिश पर 03 जून, 2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से वितरक को मूल्य (पीटीडी) स्तर पर ऑक्सीजन सांद्रता के लिए व्यापार मार्जिन को 70% तक सीमित कर दिया। 252 उत्पादों में से 70 की कीमतों में कमी देखी गई और खुदरा कीमतों में 54% (54,337 रुपए तक) तक की कमी आई। एनपीपीए ने अधिसूचना का.आ. 6177 (अ) दिनांक 30 दिसंबर, 2022 के माध्यम से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए व्यापार मार्जिन की सीमा को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है।

इसी तरह, अधिसूचना का.आ.2808(अ) दिनांक 13.07.2021 द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेब्युलाइज़र और डिजिटल थर्मामीटर पर व्यापार मार्जिन भी 70% पर नियंत्रित किया गया था। एनपीपीए ने अधिसूचना का.आ.6176(अ) दिनांक 30 दिसंबर, 2022 के द्वारा इन पांच चिकित्सा उपकरणों के लिए व्यापार मार्जिन की सीमा को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है।

7.4 पुनरीक्षण आदेश

एनपीपीए के आदेशों से परेशान कोई भी कंपनी डीपीसीओ, 2013 के पैरा 31 के अंतर्गत औषध विभाग को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। सुनवाई के पश्चात औषध विभाग अपेक्षित पुनरीक्षण निदेश देता है। एनपीपीए पात्रता के आधार पर औषध विभाग के पुनरीक्षण निदेशों को लागू करता है।

वर्ष 2022-23 (31.12.2022 तक) के दौरान, दो समीक्षा आदेश कार्यान्वयन के लिए लंबित हैं क्योंकि मामला विशेषज्ञ समिति/एनपीपीए द्वारा आगे की जांच और पुनर्विचार के अधीन है।

7.5 डीपीसीओ, 2013 के पैरा 32 के अंतर्गत दी गई छूट

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, एनपीपीए ने डीपीसीओ 2013 के पैरा 32(i) के तहत का.आ संख्या 1783 (अ) दिनांक 12 अप्रैल 2022 के माध्यम से मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट को (i) सिंगल डोज़ (0.5 मिली) वॉयल, (ii) मल्टी-डोज़ (5 डोज़-2.5 मिली) वॉयल), और (iii) सिंगल खुराक (0.5 मिली) पहले से भरी हुई सीरिंज में न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट वैक्सीन (एडसोर्बेड) आई (10-वैलेंट) (पीसीवी 10वी) में छूट प्रदान की है।

7.6 व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के आधार पर कैंसर रोधी दवाओं का मूल्य संशोधन

एनपीपीए ने दिनांक 27.02.2019 के आदेश का.आ 1041(अ) द्वारा चयनित 42 कैंसर-रोधी गैर-अनुसूचित फार्मूलेशन के व्यापार मार्जिन की सीमा तय की है। जनहित में असाधारण परिस्थितियों में डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के प्रावधान को लागू करते हुए प्रायोगिक को अवधारणा के प्रमाण के रूप में लिया गया है। विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 526 ब्रांडों के एमआरपी में 91% तक की कमी देखी गई है। ब्रांडों की कीमतों में प्रतिशत-वार कमी इस प्रकार है:

ग्राफ-7क

(ब्रांडों की कीमतों में प्रतिशत-वार कमी)

ब्रांडो की संख्या

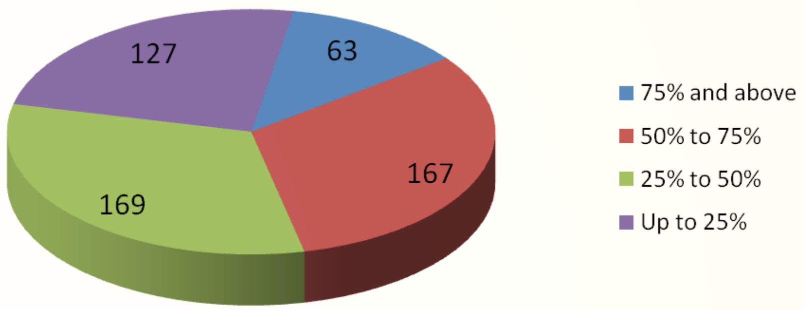

ग्राफ- 7घ

ब्रांडों की कीमतों में प्रतिशत-वार कमी

क्रम संख्या	कीमतों में स्लैब-प्रतिशत कमी	ब्रांडों की संख्या
1	75% और अधिक	63
2	60% से 75%	167
3	25% से 50%	169
4	25%तक	127
	कुल	**526**

उदाहरण के लिए, बिरलोटिब ब्रांड की टैबलेट एर्लोटिनिब 150 एमजी दवा के (10 के पैक) की कीमत जो पहले 9,999/- रुपए प्रति 10 टैबलेट पैक थी, अब घटकर 892/- रुपए प्रति 10 टैबलेट पैक हो गई है (91% की कमी) और इसी तरह पेमेट्रेक्सड दवा के पेमेस्टार 500 ब्रांड इंजेक्शन की कीमत जो पहले 25400 रुपए प्रति इंजेक्शन थी, व्यापार मार्जिन के युक्तिकरण के बाद घटकर 2509 रुपए प्रति इंजेक्शन हो गई है (90% की कमी)।

इससे कैंसर रोगियों को प्रतिवर्ष 984 करोड़ रुपए की अनुमानित वार्षिक बचत हुई है। एनपीपीए ने राज्य औषधि नियंत्रकों और अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षकों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी किए हैं ताकि इस उपाय के अंतर्गत रोगियों को लाभ हो सके।

7.7 उपभोक्ताओं को बचत

एनएलईएम 2015 (संशोधित अनुसूची-I) में सूचीबद्ध अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य के निर्धारण से, कोरोनरी स्टेंट के मूल्य निर्धारण के कारण हुई 4,547 करोड़ रुपए की बचत के अलावा उपभोक्ताओं को 2643 करोड़ रुपए की बचतें भी हुई है। एनएलईएम, 2011 की अनुसूची-। के अंतर्गत अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम

मूल्य निर्धारण से उपभोक्ताओं को 2423 करोड़ रुपए की बचत संभव हो पायी है। पैरा 19 मूल्य अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को करीब 350 करोड़ रुपए की बचत हुई है। गैर अनुसूचित आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण के अधिकतम मूल्य के निर्धारण से उपभोक्ताओं को 1500 करोड़ रुपए की वार्षिक अनुमानित बचत हुई है। कैंसर-रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण के माध्यम से उपभोक्ताओं को 984 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है। इस प्रकार, एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ 2013 के अंतर्गत दवाओं के मूल्यों के विनियमन से उपभोक्ताओं को लगभग 12447 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की निवल बचतें हुई हैं। हालांकि, गणना की गई कुल बचत अतिरिक्त बचत की प्रकृति की है क्योंकि कई अनुसूचित दवाओं की कीमतें ऐतिहासिक रूप से मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। उपरोक्त अनुमानित बचत में केवल एनएलईएम 2011, एनएलईएम 2015 के तहत उच्चतम मूल्य निर्धारण और कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण, एंटी-डायबिटिक/हृदय रोग के मूल्य निर्धारण, स्टेंट के अधिकतम मूल्य निर्धारण और घुटने के प्रत्यारोपण के मूल्य निर्धारण जैसे अन्य विशिष्ट उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-अनुसूचित दवाओं के एमआरपी में वार्षिक वृद्धि पर 10% की सीमा के कारण भी उपभोक्ताओं को लाभ होता है। इसलिए, डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत मूल्य विनियमन के कारण कुल बचत उपरोक्त अनुमान से कहीं अधिक होने की संभावना है

ग्राफ- 7ख
(उपभोक्ताओं को बचत)

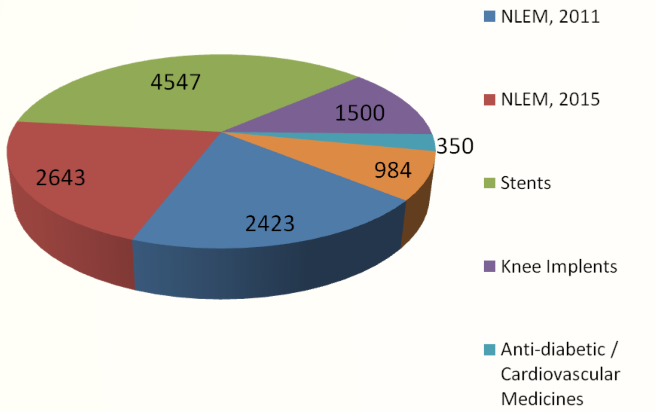

7.8 कोविड-19 महामारी की आपात स्थितियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम

7.8.1 आवश्यक औषधियों की उपलब्धता

कोविड-19 महामारी के दौरान, एनपीपीए ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाई और पूरे देश में जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए। 2020 में हेपरिन के लिए कीमतों में संशोधन किया गया और उचित मूल्य पर उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) और ऑक्सीजन इनहेलेशन (औषधीय गैस) की सीमा तय की गई। इस अवधि के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेब्युलाइज़र, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर की कीमतों को भी 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण' दृष्टिकोण के तहत विनियमित किया गया था ताकि उनकी पहुंच और वहनीयता में सुधार हो सके।

एनपीपीए ने फार्मा उद्योग, विनिर्माताओं; केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट (एआईओसीडी) के अखिल भारतीय खुदरा संघ; राज्य औषधि नियंत्रक (एसडीसी); आदि, से निकटता से बातचीत की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्ति श्रृंखला में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसके अलावा, फार्माट्रैक साप्ताहिक डेटा बिक्री, इन्वेंट्री दिनों आदि पर विश्लेषण किया गया। एनपीपीए ने सीडीएससीओ के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करके विनिर्माताओं के साथ-साथ खुदरा संघ के साथ बैठकें कीं ताकि विनिर्माता(ओं) के स्तर पर उत्पादन और व्यापार में दवाओं की आपूर्ति की निगरानी की जा सके।

7.8.2 उपलब्धता सर्वेक्षण के माध्यम से निगरानी

देश भर में समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर केमिस्ट की दुकानों पर औषधि महानियंत्रक (आई) के अधिकारियों द्वारा किए गए नियमित सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रमुख दवाओं की उपलब्धता की निगरानी की जा रही है। एनपीपीए की मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) द्वारा आयोजित कोविड प्रबंधन दवाओं के साप्ताहिक उपलब्धता सर्वेक्षणों के माध्यम से मई 2021 से इसे भी पूरा किया जा रहा है। जुलाई 2021 से शुरू हुए साप्ताहिक सर्वेक्षण में पांच चिकित्सा उपकरणों को भी शामिल किया गया।

7.9 पांच वर्षों में उपचारात्मक क्षेत्रों में वृद्धि

भारतीय औषध उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में जेनेरिक दवाएं, ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाएं, थोक दवाएं, टीके, अनुबंध अनुसंधान और विनिर्माण, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स शामिल हैं। विगत पांच वर्षों 2017-18 से 2021-22 (तालिका 7) के दौरान यूरोलॉजी थेराप्यूटिक क्षेत्र में 9.78% की उच्चतम वृद्धि देखी गई है, हालांकि बिक्री के आंकड़े निरपेक्ष रूप से बहुत अधिक नहीं थे। हालांकि, कार्डियक और रेस्पिरेटरी थेराप्यूटिक श्रेणी की दवाओं की बिक्री अधिक है और इसकी समेकित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 8.29% - 8.50% के बीच है। इसके बाद एंटी-डायबिटिक, हार्मोन और विटामिन/खनिज श्रेणियों में सीएजीआर 7.44%-7.47% के बीच था। टीकों की आपूर्ति ज्यादातर संस्थानों को की जाती है और इसलिए हो सकता है कि 3.70% का नकारात्मक सीएजीआर इसकी सही स्थिति न दर्शाए क्योंकि फार्मट्रैक मार्केट डेटाबेस संस्थागत बिक्री का हिसाब नहीं रखता है।

तालिका 7ड.:
(विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों में वृद्धि)

वर्ग	बिक्री 2017-18 (रुपये करोड़ में)	बिक्री 2021- 22 (रुपये करोड़ में)	सीएजीआर (%)
संक्रमण-रोधी	16,850	23,807	7.16%
कार्डियक	14,591	21,915	8.47%
जठरांत्र	13,756	19,622	7.36%
मधुमेह-रोधी	11,075	15,879	7.47%
विटामिन / खनिज / पोषक तत्व	10,437	14,945	7.44%
श्वसन	9,111	13,569	8.29%
दर्द / एनाल्जेसिक	8,303	11,740	7.17%
डर्मा	8,155	10,642	5.47%
न्यूरो / सीएनएस	7,348	9,898	6.14%
गायनोकोलोजिकल	6,200	8,015	5.27%
एंटी-नियोप्लास्टिक्स	2,546	3,063	3.77%
ओप्थाल्मिक / ओटोलॉजिकल	2,259	2,669	3.39%
हार्मोन	2,143	3,072	7.47%
टीके	2,133	1,767	-3.70%
यूरोलोजि	1,510	2,408	9.78%
रक्त संबंधी	1,450	1,800	4.42%
अन्य	1,149	1,450	4.76%
सेक्स स्टिम्यलेन्ट /रिजुविनेटर	690	956	6.74%
स्टोमैटोलॉजिकल	584	1,015	11.69%
मलेरिया रोधी	524	559	1.29%
कुल योग	**1,20,815**	**1,68,791**	**6.92%**

स्रोत: फार्माट्रैक मार्केट डेटाबेस

वित्त वर्ष 2021-22 के बिक्री आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया है कि सभी श्रेणियों में बड़ी, मध्यम और छोटी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 77%, 20% और 4% थी **(तालिका 7च)**। संक्रमण-रोधी, कार्डियक, रेस्पिरेटरी और न्यूरो कैटेगरी में बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी ज्यादा है (85% से अधिक) जबकि दर्द/एनाल्जेसिक, डर्मा, गायनेकोलॉजिकल और एंटी-नियोप्लास्टिक्स में बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 65% थी।

तालिका-7च

(वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान औषधियों के समूह और कंपनी के आकार के अनुसार बाजार हिस्सेदारी)

औषधियों का समूह	बिक्री (रुपए करोड़ में)	कंपनियों के% में बाजार हिस्सेदारी		
		बड़ी	मध्यम	छोटी
संक्रमण-रोधी	23,807	89%	9%	2%
कार्डियक	21,915	85%	14%	1%
जठरांत्र	19,622	76%	20%	4%
मधुमेह-रोधी	15,879	79%	19%	2%
विटामिन /खनिज / पोषक तत्व	14,945	59%	36%	6%
श्वसन	13,569	82%	15%	3%
दर्द /एनाल्जेसिक	11,740	68%	26%	6%
डर्मा	10,642	66%	29%	5%
न्यूरो /सीएनएस	9,898	88%	7%	5%
गायनोकोलोजिकल	8,015	67%	29%	4%
हार्मोन	3,072	85%	13%	2%
एंटी-नियोप्लास्टिक्स	3,063	61%	36%	3%
ओप्थाल्मिक /ओटोलॉजिकल	2,669	65%	24%	11%
यूरोलोजि	2,408	81%	17%	2%
रक्त संबंधी	1,800	62%	31%	7%
टीके	1,767	63%	30%	7%
अन्य	1,450	52%	37%	12%
स्टोमैटोलॉजिकल	1,015	54%	34%	11%
सेक्स स्टिम्यलेन्ट /रिजुविनेटर	956	88%	10%	2%
मलेरिया रोधी	559	89%	5%	6%
कुल योग	1,68,791	77%	20%	4%

स्रोतः फार्माट्रैक मार्केट डेटाबेस

नोट: कंपनियों को रुपए 1,000 करोड़ और उससे अधिक के घरेलू कारोबार के आधार पर क्रमशः रुपए 100 करोड़ से रुपए 1,000 करोड़ और रुपए 100 करोड़ तक के हिसाब से बड़े, मध्यम और छोटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

7.10 मूल्य निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियां

सरकार डीपीसीओ, 2013 के तहत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों की प्रभावी रूप से निगरानी कर रही है और राज्य औषध नियंत्रकों/व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर, खुले बाजार से खरीदे गए नमूनों के आधार पर, और बाजार आधारित आंकड़ों की रिपोर्ट और 'फार्मा जन समाधान' और 'केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र (सीपीजीआरएएमएस)' वेबसाइटों के माध्यम से संसूचित शिकायतों के आधार पर उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य प्रभारित करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। अनुमत सीमा से परे फार्मूलेशन मूल्य में वृद्धि की निगरानी भी फार्माट्रैक डेटा और व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर की जाती है।

जब कभी भी कंपनियां एनपीपीए द्वारा अधिसूचित कीमत से अधिक कीमतों पर अनुसूचित फॉर्मूलेशन की बिक्री करती पायी जाती हैं, तो डीपीसीओ, 2013 के संगत प्रावधानों के तहत ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अधिप्रभारित राशि, ब्याज सहित कंपनी से वसूली जाती है। इसी तरह की कार्रवाई तब भी की जाती है जब कंपनियां गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के मूल्यों के पिछले बारह माह के अधिकतम खुदरा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हैं या अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्लू पी आई) का उल्लंघन करते हैं। अधिसूचित औषध फॉर्मूलेशनों के मामले में अधिसूचित अधिकतम मूल्य का अनुपालन नहीं किए जाने या दूसरे शब्दों में, अधिकतम मूल्य एवं लागू स्थानीय करों के योग का एमआरपी से अधिक होने का अर्थ उपभोक्ताओं से अधिप्रभारण है। ऐसी अधिप्रभारित राशि औषध कंपनियों से उस राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित अधिप्रभार की तारीख से वसूली जाती है।

एनपीपीए औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करता है, कमियां, यदि कोई हैं, की पहचान करता है, और उपभोक्ताओं को औषधियां उपलब्ध करवाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाता है। जब और ज्यों किसी विशिष्ट औषध (औषधियों) की देश के किसी भी भाग में कमी की सूचना प्राप्त होती है, संबंधित कंपनी को प्रभावित क्षेत्रों में उन औषधियों को उपलब्ध करवाने के लिए स्टॉक भेजने के लिए कहा जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों को अधिसूचित कीमतों पर दवाएं उपलब्ध हों, एनपीपीए प्रवर्तन गतिविधियों के लिए राज्य औषध नियंत्रकों के साथ मिलकर काम करता है। खुले बाजार से नियमित रूप से दवाओं के नमूने लिए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मरीजों को दवाएं किस कीमत पर बेची जाती हैं। वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक (31.12.2022 तक) की प्रवर्तन गतिविधियाँ तालिका-7छ में दर्शायी गई हैं:

तालिका- 7छ
(प्रवर्तन गतिविधियों का विवरण)

वर्ष	संग्रहीत नमूनों की संख्या	प्रथम दृष्टया संसूचित उल्लंघन (मामलों की संख्या)
2010-2011	553	225
2011-2012	559	156
2012-2013	626	165
2013-2014	993	389
2014-2015	3898#	1020
2015-2016	2534#	613
2016-2017	1817#	930
2017-2018	2418#	1032
2018-2019	1391#	324
2019-2020	938#	350
2020-2021	1073#	537
2021-22	907#	391
2022-23 (31.12.2022 तक)	605#	281

राज्य औषध नियंत्रकों और पीएमआरयू से संदर्भित अधिप्रभारन के मामले 'संग्रहीत नमूने' के तहत शामिल किए गए हैं।

7.11 अधिप्रभारित राशि की वसूली

अधिप्रभारित की गई राशि को दवा कंपनी से डीपीसीओ के प्रावधानों के अनुसार ब्याज और जुर्माने के साथ वसूल किया जाता है। ऐसी कंपनियां जो इन मांग नोटिसों का पालन नहीं करती हैं उनके मामलों को अधिप्रभारित राशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने के लिए जिला कलेक्टरों को भेज दिया जाता है और वे आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), 1955 के प्रावधानों के तहत अभियोजन का भागी भी हो सकती हैं।

दिनांक 30.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार एनपीपीए के पास अधिप्रभारन के करीब 2295 मामले है। दिनांक 30.12.2022 तक डीपीसीओ 1979, डीपीसीओ 1995 एवं 2013 के अंतर्गत औषध कम्पनियों से 1321.15/- करोड़ रु.(लगभग) की राशि वसूल की गई है। अधिप्रभारित धनराशि और उस पर लगे ब्याज की वसूली करने हेतु कार्रवाई करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। एनपीपीए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठनीय डीपीसीओ' 1979, डीपीसीओ' 1987, डीपीसीओ' 1995/डीपीसीओ' 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करता है।

7.12 ई-पहलें

एनपीपीए ने आम जनता की शिकायतों के बेहतर निपटान के लिए निम्नलिखित ई-पहल भी की है:

क. फार्मा सही दाम और फार्मा जन समाधान एपीपी

फार्मा सही दाम (पीएसडी) मोबाइल ऐप और फार्मा जन समाधान (पीजेएस) एप्लिकेशन पहली बार क्रमशः 29 अगस्त 2016 और 12 मार्च 2015 को लॉन्च किए गए थे। पीजेएस और पीएसडी को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ नया रूप दिया गया और 29 अगस्त 2022 को इसका संस्करण 2 लॉन्च किया गया। पीजेएस एनपीपीए द्वारा विकसित एक वेब सक्षम प्रणाली है। पीजेएस औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ई-गवर्नेंस टूल के रूप में कार्य करता है। पीजेएस का प्राथमिक उद्देश्य दवाओं की उपलब्धता, दवाओं का अधिप्रभारण, पूर्व मूल्य अनुमोदन (डब्ल्यूपीए) के बिना 'नई दवाओं' की बिक्री, और दवाओं की आपूर्ति या बिक्री से इनकार के संबंध में एक त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना है। शिकायतें एनपीपीए की वेबसाइट यानी www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध पीजेएस लिंक के तहत या फार्मा सही दाम ऐप पर और टोल-फ्री नंबर 1800111255 और ईमेल - मॉनिटरिंग-nppa@gov.in पर भी दर्ज की जा सकती हैं।

पीजेएस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता संगठन या स्टॉकिस्ट/वितरक/ विक्रेता/रिटेलर या राज्य औषधि नियंत्रक, एनपीपीए को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पीजेएस के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर पूरी जानकारी के साथ एनपीपीए द्वारा 48 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू की जाती है।

फार्मा सही दाम ऐप 2.0 में आम व्यक्ति के लाभ के लिए अतिरिक्त विशेषताएं हैं। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और एंड्रॉइड आधारित मोबाइल फोन के लिए गूगल प्ले स्टोर से और आईओएस आधारित मोबाइल फोन के लिए ऐप स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। इसका उपयोग दवाओं के मूल्यों (ब्रांड के अनुसार या फॉर्मूलेशन के अनुसार) के साथ-साथ अनुसूचित दवाओं की नवीनतम अधिकतम कीमतों की खोज करने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं या शिकायत की स्थिति देख सकते हैं, जो पहले दर्ज की गई थी (ओटीपी प्रमाणीकरण)। उपयोगकर्ता एक ही फार्मूलेशन के विभिन्न ब्रांडों की कीमतों की तुलना कर सकते हैं; और मेसेज आदि पर मूल्य विवरण साझा कर सकते हैं। ऐप या सर्च मेडिसिन सुविधा उपकरण उपभोक्ताओं को यह सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करेगा कि क्या दवाएं अनुमोदित मूल्य सीमा के भीतर बेची जा रही हैं या फिर औषध कंपनी/केमिस्ट द्वारा अतिप्रभारन के मामले का पता लगाना सुगम करेगा। यदि अधिकतम मूल्य सीमा का कोई उल्लघन होता है, तो खरीददार फार्मा जन समाधान (http://www.nppaindia.nic.in/redressal.html) के माध्यम से कंपनी/केमिस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कर पाएगा।

ख. एकीकृत औषध डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (आईपीडीएमएस)

आईपीडीएमएस संस्करण 1 को 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था। एनपीपीए द्वारा उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सीडीएसी) के सहयोग से विकसित आईपीडीएमएस के संस्करण 2 को 29 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया था।

आईपीडीएमएस 2.0 को आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों के परामर्श से विकसित किया गया था। यह व्यापक ऑनलाइन प्रणाली दवा विनिर्माता/विपणन/आयातक/वितरक कंपनियों को डीपीसीओ, 2013 के फॉर्म I - VI में निर्धारित अनिवार्य रिटर्न दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। फॉर्म-I में 'नई दवा' के मूल्य अनुमोदन के लिए आवेदन भी इस पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है। आईपीडीएमएस 2.0 की प्रमुख विशेषताओं में यह शामिल हैं:

- रियल टाइम डैशबोर्ड
- सिंगल विंडो इकोसिस्टम
- गतिशील रिपोर्टिंग और डेटा विश्लेषण
- विभिन्न प्रभागों के लिए वर्किंग वर्चुअल डेस्क
- डेस्कटॉप अलर्ट प्रबंधन प्रणाली
- ईमेल, मोबाइल एसएमएस अलर्ट
- फार्मा सही दाम ऐप का आईपीडीएमएस संस्करण 1 के साथ लिंकेज
- आसान पहुंच के लिए क्लाउड सक्षम एकीकृत एप्लिकेशन

दिनांक 31.12.2022 तक आईपीडीएमएस में पंजीकृत कंपनियों की संख्या ग्राफ-7ग में दर्शायी गई है:

ग्राफ-7ग
(आईपीडीएमएस में पंजीकृत कंपनियों की संख्या)

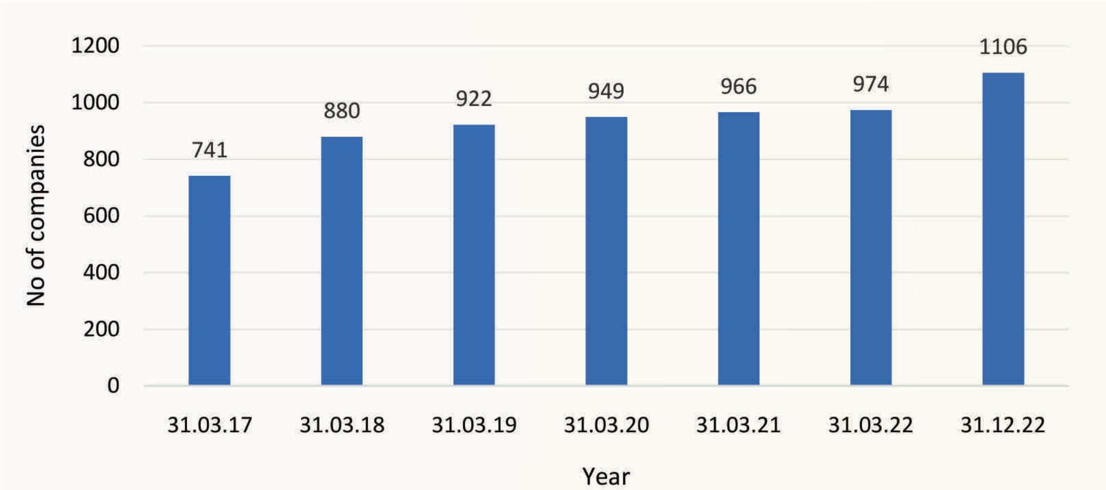

7.13 उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) का कार्यान्वयन

एनपीपीए की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना उपभोक्ता जागरूकता और प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) के दो घटक हैं, अर्थात राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) की स्थापना के लिए सहायता, और सीएपीपीएम हेतु विज्ञापन और प्रचार। पीएमआरयू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटियां हैं जिनका अपना संस्थापन प्रलेख/उपनियम है और वे एनपीपीए की पहुंच बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य औषधि नियंत्रकों की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करते हैं। इस योजना के तहत पीएमआरयू को उनके आवर्तक और अनावर्ती व्यय के लिए 100% निधियां प्रदान की जाती है।

एनपीपीए सभी छत्तीस (36) राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) की स्थापना करने की प्रक्रिया में है। दिनांक 10.01.2023 तक, पच्चीस (25) राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों नामतः केरल, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में पीएमआरयू स्थापित किए गए हैं। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

सीएपीपीएम के लिए विज्ञापन और प्रचार के तहत- एनपीपीए और पीएमआरयू दोनों उपभोक्ता जागरूकता के

संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ प्रशिक्षण, सेमिनार, वेबिनार जैसी आईईसी गतिविधियों का संचालन करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान से 31.12.2022 तक, एनपीपीए ने नई दिल्ली में 7 ऑनलाइन वेबिनार और पीएमआरयू के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इन वेबिनारों का मुख्य उद्देश्य पीएमआरयू के अधिकारियों और कर्मचारियों को पीएमआरयू द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर मार्गदर्शन प्रदान करना था।

7.14 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत की गई गतिविधियां

(i) 29 अगस्त 2022 को एनपीपीए का सिल्वर जुबली समारोह

29 अगस्त 2022 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एनपीपीए की राष्ट्र सेवा के 25 साल पूरे होने का उत्सव मनाया गया। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर श्रोताओं को संबोधित किया और रसायन एवं उर्वरक और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने सम्मानित अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। श्री कमलेश पंत, अध्यक्ष, एनपीपीए ने स्वागत भाषण दिया। सुश्री एस. अपर्णा, सचिव, औषध विभाग इस अवसर पर उपस्थित थीं। इस अवसर पर औषध और मेडटेक उपकरण उद्योग, केंद्र और राज्य सरकारों, मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों, नागरिक समाज, रोगी वकालत समूहों, औषध अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों, बुद्धिजीवी और मीडिया प्रतिनिधियों के हितधारक उपस्थित थे।

29 अगस्त 2022 को एनपीपीए का सिल्वर जुबली समारोह

समारोह के उद्घाटन सत्र में एकीकृत औषध डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली 2.0 (आईपीडीएमएस 2.0) और फार्मा सही दाम 2.0 ऐप लॉन्च किए गए। उद्घाटन सत्र में 'एनपीपीए के 25 साल की दीर्घ अवधि में औषधि दवा मूल्य निर्धारण का अवलोकन' शीर्षक से एक प्रकाशन भी लॉन्च किया गया। यह प्रकाशन न केवल एनपीपीए की 25 साल की यात्रा का इतिहास है बल्कि देश में मूल्य निर्धारण विनियमन पर विशेष जोर देने वाली दवा नियामक प्रणाली के विकास पर भी प्रकाश डालता है।

29 अगस्त 2022 को एनपीपीए की सिल्वर जुबली के दौरान माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक), राज्य मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) और सचिव (औषध) के साथ एनपीपीए स्टाफ की एक सामुहिक तस्वीर

उद्घाटन सत्र के बाद "औषध और मेडटेक क्षेत्र में नीति निर्माण के लिए सुदृढ़ डाटा संग्रह" विषय पर एक पैनल चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य, डॉ वीके पॉल ने की। पैनल चर्चा का संचालन श्री सत्य एस सुंदरम, ईएंडवाई द्वारा किया गया था। चर्चा के तहत विषय के साथ संबंध रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञ पैनलिस्टों ने वार्तालाप किया। चर्चा में शामिल विशेषज्ञ पैनलिस्ट थे: डॉ. विरांची शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईडीएमए; श्री राजीव मिश्रा, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग; डॉ. वी. जी. सोमानी, भारत के औषधि महानियंत्रक; श्री गणेश पी. साबत, सीईओ, सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड; श्री आशीष भटनागर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय स्मार्ट सरकार संस्थान; सुश्री दीप्ति श्रीवास्तव, उप महानिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; और श्री सौरभ ठकराल, वरिष्ठ विशेषज्ञ, नीति आयोग।

29 अगस्त 2022 को एनपीपीए की सिल्वर जुबली समारोह के दौरान उपस्थित अतिथि

(ii) पीएमआरयू प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गतिविधियों के भाग के रूप में वर्ष भर चलने वाले 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के दौरान, एनपीपीए ने पीएमआरयू के अधिकारियों के लिए उनके कामकाज में प्रभावशीलता और दक्षता लाने और एनपीपीए और पीएमआरयू के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में दो (2) दिवसीय प्रशिक्षण

कार्यक्रम का आयोजन किया। पीएमआरयू प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन 29 अगस्त 2022 को सुश्री एस. अपर्णा, सचिव, औषध विभाग द्वारा श्री कमलेश पंत, अध्यक्ष, एनपीपीए, श्री रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव, औषध विभाग और डॉ. विनोद कोतवाल, सदस्य सचिव, एनपीपीए की उपस्थिति में किया गया था। उद्घाटन सत्र में एक पीएमआरयू प्रशिक्षण मैनुअल भी लॉन्च किया गया।

उद्घाटन सत्र के दौरान पीएमआरयू प्रशिक्षण नियमावली का विमोचन

एनपीपीए कर्मचारियों के एक समूह की तस्वीर

7.15 राजभाषा कार्यान्वयन

एनपीपीए में अध्यक्ष, एनपीपीए की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) कार्य करती है और एनपीपीए के अन्य सभी अधिकारी इस समिति के सदस्य होते हैं। इस समिति का उद्देश्य दिन-प्रतिदिन के आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की समीक्षा करना है और एनपीपीए के कार्यालय में आयोजित ओएलआईसी की बैठकों में इसकी तिमाही समीक्षा की जाती है। समिति के सदस्य अपने-अपने प्रमंडलों में हिन्दी के प्रयोग पर चर्चा करते हैं और राजभाषा के प्रयोग में सुधार लाने के लिए सुझाव भी देते हैं।

7.16 राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा 2022

राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा 2022 का आयोजन दिनांक 19.09.2022 से 30.09.2022 तक एनपीपीए कार्यालय में किया गया था, जिसका उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्यालयी कामकाज में

हिंदी के उपयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने और विभाग को हिन्दी के प्रयोग के अनुकूल माहौल बनाने में सहायता देना था। 2022 में हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया और एनपीपीए के अध्यक्ष द्वारा एनपीपीए के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिनांक 19.10.2022 को अध्यक्ष, एनपीपीए द्वारा नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2022 का आयोजन

7.17 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

एनपीपीए में 30 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। अध्यक्ष, एनपीपीए ने सभी अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 के दौरान एनपीपीए में सत्यनिष्ठा शपथ

7.18 राष्ट्रीय एकता दिवस

दिनांक 31.10.2022 को एनपीपीए कार्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। एनपीपीए की सदस्य सचिव डॉ विनोद कोतवाल ने एनपीपीए के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई।

NPPA celebrated Rashtriya Ekta Diwas on 31st October, 2022

मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के **लिए** स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों **द्वारा** संभव बनाया जा सका। मैं अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।

National Pharmaceuticals Pricing Authority, YMCA Cultural Centre Building, 1 Jai Singh Road, New Delhi-110001 | Helpline No.: 1800 111 255 (10 am to 6 pm on all working days)

Follow us : @nppa_india | @india.nppa

राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह

7.19 स्वच्छता अभियान 2.0

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने सितंबर-अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत इस संबंध में सरकार के निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न गतिविधियों की गई। एनपीपीए में टैबलेट, कैप्सूल, स्ट्रिप्स, इंजेक्शन आदि के रूप में उपलब्ध बायो-मेडिकल उत्पादों की समीक्षा की गई, जांच की गई, पहचान की गई और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के समन्वय से उचित प्रक्रिया से इसका निपटान किया गया। इस अवधि के दौरान पुरानी अप्रयुक्त सामग्री/फर्नीचर और 2284 फाइलें/रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार अब आवश्यक नहीं हैं, का निपटान किया गया। पीएमआरयू ने भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने संबंधित पीएमआरयू राज्य कार्यालय में स्वच्छता गतिविधियों का संचालन किया।

दिनांक 14.10.2022 को अध्यक्ष एनपीपीए, ने स्वच्छता अभियान 2.0 से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की

"स्वच्छता अभियान 2.0" के समापन पर एनपीपीए कार्यालय परिसर की तस्वीरें

7.20 एनपीपीए का ई-न्यूजलेटर: औषध संदेश

वर्ष के दौरान, ई-न्यूजलेटर के पांच अंक जारी किए गए। इसमें भारत के साथ-साथ विश्व स्तर पर औषध क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास की जानकारी शामिल थी। साथ ही इन अंकों में फार्मा विशेषज्ञ के लेख भी शामिल किए गए हैं।

तालिका 7ज
(ई-न्यूज़पेपर का विमोचन)

महीना	**लेख का विषय**
अप्रैल, 2022	भारत में दवाओं तक पहुंच पर आयुष्मान भारत योजना का विस्तार-क्षेत्र, उपयोग और प्रभाव

जून, 2022	भारत के अंतर्राष्ट्रीय एचटीए प्लेटफ़ॉर्म पर होने की आवश्यकता है
अगस्त, 2022	दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग
अक्टूबर, 2022	औषध मूल्य नियंत्रण आदेश: वर्षों से
दिसंबर, 2022	समय सीमा समाप्त हुई औषध का अनुचित निपटान पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है

7.21 "दवाओं की ट्रैकिंग: अंतिम छोर तक उपलब्धता सुनिश्चित करना" पर वेबिनार

नीति आयोग के (स्वास्थ्य) सदस्य डॉ. वी. के. पॉल की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2022 को हाइब्रिड मोड में **"दवाओं की ट्रैकिंग: अंतिम छोर तक उपलब्धता सुनिश्चित करना"** विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था। सुश्री एस. अपर्णा, सचिव, औषध विभाग, वेबिनार की सम्मानित अतिथि थीं। वेबिनार में फार्मा एसोसिएशन, उद्योग प्रतिनिधियों, उपभोक्ता समूहों, छात्रों, संबंधित विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मूल्य निगरानी संसाधन इकाइयों आदि से लगभग 340 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पैनल चर्चा का संचालन श्री हिमांशु अग्रवाल, एवीपी, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा किया गया था और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे, अर्थात डॉ. सोमानी, भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई); श्री सुदर्शन जैन, महासचिव, आईपीए; श्री अमित बैकलीवाल, सीएमडी, फार्मासोटेक एडब्ल्यूएसीएस; और श्री स्वामीनाथन, सीईओ जीएस1, भारत।

बैठक के दौरान ली गई तस्वीरें

अध्याय-8

राजभाषा का कार्यान्वयन

8.1 सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग

8.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

8.3 हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2022

8.4 विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा

8.5 हिंदी सलाहकार समिति

अध्याय-8

राजभाषा का कार्यान्वयन

8.1 सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग

भारत संघ की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, विभिन्न 1976 के विभिन्न प्रावधानों तथा इसके तहत जारी किए गए आदेशों का कार्यान्वयन शामिल है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया। हिंदी में प्राप्त पत्रों तथा हिंदी में हस्ताक्षरित अभ्यावेदनों के उत्तर राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के नियम 5 तथा नियम 7(2) के प्रावधानों के अनुसार हिंदी में दिए गए।

8.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

विभाग में सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए समुचित उपायों का सुझाव देने तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की आवधिक रूप से समीक्षा करने हेतु संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। इसकी बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं और हिंदी में संघ के सरकारी काम-काज हेतु वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों की कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा की गई।

8.3 हिंदी प्रयोग प्रोतसाहन पखवाड़ा, 2021

अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने में विभाग की मदद करने के उद्देश्य से विभाग में 14 से 29 सितंबर, 2022 तक हिंदी का प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा मनाया गया।

हिंदी का प्रयोग करने की प्रतिबद्धता हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध करते हुए सचिव (फार्मा) द्वारा जारी किए गए संदेश के अलावा अन्य बातों के साथ-साथ पखवाड़े के दौरान अनेक हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाया। विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए।

8.4 विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा

वर्ष 2022-23 के लिए हिंदी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन में उनसे प्राप्त हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग पर तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से विभाग के अधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की आवधिक समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान, वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम 2022-23 में विहित लक्ष्यों (कम से कम 25 प्रतिशत कार्यालयों का निरीक्षण) को प्राप्त करने के लिए औषध विभाग के दो अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और दो अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण जनवरी, 2023 में किए जाने का प्रस्ताव किया गया हैं।

8.5 हिंदी सलाहकार समिति

माननीय मंत्री, रसायन एवं उर्वरक की अध्यक्षता में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23.06.2022 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

अध्याय-9

नागरिक उन्मुख अभिशासन

9.1 हमारा विजन

9.2 हमारा मिशन

9.3 हमारे ग्राहक

9.4 हमारी प्रतिबद्धताएं

9.5 हमारी सेवाएं

9.6 हमारे कार्यकलाप

9.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

9.8 सीपीजीआरएएमएस

अध्याय-9

नागरिक उन्मुख अभिशासन

9.1 हमारा विजन

गुणवत्तायुक्त दवाइयों के लिए वैश्विक लीडर के रूप में भारतीय फार्मा का संवर्धन करना तथा देश में दवाइयों तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुगमता तथा वहनीयता सुनिश्चित करना।

9.2 हमारा मिशन

- फार्मा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए निवेश
- महत्वपूर्ण एपीआई एवं चिकित्सा उपकरणों में मेक इन इंडिया बनाना
- उद्योग का विस्तार, कुशलता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार
- स्थिर एवं प्रभावी मूल्य विनियमन और
- जन औषधि योजना का विस्तार करते हुए जेनेरिक दवाइयां

9.3 हमारे ग्राहक

- भारत के नागरिक
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित औषध उद्योग
- डीपीसीओ के अंतर्गत राहत मांगने वाली औषध कंपनियां
- एनपीपीए/सीपीएसयू/नाईपर

9.4 हमारी प्रतिबद्धताएं

औषध उद्योगों से संबंधित मामलों में जनता को निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण एवं तत्काल सेवा प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

अधिक संख्या में अपने कार्मिकों और जनता की शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं।

हमारी प्रतिबद्धता नीतियों को बनाने और सभी उद्योग संघों/हितधारकों के साथ परामर्श शुरू करने और जब भी आवश्यक हो, उन्हें संशोधित करने की है।

9.5 हमारी सेवाएं

हम दवाइयों व औषधों, ड्रग मध्यवर्ती एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित नीतियां तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं।

9.6 हमारे कार्यकलाप

विभाग के मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :

(i) नीति समर्थन, योजना और प्रोत्साहन के माध्यम से औषध और चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देना।

(ii) औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्यों पर औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(iii) विभाग के नियंत्रण के अधीन कार्यरत केंद्रीय औषध उपक्रमों का समुचित कार्य संचालन सुनिश्चित करना।

(iv) सीपीएसयू के लिए परियोजना आधारित सहायता और पुनरूद्धार योजनाएं।

(v) नाईपरों में एम फार्मा और पी एच डी कार्यक्रमों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना।

(vi) सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित औषधि अनुसंधान तथा विकास और उद्योग के लिए मानव संसाधन, अवसंरचना विकसित करना।

(vii) फार्मा ब्रांड इंडिया का संवर्धन करने के लिए योजना/परियोजना तैयार करना।

(viii) औषध उद्योग के पर्यावरण संबंधी चिरस्थायी विकास केा बढ़ाव देने के लिए योजना/परियोजना तैयार करना।

(ix) वार्षिक योजना, बजट तैयार करना और बजट व्यय की मॉनीटरिंग करना। विभाग का सिटीजन चार्टर विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

9.7 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, समन्वय प्रभाग में सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जो आरटीआई मामलों के लिए नोडल सेल का कार्य करता है। आरटीआई आवेदन संबंधित सीपीआईओ को हस्तांतरित किए जाते हैं। सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त अपील/आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई का समन्वय करता है तथा रिटर्न इत्यादि भी जमा करता है। केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारियों की सूची को विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतित किया जाता है। पारदर्शिता के अनुपालन में वेबसाइट पर स्वतः प्रकटीकरण के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाती है।

9.8 सीपीजीएआरएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग व्यवस्था)

ऑफलाइन और सीपीजीएआरएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई लोक शिकायतों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है और निपटान किया जाता है।

अध्याय-10

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

10.1 लोकल एरिया नेटवर्क (लैन)

10.2 वेबसाइट और सोशल मीडिया

10.3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

10.4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा

10.5 कार्यप्रवाह स्वचालन

10.6 ई-गवर्नेंस

अध्याय-10

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत औषध विभाग ने ई-गवर्नेंस को अपनाने की दिशा में सूचना और ऑनलाइन सेवाओं को प्रदान करने की विभिन्न पहलें की है। इस कार्यक्रम ने पारदर्शिता, सेवाओं की आसान पहुंच, आंतरिक प्रकियाओं का सुधार और निर्णय समर्थन प्रणाली के संदर्भ में सुविधाओं का संचालन किया है।

विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा स्थापित आई टी आधारित कम्प्यूटर केन्द्र कार्यरत है और विभाग को विभिन्न आई टी संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम ग्राहक मशीनों से सुसज्जित किया है। एनआईसी तकनीकी परामर्श, नेटवर्किंग, अनुप्रयोग विकास और कार्यान्वयन, इंटरनेट और ई-मेल, डाटा आधार प्रबंधन और प्रशिक्षण जैसी मूल्यवान प्रमुख सेवाएं प्रदान कर रहा है। एनआईसी की मौजूदगी और विशेषज्ञता के साथ विभाग निम्नलिखित आईटी/ई-अभिशासन संबंधी पहलों का संचालन करने में सक्रिय रहा है। प्रदानगी और सुरक्षा के उन्नयन के लिए, वेब एप्लीकेशनों को क्लाउड एनवायरमेंट में अंतरित किया जाता है।

10.1 स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन)

विभाग में सभी कार्यस्थल लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) से जुड़े हुए हैं जो पहले से ही आईपीवी6 के अनुरूप है और ई-मेल, इंट्रानेट/इंटरनेट और डेटाबेस एक्सेस संचालन के लिए चौबीसों घंटे सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आईपीवी6 के अनुरूप आईसीटी हार्डवेयर सभी अधिकारियों/डिवीजनों/अनुभागों को उनके डेस्कटॉप पर उपयोग के लिए उपलब्ध है।

10.2 वेबसाइट और सोशल मीडिया

विभाग की द्विभाषी वेबसाइट http://pharmaceuticals.gov.in को एनआईसी क्लाउड में रखा गया है ताकि नागरिकों को सूचना की सुरक्षा एवं अधिकतम पहुंच सुनिश्चित हो सके। यह वेबसाइट अंतर्वस्तु प्रबंधन अवसंरचना का प्रयोग करते हुए एनआईसी द्वारा विकसित की गई है और जीआईजीडब्लू अनुपालक है। यह विभाग की संघटनात्मक व्यवस्था, इसके कार्य, अधीनस्थ कार्यालयों, नीतियों, प्रकाशनों, कार्यशील मानदंडों के बारे में सांख्यिकी आंकड़े/सूचना का ब्योरा प्रदान करता है। मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाण पत्र (एसटीक्यूसी) प्रमाणन पूरा हो गया है।

सोशल मीडिया के पास लोगों तक पहुंचने की काफी क्षमता है। सरकार के निर्णयों में, नीति निर्माण में सुधार करने और जागरूकता लाने के लिए विभाग ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट सृजित किए हैं। मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव एवं विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा आयोजित सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों से संबंधित सूचना त्वरित रूप से इन पर पोस्ट की जाती है। विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों तथा लिए गए निर्णयों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए विभिन्न सामग्रियों को विभाग के फेसबुक और ट्विटर पेज पर पोस्ट किया गया है।

10.3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

कोविड महामारी के शुरू होने के बाद से ही विभाग के सभी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई थी। हाल ही में, इस सुविधा ने विभिन्न नोडल विभागों द्वारा किए गए अनुरोधों के अनुपालन में, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के भाग के रूप में सेमिनार और बातचीत आयोजित करने में मदद की है। इससे उन्हें सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए वीसी के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने

में मदद मिली है। अन्यथा भी, सम्मेलन कक्षों की अनुपलब्धता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करने को प्रभावित नहीं करती है। विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों (नाइपरों) ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा संस्थापित की है। वी सी सुविधा विभाग को पीएसयू और नाईपरों से उनके कार्यनिष्पादन की मॉनीटरिंग करने एवं उन्हें निर्णयों की जानकारी देने के लिए उनके साथ लगातार संवाद स्थापित करने में सक्षम बनाती है। प्रगति बैठक, प्रधानमंत्री कार्यालय का मॉनीटरिंग टूल, प्रत्येक माह संचालित किया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री लंबे समय से लंबित मुद्दों के निराकरण के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सचिवों एवं राज्य मुख्य सचिवों के साथ संपर्क करते हैं। विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ संपर्क करने के लिए भी वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग किया जाता है।

विभाग के सचिव एवं संयुक्त सचिव को क्लाउड आधारित वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा विभाग के प्रत्येक अधिकारी के लिए उपलब्ध है। विभाग ने सम्मेलन आयोजित करने के लिए वीबेक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर भी खरीदा है।

10.4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा

कोविड महामारी के दौरान अधिकारियों को घर से काम करने और आधिकारिक काम को सुचारू रूप से निपटाने के लिए प्रदान की गई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा जारी है, क्योंकि यह सुविधा कार्यालय समय के बाद और छुट्टियां/सप्ताहांत में भी जरूरी आधिकारिक कार्यों को निपटाने के लिए बहुत उपयोगी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस विभाग ने 104 खातों में यह सुविधा प्रदान की है, जिनमें से 38 वर्तमान वित्तीय वर्ष में हैं।

10.5 कार्यप्रवाह स्वचालन

डिजिटल इंडिया की ओर विभाग द्वारा की गई अन्य पहल विभाग के भीतर कार्यप्रवाह के स्वचालन को कार्यान्वित करना है। ई-ऑफिस एक मानक उत्पाद है जो इस समय ई-फाइल, ई-यात्रा, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) और व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस), कॉलेबोरेशन एंड मेसेजिंग सर्विस (सीएएमएस) से मिलकर बना है तथा इसका उद्देश्य कार्यप्रवाह का प्रयोग, नियम आधारित फाइल को रूट करने, फाइलों एवं कार्यालय आदेशों का शीघ्र पता लगाना एवं इसकी पुन: प्राप्ति, प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर, फॉर्म और रिपोर्टिंग घटकों का प्रयोग बढ़ाना है। ई-ऑफिस का उपयोग कार्य की द्वैधता कम करने तथा पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। भौतिक फाइलों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करके विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान पर्याप्त काम किया गया है, क्योंकि फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली उन्हें ई-फाइलों में परिवर्तित करने के लिए विशेष अभियान का एक महत्वपूर्ण भाग था। नवंबर, 2022 के दौरान विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली को ई-फाइल वर्जन 7.2.5 में अपग्रेड किया गया है। विभाग और इसके संबद्ध कार्यालय, एनपीपीए दोनों के लिए ई-ऑफिस उपयोगकर्ताओं के खाते (ई-ऑफिस लाइट) की संख्या को 93 से बढ़ाकर 175 करने, जिसे 250 संख्या तक बढ़ाया जा सकता है, का कार्यान्वयन उन्नत चरण में है।

10.6 ई-अभिशासन

आधुनिक आईसीटी अनुरूप उपकरणों का लाभ उठाते हुए एनआईसी की सहायता से औषध विभाग ने सर्वोतम संव्यवहारों को अपनाने के लिए उचित पहल की हैं। एनआईसी द्वारा मानीटरिंग और निर्णय प्रक्रिया और सही सूचना सही समय पर उपलब्ध कराने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों को विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है।

- **स्पेरों**-स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग आनलाइन विंडो (स्पेरों) अप्लीकेशन, जो आईएएस तथा सीएसएस संवर्ग के एपीएआर को ऑनलाइन प्रस्तुत करने और अधिकारियों की प्रोसेसिंग करने की अनुमति

देती है, को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

- **आगंतुक प्रबंधन प्रणाली** -ई-विजिटर प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित साधन है। नागरिकों की सुविधाओं के लिए उनकी यात्रा के अनुरोध को ऑनलाइन पंजीकृत किया जाता है और प्रमाणित आगंतुकों को गेट पास जारी किया जाता है।
- **विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस)** -एल आई एम बी एस (लिम्बस) विधिक कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सरकार के विभिन्न न्यायालय मामलों की मानीटरिंग एवं हैंडलिंग के लिए विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है। माननीय उच्च न्यायालय एवं अधिकरणों से संबंधित मामलों को संबंधित विभागों द्वारा अपलोड किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण रिपोर्टों को तैयार करने में सहायता प्रदान करता है।
- **ऑनलाइन आरटीआई - एमआईएस** - आरटीआई आवेदनों को कुशलता से निपटाने और उनकी निगरानी करने के लिए विभाग ने ऑनलाइन आरटीआई - एमआईएस का प्रयोग करने की पहल की है। आरटीआई-एमआईएस का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए संबधित कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया था।
- **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण मॉनीटरिंग व्यवस्था (सीपीजीआरएएमएस)** - केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण मॉनीटरिंग व्यवस्था (सीपीजीआरएएमएस) को ऑनलाइन प्राप्त होने वाली लोक शिकायतों का अविलंब समाधान करने के लिए विभाग तथा इसके सभी संबद्ध कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया है।
- **निविदाओं का ई-प्रकाशन**-केंद्रीय सार्वजनिक अधिप्रापण पोर्टल पर निविदाएं अपलोड करके निविदाओं के ई-प्रकाशन को कार्यान्वित किया जाता है। इससे निविदाओं की पहुंच में सुधार हुआ है।
- **इलेक्ट्रानिक-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस)** एक वेब आधारित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली है। ई-एचआरएमएस एक वेब पोर्टल https://ehrms.gov.in औषध विभाग में कार्यान्वित किया गया है। सभी कार्मिकों का डाटा अपलोड किया गया है। मॉड्यूल सेवा पुस्तिका विवरण, छुट्टी और एलटीसी प्रचालन में है।
- **https://supremo.nic.in** एक वेब पोर्टल है जिसका भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है। यह भारत सरकार के कार्मिकों से संबंधित सिंगल यूजर प्लेटफार्म है। मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति (एसीसी) के अंतर्गत कार्मिक की सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए और अधिक पहलें की गई हैं जो निम्नानुसार हैं :

(i) योजनागत स्कीम ''औषधीय और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना (पीएमपीडीएस)'' के अंतर्गत सहायत अनुदान के लिए एक सॉफ्टवेयर का विकास। पीएमपीडीएस का उद्देश्य औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की वृद्धि, इनके निर्यात एवं साथ ही इनको प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देने हेतु निवेश करने, अध्ययन/कन्सल्टेंसीज का आयोजन करने के साथ-साथ संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के आयोजन, निर्यात के संवर्धन से संबंधित भारत से अन्य देशों में जाने एवं आने वाले शीर्ष प्रतिनिधिमंडलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का संवर्धन एवं विकास करना है। पीएमपीडीएस पोर्टल http://ngogrant.pharmaceuticals.gov.in/ विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

(ii) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली और मोहाली में स्थित हैं। संस्थानो के विभिन्न कार्यकलापों की मॉनीटरिंग करने के लिए नाईपर एमआईएस http://nipermis.pharmaceuticals.gov.in/ को विकसित किया गया है तथा एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है। एमआईएस का अगला रूपान्तर विकसित किया गया है तथा उसका कार्यान्वयन

किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

(iii) विभाग का डैशबोर्ड विकसित किया गया है और कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

(iv) स्टेशनरी एमआईएस (http://10.21.81.76/store) औषध विभाग का एक स्टेशनरी मद का एमआईएस है। इस साइट का उपयोग करते हुए कर्मचारी अपनी अपेक्षित स्टेशनरी मदों के लिए अनुरोध कर सकता है। प्रशासन के अनुमोदन के आधार पर कर्मचारी उक्त मदों को प्राप्त कर सकता है। स्टेशनरी मदों के स्टॉक का रखरखाव किया जा रहा है और सक्रियात्मक रूप से इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर का आगामी वर्जन प्रक्रियाधीन है।

(v) साझा सुविधाओं के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग को सहायता (एपीआईसीएफ) और औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) पर दो नए कार्यक्रम सक्रिय कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाधीन हैं।

(vi) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) http://fdi.pharmaceuticals.gov.in/ पोर्टल को लाइव कर दिया गया है और उपयोगकर्ता सहायता प्रक्रियाधीन है। एफडीआई के अंतर्गत कंपनियां पोर्टल में पंजीकरण करा सकती हैं। इक्विटी ट्रांसफर, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इक्विटी ट्रांसफर पर नजर रखी जा रही है।

(vii) पुरस्कार पोर्टल: यह पोर्टल विकसित किया गया है और कार्यान्वयन के चरण में है। आकांक्षी कंपनियां पोर्टल पर पंजीकृत हो जाती हैं और पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अपनी उपलब्धि दर्ज कर सकती हैं। विजेताओं का निर्णय डेटा उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(viii) सीडीएमएस पोर्टल: यह पोर्टल विकसित किया गया है और कार्यान्वयन के चरण में है। यह पोर्टल कोविड अवधि के दौरान देश में कोविड से संबंधित दवा की उपलब्धता की निगरानी के लिए बनाया गया है।

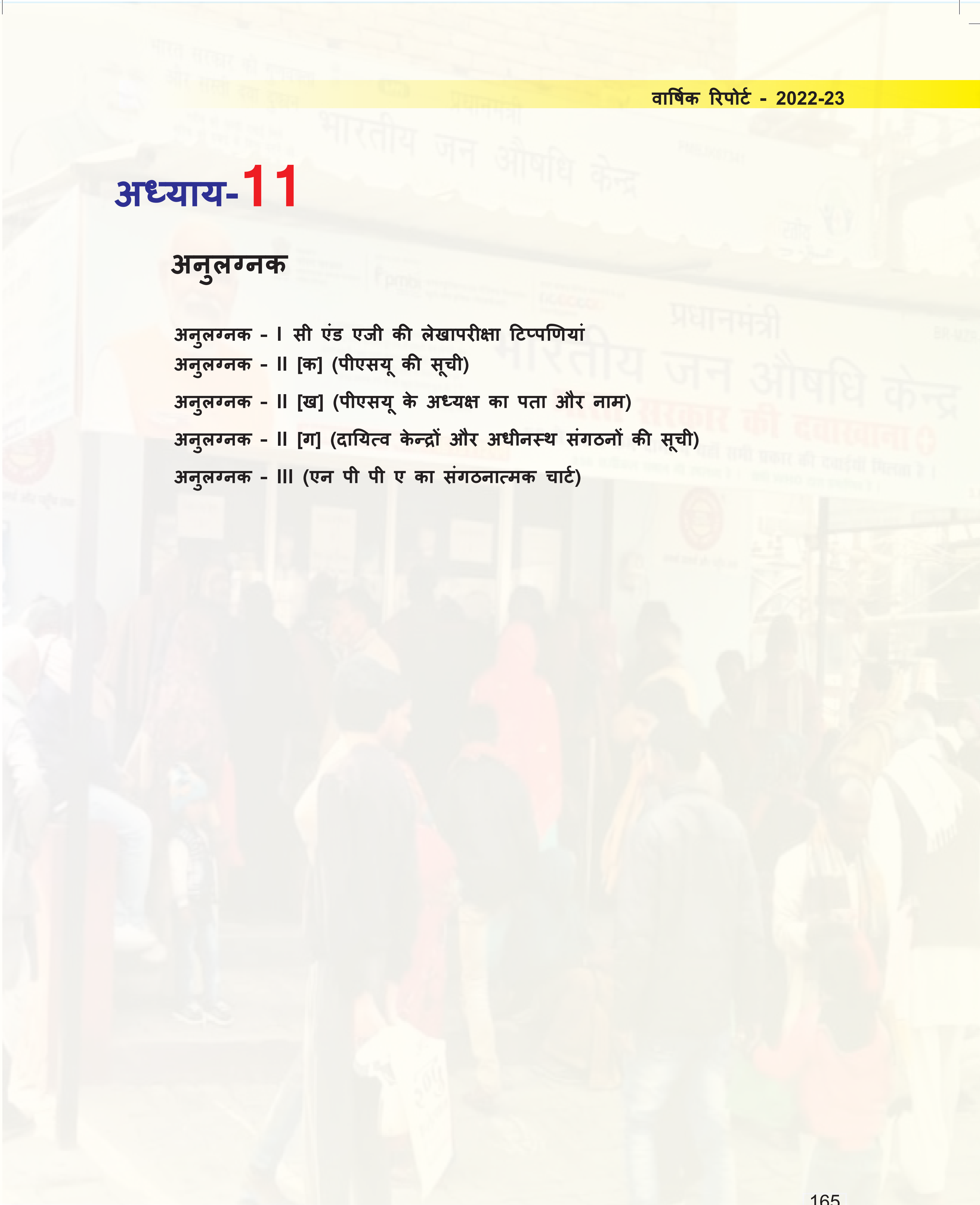

अध्याय-11

अनुलग्नक

अनुलग्नक - I सी एंड एजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अनुलग्नक - II [क] (पीएसयू की सूची)

अनुलग्नक - II [ख] (पीएसयू के अध्यक्ष का पता और नाम)

अनुलग्नक - II [ग] (दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची)

अनुलग्नक - III (एन पी पी ए का संगठनात्मक चार्ट)

अध्याय-11

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

सी एंड एजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

औषध विभाग के संबंध में कोई सी एंड एजी पैरा लंबित नहीं है।

अनुलग्नक II [क]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

(i) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल), डुंडाहेड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्पलेक्स, डुंडाहेड़ा, गुड़गांव, हरियाणा।

(ii) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल), पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र।

(iii) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (केएपीएल), बैंगलोर - 560010।

(iv) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

(v) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आरडीपीएल), रोड नं. 12, वी के आई एरिया जयपुर-302013।

अनुलग्नक II [ख]

औषध विभाग के अधीन पीएसयू के अध्यक्षों के नाम और पता

तालिका-11क
(औषध विभाग के अधीन पीएसयू के अध्यक्षों के नाम और पता)

क्र. सं.	संगठन और उनका पता	नाम	पदनाम
1.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), डुंडाहेड़ा, गुड़गांव, हरियाणा	श्री रजनीश तिंगल	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
2.	हिन्दुस्तान एंटी बायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), पिंपरी पुणे, महाराष्ट्र	सुश्री नीरजा सराफ	प्रबंध निदेशक
3.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) जयपुर, राजस्थान	सुश्री नीरजा सराफ	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
4.	बंगाल केमिक्ल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	सुश्री नीरजा सराफ	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
5.	कर्नाटक एंटी बायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) बंगलौर, कर्नाटक	श्री सुनील कुमार कैमल	प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक - II (ग)

दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची

तालिका-11ख
(दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची)

क्र. सं.	नाइपर के निदेशक का नाम	कार्यालय दूरभाष	ईमेल	मोबाइल नं.	पता
1	डॉ. शैलेंद्र सराफ नाईपर-अहमदाबाद	079-66745555	director@niperahm.ac.in	9826150327	पलाज, एयरफोर्स स्टेशन मुख्यालय के सामने, गांधीनगर-382355, गुजरात
2	डॉ यूएसएन मूर्ति - नाईपर गुवाहाटी	0361-2132751	murtyusn@gmail.com murty_usn@yahoo.com director@niperguwahati.ac.in	9127060998	सिला कटमूर (हलुगुरिसुक) पी.ओ.: चांगसारी, जिला: कामरूप, असम- 781101
3	डॉ. गायत्री वी. पाटिल (निलंबनाधीन) डॉ. वी. रविचंद्रन (अतिरिक्त प्रभार), नाईपर हाजीपुर	0612-2631565	director@niperhajipur.ac.in	9443963481	ईपी आई पी कैम्पस, इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर -844102, बिहार
4	डॉ. शुभिनी सराफ , नाईपर-रायबरेली	0535-2700851	director@niperraebareli.edu.in	9628176500	बिजनौर-सिसेंदी रोड, सरोजनी नगर, सी आर पी एफ बेस कैंप के नजदीक, लखनऊ (यू पी) - 226002
5	डॉ. वी. रविचंद्रन - नाईपर कोलकाता	033-24995803 033-23200086	directorniperkolkata@gmail.com director@niperkolkata.edu.in	9443963481	चुन्नीलाल भवन, 168, मानिकतला मेन रोड, कोलकाता-700054, पश्चिम बंगाल
6	डॉ. शशि बाला सिंह- नाईपर हैदराबाद	040-23073741	director.niperhyd@gov.in director@niper-hyd.ac.in	9999297992	नाईपर, हैदराबाद आई डी पी एल टाउनशिप, बालानगर, हैदराबाद-500007
7	प्रो. दुलाल पांडा-नाईपर मोहाली	0172-2214690 0172-2214697	director@niper.ac.in	9820391591	एस ए एस नगर, नाईपर मोहाली, पंजाब - 160062

अनुलग्नक - III एनपीपीए का संगठनात्मक चार्ट